वार्षिक प्रतिवेदन

२०००-२००१
महिला सशक्तीकरण का वर्ष

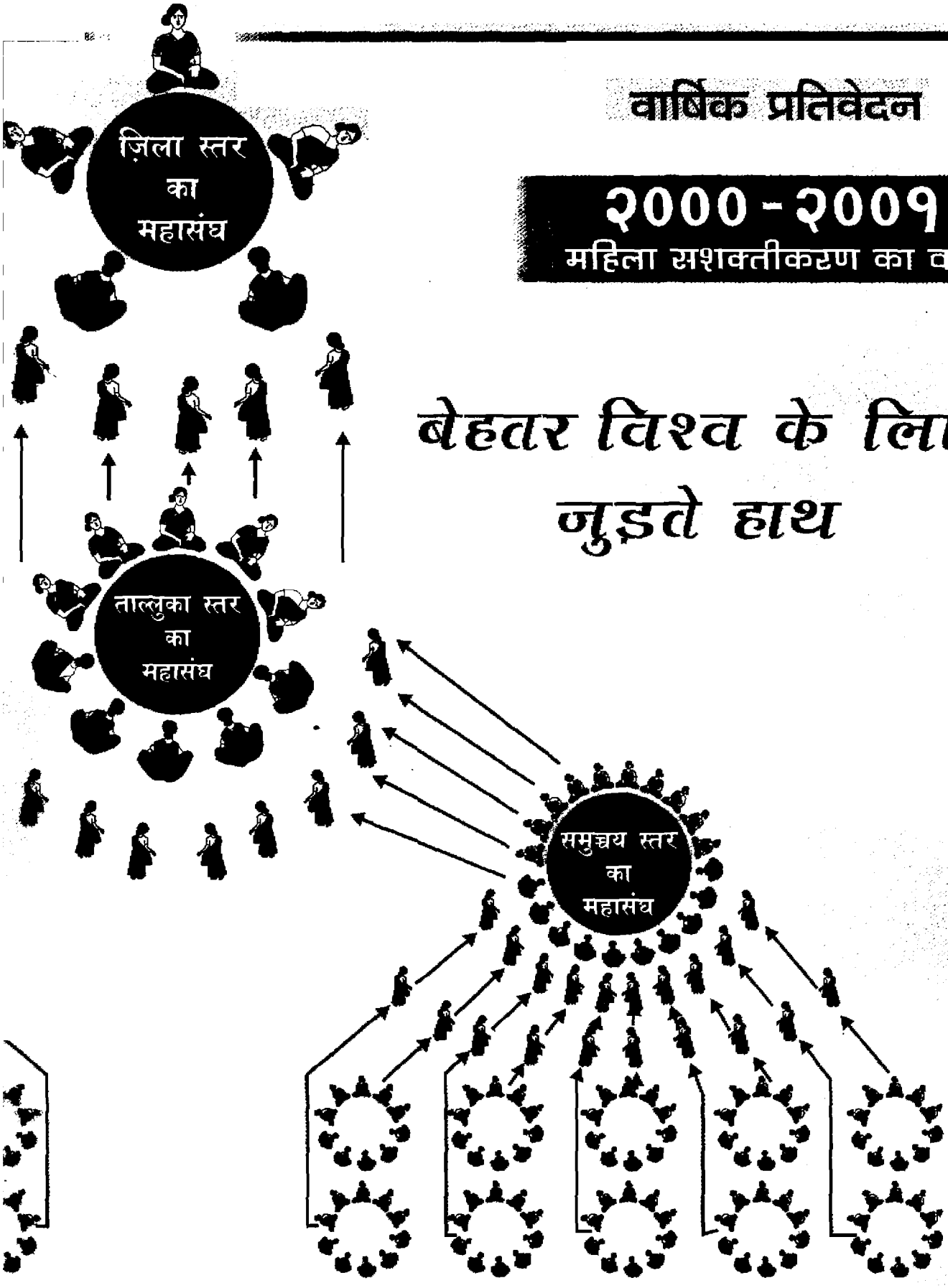

बेहतर विश्व के लिए जुड़ते हाथ

महिला समाख्या कर्नाटक

लिंग संबंधी न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं

महिला समाख्या कर्नाटक के बारे में.....

महिला समाख्या भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम महिला समानता को लाने में ' सकारात्मक मध्यस्थ भूमिका ' अदा करने में, शैक्षिक कार्यक्रमों को सन् १९८६ की नयी शिक्षानीति में दिए गए बल से प्रसूत है।

महिला समाख्या के उद्देश्य :

- एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जहाँ महिलाएं ज्ञात विकल्पों को चुन सकें और अपना भाग्य स्वयं निर्धारित कर सकें।
- लिंग संबंधी परिप्रेक्ष्य के साथ सामूहिक मानसिक सामर्थ्य, विश्लेषण, ज्ञानार्जन तथा कार्य द्वारा सामाजिक परिवर्तन के प्रक्रम को सुगम बनाना।
- सामुदायिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग, पुनर्वितरण तथा पुनरुज्जीवन द्वारा महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं का संवर्धन करना।
- घरेलू एवं सामाजिक संसाधनों के ऊपर अपनी पहुँच एवं नियंत्रण को बढ़ाते हुए समाज की सदस्याओं के रूप में महिलाओं की सौदा-शक्ति का संवर्धन करना।

महिला समाख्या की रणनीति :

कार्यक्रम की बुनियादी रणनीति ग्रामीण स्तर के समुच्चयों अथवा संघों को न केवल सक्रिय रूप से दिशा देकर स्थापित करना है अपितु महिलाओं को अपनी छवि और दृढ़ विश्वास को ऊपर उठाने में अपनी शक्ति की पहिचान करने के लिए योग्य बनाना है। कार्यक्रम में वयस्क महिलाओं के लिए साक्षरता में पहल करना, अनौपचारिक शिक्षा, शिशु संरक्षण केन्द्र, युवा कन्याओं के लिए महिला शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं विधिक शिक्षा में पहल करना, ग्रामीण महिलाओं के स्थानीय शासकीय निकायों में सहभागिता, मुख्यधारा संरचनाओं तथा संस्थाओं में उत्तरदायित्व की मांग करना.....

महिला समाख्या आज कर्नाटक के ७ जिलाओं (बीदर, बिजापुर, मैसूर, रायचूर, गुल्बर्गा, बेल्लारि और कोप्पल) में १२०० गांवों में करीब २०,००० महिलाओं के साथ कार्य कर रही है।

महिला समाख्या, कर्नाटक

सं. ६८, पहला क्रास, दूसरा मुख्य, एचएएल का तीसरा स्टेज,
तिप्पसन्द्र का नया मुख्य मार्ग के समीप, बेंगलूर-५६० ०७५
दूरभाष : ०८०-५२७७४७१/५२६२९८८, फैक्स : ०८०-५२९७७६५
E-mail : samakhya@vsnl.net
www.mahilasamakhya.iw123.com

प्राक्कथन

महिला सशक्तीकरण वर्ष के लिए महिला समाख्या, कर्नाटक की ओर से शुभकामनाएं।

वर्ष २००४–२००५ के दौरान, गरीब ग्रामीण महिलाओं के तृणमूल महासंघों को स्थापित करने की दिशा में कार्यक्रम अविरत रूप से गतिमान है। मैसूर जिले की नंजनगूड और पेरियापट्टण ताल्लुकाओं में क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए संघ की महिलाएं दायित्व ले रही हैं जिस में म.स. टीम मुख्यतः आगे बढ़ने में सहायता करने की भूमिका अदा कर रही है। इन मैसूर ताल्लुकाओं के पीछे–पीछे, निकटस्थ होकर करीब की अन्य ताल्लुकाएं चल रही हैं। वे हैं – बिजापुर जिले में कोलावाली तथा इंडी, गुलबर्गा में आलन्द और चिंचोलि, कोप्पल में गंगावति और कुश्तगि, रायचूर में देवदुर्गा, बीदर में औराद और बसवकल्याण तथा बेल्लारि में कूडलगि।

नए संघों को बनाने और पुराने संघों को सशक्त करने में संघ की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। विभिन्न ग्राम संस्थाओं के साथ संघ के सहानुबंध एवं समुच्चय, ताल्लुका और जिला स्तरों पर संघ का कार्यजाल म.स. सशक्तीकरण गतिविधियों को बलवान बना रहे हैं। शिक्षा द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए एक कार्यक्रम के रूप में म.स. प्रशिक्षण तथा संघ की प्रत्यक्ष कार्रवाई से, जीवन–कौशल शिक्षा में नए–नए प्रयासों को छू रही है। फलस्वरूप, व्यापक विषयों पर पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र एवं संसाधन सामग्री का वह विकास हुआ है जो ग्रामीण गरीबों का जीवन प्रभावित करता है। इन का महत्व इस सच्चाई से कि वे संघ की महिलाओं के अनुभवों पर आधारित है, और भी बढ़ जाता है।

जैसे–जैसे ये महिलाएं अपनी शिक्षाप्राप्ति को कार्य रूप में उतारती हैं वैसे–वैसे नई–नई साझेदारियों के लिए आगे बढ़ रही हैं और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रशस्ततम कार्यप्रणाली स्थापित कर रही हैं। हमारे कार्य के लिए, हमेशा प्रेरणादायक उन की दिलेरी, बुद्धिमानी और हितोत्प्रियता प्रकाशमान रही हैं। यह प्रतिवेदन, पठन निर्णन और कार्यनिर्वाह अवलोकन द्वारा समस्त क्षेत्रीय गतिविधियों की सीमा एवं सच्चाई को पकड़ने की एक कोशिश है। हम म.स. के उन अनेक शुभचिन्तकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय और कौशल प्रदान किया है।

Revathi Narayanan

राज्य कार्यक्रम निदेशक

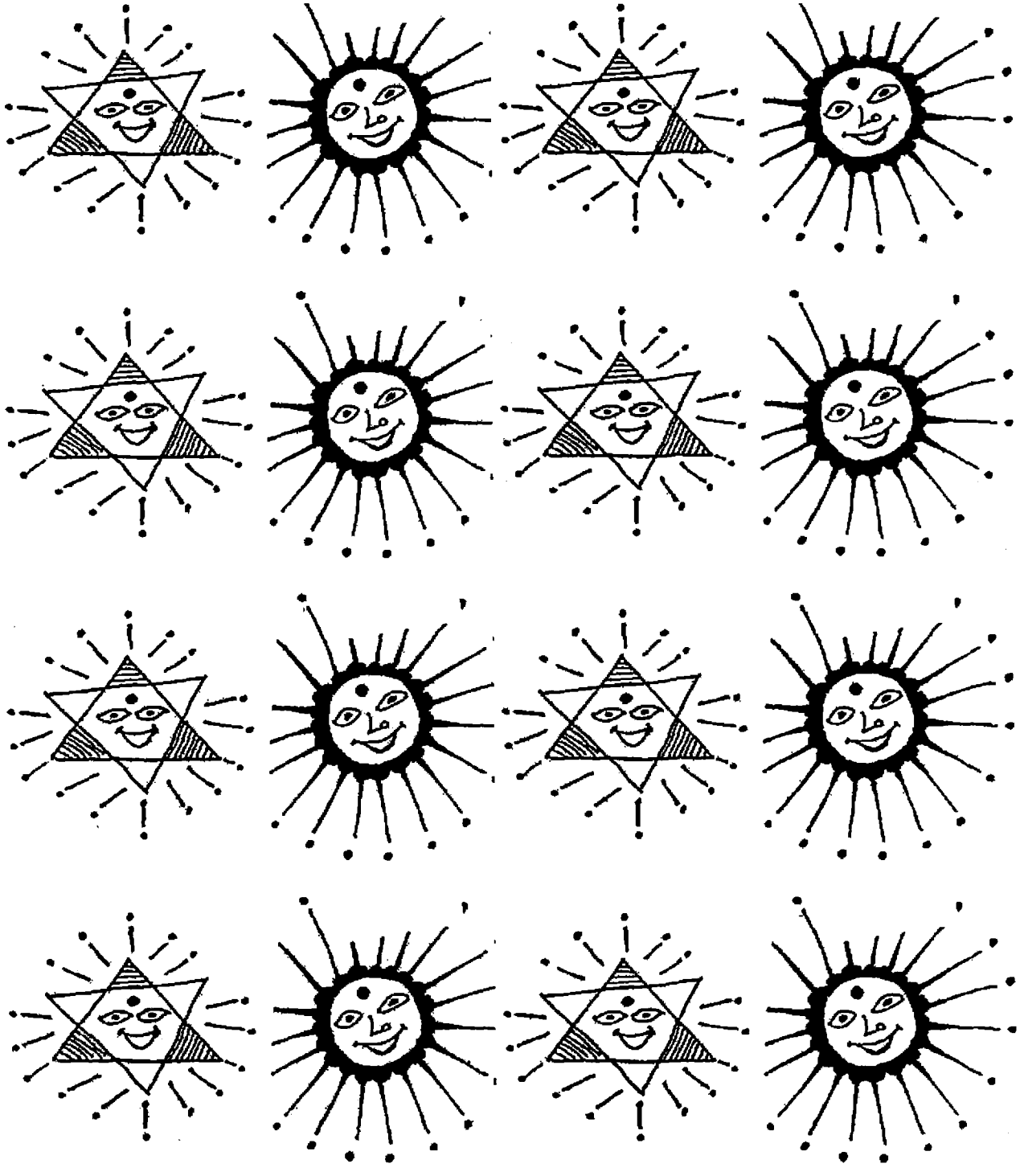

प्रकाशक : **राज्य कार्यक्रम कार्यालय**, महिला समाख्या कर्नाटक, बेंगलूर

आवरण अभिकल्प : **महिला समाख्या कर्नाटक, बेंगलूर**

मुद्रक : **आदित्य प्रिंट्स**, # १९४७, II मैन, एम.सी. ले आउट, विजयनगर, बेंगलूर-40
दूरभाष : ३२०२९६२, मोबाइल् : ९८४४०६८८९२

विषय सूची

१.	महिला समाख्या : व्याप्ति एवं विस्तार।	2-8
२.	संघ की आत्मनिर्भरता एवं पोषणीयता।	9-21
३.	महिला शिक्षा के अवरोधों को तोड़ना।	22-30
४.	संघ की महिलाएं एवं पंचायत राज।	31-39
५.	महिला स्वास्थ्य एवं उन के स्थान-मान।	40-45
६.	संघ की महिलाएं विधिक मुद्दों को उठाती हैं।	46-50
७.	संघ के सशक्तीकरण के संदर्भ में आर्थिक क्रिया-कलाप।	51-58
८.	सामान्य परिषद (सा.प.) तथा कार्यकारिणी परिषद (का.प.) के सदस्य / सदस्याओं की सूची।	59-63
९.	शब्दावली।	64-65
१०.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।	66-73

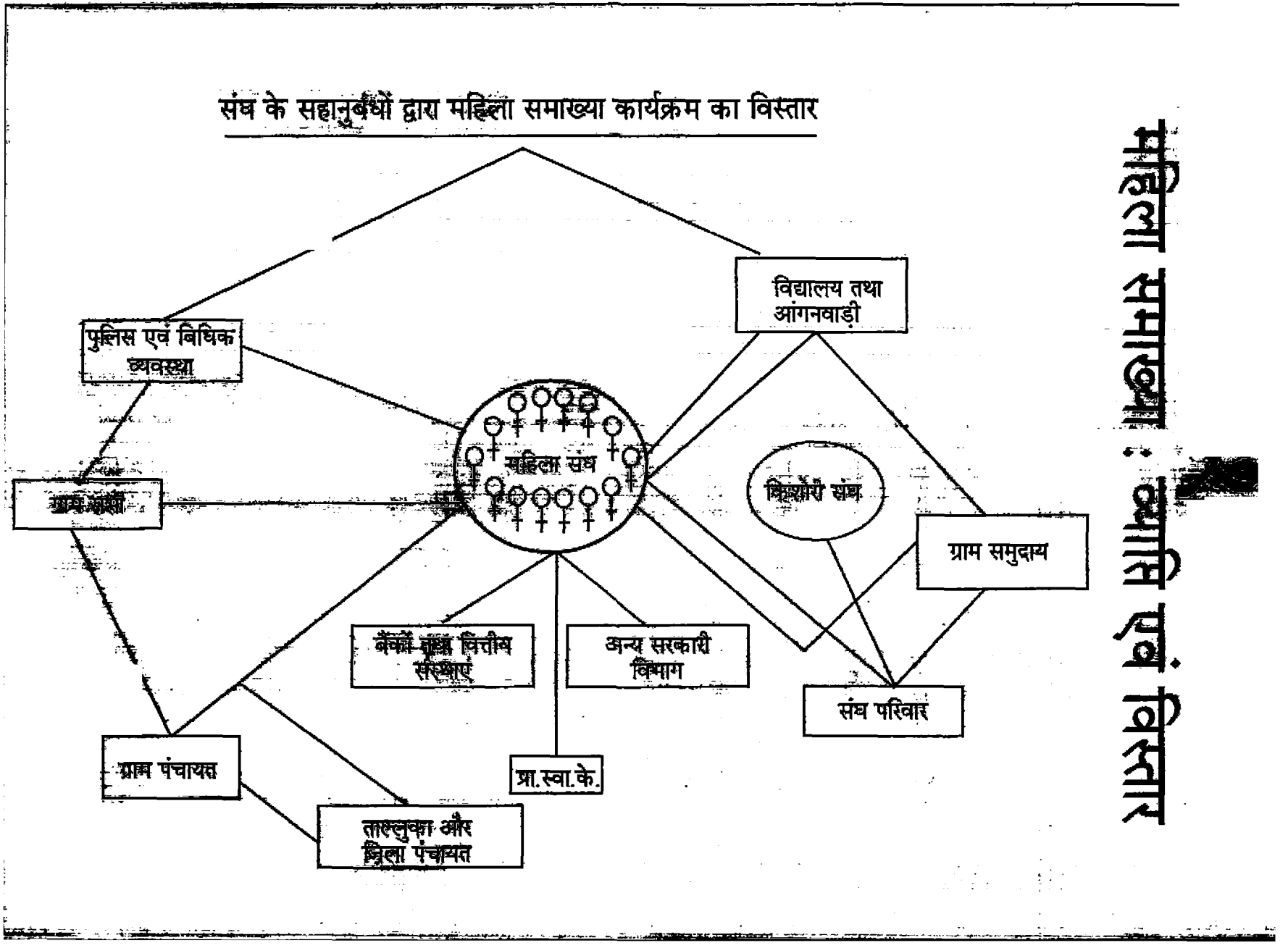

संघ के सहानुबंधों द्वारा महिला समाख्या कार्यक्रम का विस्तार

महासंघों से महिला समाख्या कार्यक्रम का विस्तार

कैसे महिला महासंघ शिक्षा द्वारा सशक्तीकरण संबंधी महिला समाख्या गतिविधियों को जारी रखेंगे?

महासंघ महिलाओं की प्रतिष्ठा, इन से बढ़ाएंगे -

- गरीब महिलाओं के सरोकारों व फिक्रों की आवाज बुलन्दकर।
- बालिकाओं के (स्कूलों में) नाम दर्ज कराने के लिए समुदाय को उकसाकर।
- बालिकाओं की शिक्षापद्धति हेतु जिम्मेदारी व संवेदनशीलता की मांग पेशकर।
- गरीब महिलाओं को योजना एवं विकास में सम्मिलितकर।
- गरीब महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावक गुट का रूप अख्तियारकर। अपने कार्य के लिए नारी अदालतों से मदद लेकर।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के लिए कार्यजाल के रूप में समर्थन एवं संगठन जुटाकर।
- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संबंधित मुद्दों पर कार्य करने हेतु सामुदायिक संसाधन के रूप में अपने आप को पेशकर।
- आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा परिवार और समुदाय में महिला की प्रतिष्ठा बढ़ाकर।
- बालविवाह एवं देवदासी समर्पण जैसे महिला विरोधी आचरणों पर रोक लगाकर।

म.स. की परिवर्तित भूमिका : महासंघ का समर्थन एवं पोषण

- महासंघ के कार्यार्थ निकाय-निधियों का निर्माण करना।
- महासंघ को उसके कार्य में सहायता देने के लिए एक महिला संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
- बालविवाह, अत्याचार, देवदासी समर्पण तथा अन्य महिला विरोधी आचरणों से सताए गए व्यक्तियों की सामर्थ्य जुटाने हेतु केन्द्र स्थापित करना। ये महासंघ के साथ पारस्परिक उपकारक संबंध रखेंगे।

महिला समाख्या व्याप्ति

कर्नाटक में ज़िलाओं की कुल संख्या २७

म.स. व्याप्ति ७(२६%)

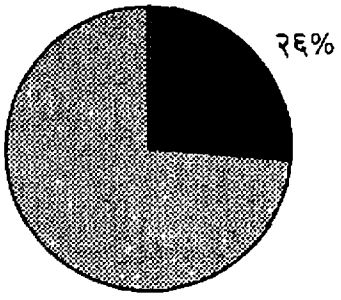

कर्नाटक में ताल्लुकाओं की कुल संख्या १७५

म.स. व्याप्ति ३३(१९%)

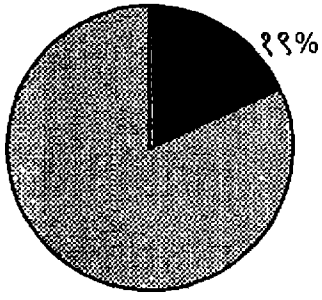

म.स. कर्नाटक में संघों की कुल संख्या १०८२

संघघरों* की संख्या २८१(२६%)

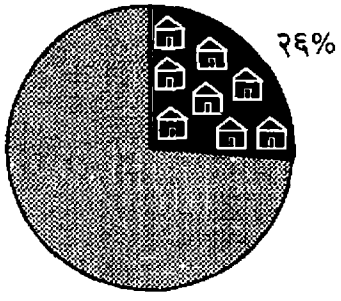

संघों की कुल संख्या १०८२

उन संघों की संख्या जहां महिलाएं एवं किशोरियां, किसी भी प्रकार की सहायता के बिना संघ प्रलेखीकरण का कार्य कर रही हैं २२०(२०%)

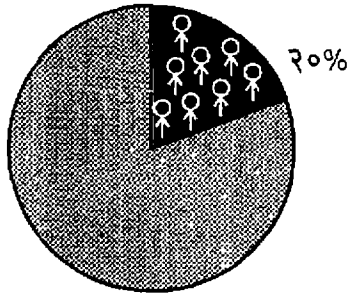

*संघधर (मने) स्वयं महिलाओं को उपलब्ध समय और स्थान का प्रतीक है| वह समुदाय द्वारा उन की स्वीकृति, सामुदायिक संसाधनों की उनकी नवार्जित पहुंच, अपने विचारों को पंचायत में निर्णयन तक लाने की उन की योग्यता को द्योतित करता है| वह गांव के समुदाय के साथ काम करने की उन की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है| कई और गांवों में महिलाओं ने संघ घर के लिए जमीन हेतु सुलह की है और आगामी वर्ष में निर्माण कार्य आरंभ करेंगी|

ताल्लुकावार म.स. व्याप्ति

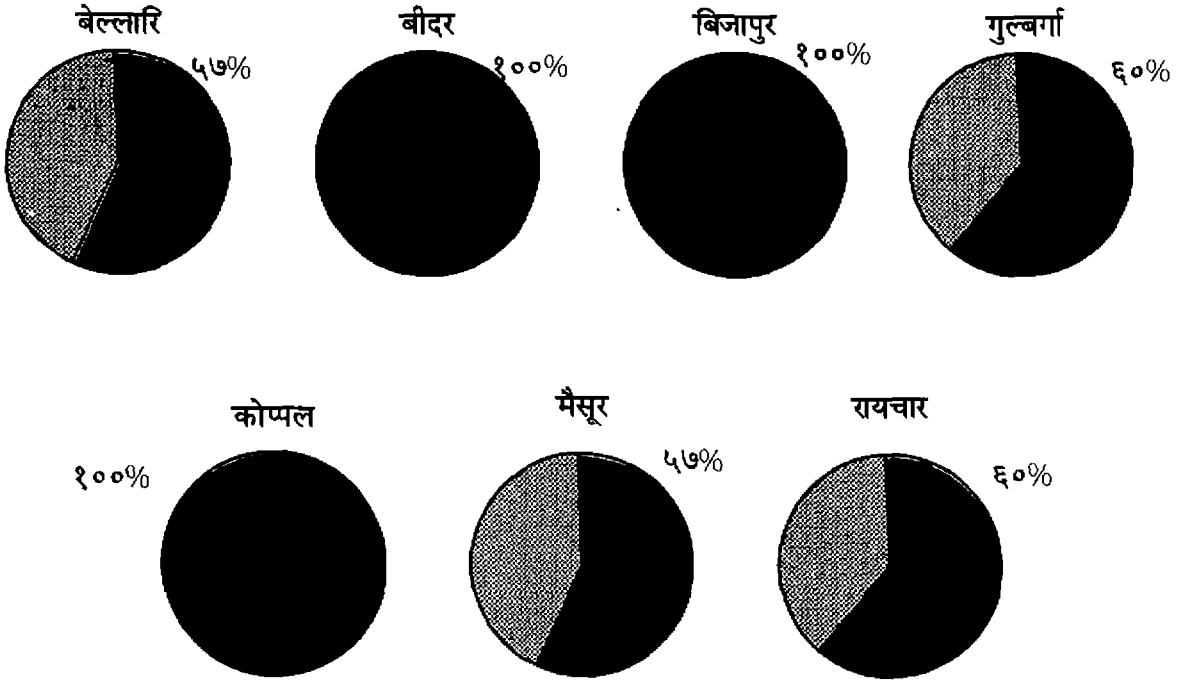

क्रम संख्या	ज़िला	ताल्लुकाओं की कुल संख्या*	ताल्लुकावार म.स. की व्याप्ति	म.स. व्याप्ति का %
१	बेल्लारि	७	४	५७
२	बीदर	५	५	१००
३	बिजापुर**	५	५	१००
४	गुल्बर्गा	१०	६	६०
५	कोप्पल	४	४	१००
६	मैसूर***	७	४	५७
७	रायचूर	५	३	६०

* ज़िलाओं की ताल्लुकाओं की कुल संख्या जनगणना आंकड़ों से ली गयी है।

** म.स. बिजापुर में, बागलकोट ज़िले की एक (मधोल) ताल्लुका भी शामिल है।

*** म.स.मैसूर भी एक ताल्लुका को शामिल करता है।

गांववार म.स. व्याप्ति

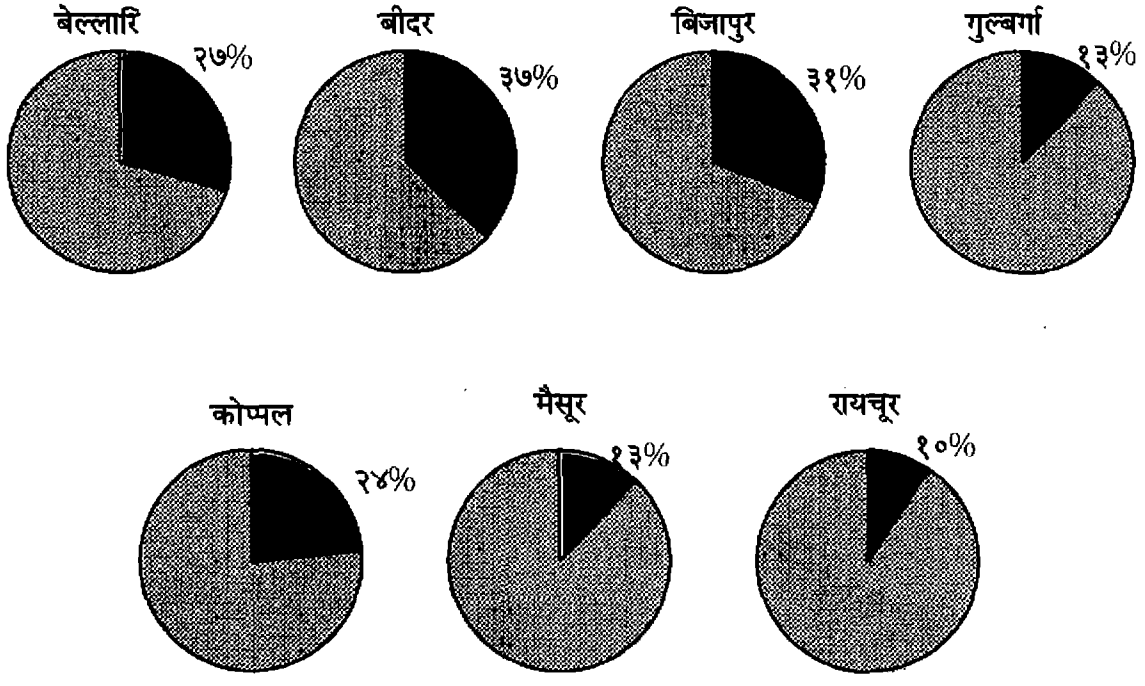

क्रम संख्या	ज़िला	गांवों की कुल संख्या*	गांववार म.स. की व्याप्ति	म.स. व्याप्ति का %
१	बेल्लारि	५१७	१४२	२७
२	बीदर	५८७	२१८	३७
३	बिजापुर**	६३९	१९७	३१
४	गुल्बर्गा	१२९५	१६७	१३
५	कोप्पल	५८८	१४०	२४
६	मैसूर***	१२०३	१५६	१३
७	रायचूर	८०८	८०	१०

* ऊपर के ज़िलाओं के गांवों की कुल संख्या जनगणता आंकड़ों से ली गयी है।

** मधोल गांवों को शामिलकर

*** चामराजनगर गांवों को शामिलकर

महिला समाख्या दर्शन का घटनाओं द्वारा प्रसार करना

निम्नलिखित व्यापक घटनाओं द्वारा भी, महिला समाख्या के दर्शन एवं उस की गतिविधियों में दूसरों को शामिल किया जाता है।

- **नीर मन्वि मेला, रायचूर ज़िला**

  महिला समाख्या, रायचूर हर फरवरी में नीर मन्वि मेले (जात्रा) में जो देवदासी समर्पण के लिए कुख्यात है, इस प्रथा के विरुद्ध, प्रेरणा के रूप में एक व्यापक मुहिम छेड़ती है। सामान्यतः यह म.अ.सं.सं. (महिला अभिवृद्धि एवं संरक्षण संस्था जो भूतपूर्व देवदासियों का एक सम्मिलन या महासंघ है), स्थानीय गै.स.सं. तथा अन्य म.स. ज़िलों के सहयोग से होती है। रायचूर ज़िले ने फरवरी २००१ के प्रारंभ में यह कार्यक्रम उठाया।

- **जन स्वास्थ्य सभा**

  म.स. ज़िलाएं संघ की महिलाओं, गै.स. संगठनों तथा समुदाय के साथ ज़िले को ढाका प्रक्रम तक २००० के सितंबर से दिसंबर तक के दौरान ले गए।

- **विद्यालयों में नामांकन अभियान**

  संघ की महिलाएं तथा म.स. टीम ने खासकर छोटी उम्र की लड़कियों के नामांकन के लिए गांव के स्तर पर, घर-घर जाकर किए जानेवाले अभियान में शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार एवं ज़ि.प्रा.शि.का. के साथ सहयोग किया।

- **तृणमूल महिला अंतर्राष्ट्रीय अकादमी (तृ.म.अं.अ.)**

  महिला समाख्या द्वारा किया गया कार्य सैल्टज़गिटर, जर्मनी में (शिक्षा को पुनः परिभाषित करने' पर तृ.म.अं.अ. में वितरित किया गया। तृ.म.अं.अ. हौरियो आयोग तथा ग्रूट्स अंतर्राष्ट्रीय कार्य का हिस्सा था। भाग लेनेवाले अन्य देशों में शामिल थे - आयरलैंड, रूस, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, होण्डूरास, केमरून, झायर, संयुक्त राज्य तथा तुर्की।

- **किशोरी मेला**

  मार्च २००१ के प्रारंभ में रायचूर में ३०० से अधिक किशोरियों के लिए एक राज्य स्तर का माहिती मेला अर्थात् जानकारी मेला आयोजित किया गया। इस ने किशोरी संघों द्वारा म.स. कार्य के लिए गतिशक्ति प्रदान की।

संघ की कार्रवाई द्वारा महिला समाख्या दर्शन का प्रसार करना
शिक्षा एवं सशक्तीकरण : महिला समाख्या की गतिविधियां

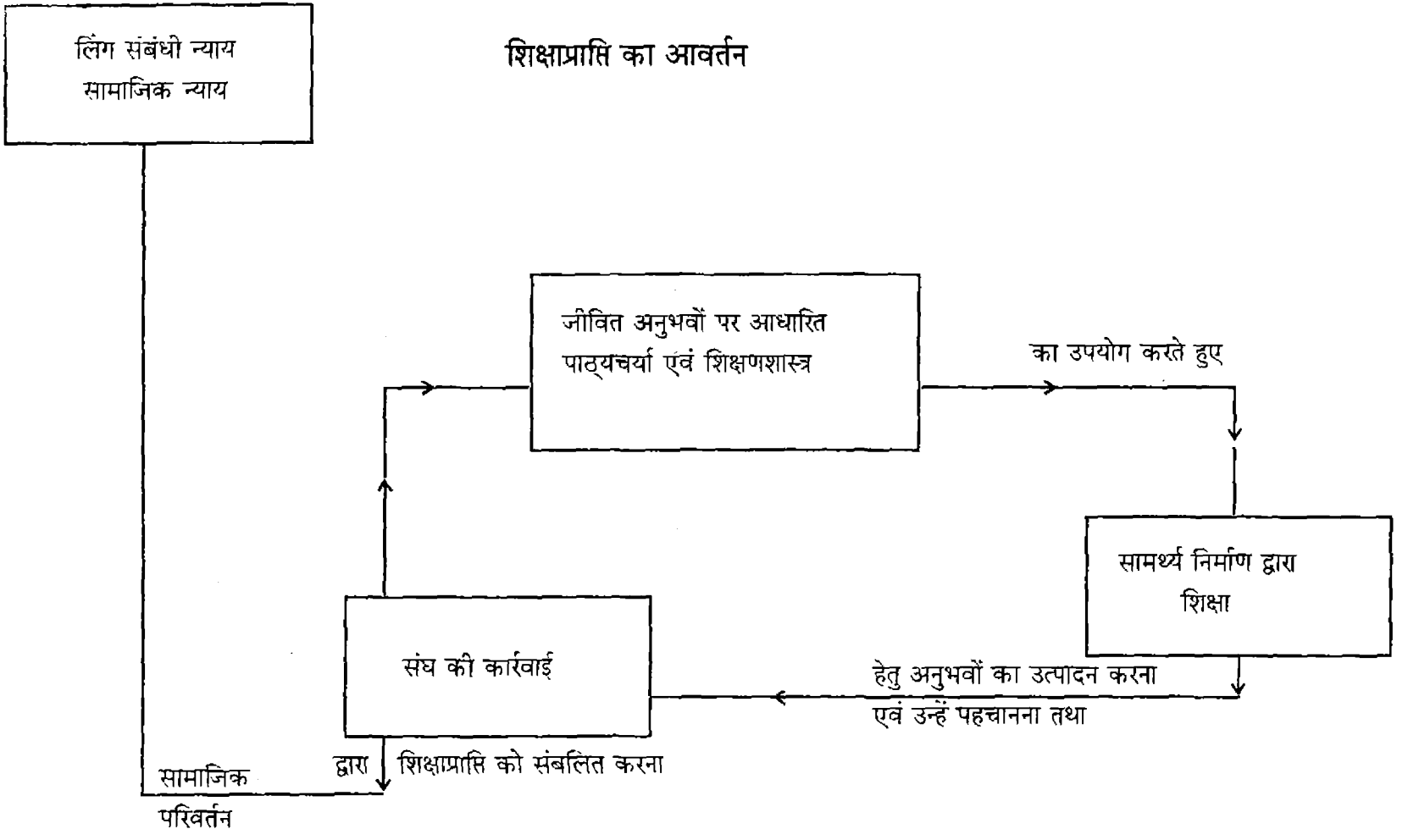

२

संघ की आत्मनिर्भरता एवं पोषणीयता

कार्यक्रम की व्याप्ति एवं विस्तार

करीब १४०० गांवों में म.स. गतिविधियां चल रही हैं। पृष्ठ १८ पर तालिका २.१ वर्ष २०००-२००१ के लिए एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है। जैसे महिलाएं महासंघों (ओक्कूटों) की स्थापना करने एवं उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य करती हैं, म.स. प्रक्रमों की दृष्टिगोचरता बढ़ रही है। म.स. गांवों एवं गैर-म.स. गांवों से अधिकाधिक महिलाएं अपने ही संघ बनाना और महासंघ के प्रक्रमों में भाग लेना चाहती हैं (देखें पृष्ठ ३)। महिलाओं एवं ग्राम समुदाय के लिए संघ की भूमिका अधिकाधिक रूप में बढ़ायी जा रही है (देखें पृष्ठ २)। यह निश्चित करने के लिए कि किस समूह को 'संघ' का नाम दिया जा सकता है, सख्त सूचक प्रयोग में लाए गए हैं। अतः, यद्यपि १४०० गांवों को म.स. प्रक्रमों के लिए लिया गया है, फिर भी, फिलहाल संघों की संख्या १०८२ है। संघ की स्थिरता को प्रभावित करनेवाले कारक गांव की राजनीति, जाति एवं वर्ग संबंधी गतिशील शक्तियों को शामिलकर कई हैं। तालिका २.१ में आंकड़े दिखाते हैं कि आरंभ से ८०८ संघ नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। संघ की महिलाओं एवं म.स. टीम के लिए चुनौती, समस्यात्मक संघों को फिर से पटरी पर लाने के लिए अपने समस्या-समाधान के कौशलों का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार गणनीय संख्या में संघों का पुनरुज्जीवन किया गया है (७ ज़िलों में १२०)।

यहाँ, यह उल्लेखनीय है कि इन संघों में से ४५ की 'मरम्मत' महिलाओं ने की है। उन्होंने ७९ नए संघों की भी शुरुआत की है। "अस्थायी रूप से अपक्रियात्मक" श्रेणी के संघ वे संघ हैं जहां नियमित निवेशों से समस्या का समाधान करना साध्य है। यह अभी तक समय एवं अन्य संसाधनों के अभाव के कारण नहीं किया जा सका है। म.स.की समस्या अनिविड़ फैलाव एवं आम तौर पर टीम की अतिश्रांतता है। गांव की राजनीति, निर्धनता, स्थानांतरण एवं ऐसे मुद्दों के लिए कुछ संघ 'नष्ट' हो गए हैं। ये तालिका २.१ में, 'अपक्रियात्मक' स्तंभ में ८६ संघ हैं।

इस के अतिरिक्त, महिलाओं द्वारा आरंभित १५० और उस से अधिक सक्रिय संघ हैं जहां म.स. का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है। और ब्यौरे तालिका २.१ के तहत दिए गए हैं।

बुद्धि-ज्ञान संघ से ताल्लुका स्तर का महासंघ (ओक्कूट)

महिला समाख्या से संघ के प्रक्रमों की समझ एवं निर्धन ग्रामीण महिलाओं की प्रत्याशाएं अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। इसे बीदर ज़िले के इस उदाहरण में लिया गया है।

बीदर ज़िले की बीदर ताल्लुका, ताडपल्लि गांव में संदर्शन करनेवाली म.स. टीम की स्थानीय सहयोगिनियों द्वारा नवनिर्मित संघ को ढूंढना पड़ा। गांव में कई अभिकरणों द्वारा गठित कई महिला संघ हैं। किन्तु स्थानीय महिलाएं स्पष्ट थीं, जिन्होंने कहा, *"ओह! आप बुद्धि-ज्ञान संघ की महिलाओं से मिलना चाहती हैं"* और महिला समाख्या संघ के पास ले गयीं। संघ की महिलाएं जो अपने ही गांव में अथवा पड़ोसी गांव में नए संघों को बनाने में सहायता कर रही हैं, कहती हैं, *"वे (म.स.) तुम्हें केवल जानकारी (माहिति) देंगी, धन*

और भौतिक लाभों की अपेक्षा मत करें। लेकिन इस जानकारी का मूल्य कहीं अधिक है।"

गत तीन वर्षों से, संघ की महिलाएं म.स. टीम के साथ ताल्लुका स्तर पर महासंघों (ओक्कूट) की स्थापना करने में कार्य कर रही हैं।

"हम संघ के स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकीं, उन्हें महासंघ (ओक्कूट) के स्तर पर उठाने में समर्थ हो सकी हैं।"

अधिकांश गांवों में संघ, लिंग संबंधी न्याय के लिए एक मंच के रूप में उभर रहा है। सन् १९९९-२००० के दौरान शुरू किए गए प्रक्रम में संघ की महिलाएं अपनी चिन्ताओं को आवाज़ दे रही हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं और संघ समितियों की मार्फत सात सकेन्द्रक क्षेत्रों-संघ आत्म निर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधिक साक्षरता, आर्थिक विकास, पंचायत राज और लिंग पर कार्रवाई का समन्वय कर रही हैं। प्रत्येक संघ समिति में दो या दो से अधिक सदस्याएँ शामिल हैं। अतः जब कोई समस्या उठती है तो संघ उसे एक संपूर्ण दृष्टि में देखने में समर्थ है। सभी समिति प्रशिक्षणों में समितियों से अनुवर्ती कार्रवाई पर एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्षात्मक सत्र होता है। यहाँ महिलाएं एवं म.स. टीम महिलाओं की समस्याओं के समाधानार्थ, लिए जा सकनेवाले विभिन्न कार्यों पर चर्चा करती हैं। ये सत्र विभिन्न कार्यों द्वारा व्यक्तियों एवं ग्राम समुदाय के नागरिकों के रूप में महिलाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के लिए योजना बनाते हैं। ये कार्य, एक सामुदायिक संसाधन के रूप में संघ की पहिचान को मज़बूत करते हैं। इस प्रकार, कई क्षेत्रों में ग्राम परिवार अपनी समस्याओं को सुझाव एवं मध्यस्थता के लिए संघ के पास लाते हैं।

इस के आगे, संघ आत्म निर्भरता पर प्रशिक्षण में विभिन्न संघ समितियों के कार्यजाल प्रणाली पर एक कुंजी सत्र शामिल है। *आगामी पृष्ठ पर चित्र-१* इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह दिखाता है कि संघ की विभिन्न समितियां बाल विवाह के ज्वलंत मुद्दे का सामना करने के लिए किस प्रकार बहुभुजीय रणनीति का प्रयोग करती हैं।

बाल विवाह एक ऐसी समस्या है जो महिला प्रतिष्ठा को अधम अवस्था में रखती है और लड़कियों की अगली पीढ़ी को उसी अधम अवस्था में रहने के लिए जिस का अनुभव उन की माताएं करती हैं, निन्दा करती है। संघ की महिलाएं यह समझती हैं कि उनकी समस्त दुर्दशा के लिए यही एकमात्र और सब से बड़ा उपादान है। अतः प्रत्येक समिति प्रशिक्षण में बाल विवाह के निवारण से संबंधित कार्य लिए जाते हैं। ये कार्य संघ पोषणीयता एवं आत्म निर्भरता पर समिति प्रशिक्षण में परस्पर शृंखलित हैं।

उदाहरण के लिए गुल्बर्गा ज़िले की गुल्बर्गा ताल्लुका, भीमनहल्लि गांव में एक महिला संघ के साथ-साथ एक किशोरी संघ भी है। २० सदस्याओं के किशोरी संघ की स्थापना एक वर्ष पूर्व हुई थी। भीमनहल्लि के एक लड़के की शादी दूसरे गांव की संघ महिला की पोती, १२-वर्षीया लक्ष्मीबाई के साथ, कई वर्ष पहले हुई थी। उस के ससुरालवाले उसे अपना गांव वापस लाना चाहते थे ताकि वह उन के लिए घर का काम-काज कर सके। उस का पति बेरोजगार और बुरे

स्वभाव का था। भीमनहल्लि की किशोरियां लक्ष्मीबाई के घर गईं और उसे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उस के बारे में बताया। इस बीच विभिन्न समितियों से संघ की महिलाएं लक्ष्मी के ससुरालवालों के घर गईं और उन्हें बाल विवाह की बुराइयां तथा उस से संबद्ध विधिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति अवगत कराया। उन्होंने लक्ष्मी के मां-बाप को यह महसूस कराया कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए किस तरह का अयोग्य वर ढूंढ निकाला है। संघ की महिलाएं और किशोरियां यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाल विवाह के कारण लक्ष्मी का जीवन नष्ट न हो, आवश्यक कदम उठा रही हैं। उस के मां-बाप अब, उस के लिए, जब वह १८ वर्ष की हो जाएगी तो, और योग्य वर ढूंढने के लिए तैयार हैं।

समिति का यह दृष्टिकोण सभी संघ सदस्याओं में बंधन एवं उद्देश्य के बोध को सशक्त बनाने में सहायता करता है। उससे समस्या की समग्र दृष्टि हासिल करने एवं प्रभावी समाधानों का पता करने में मदद मिलती है। वह समिति की सदस्याओं का प्रशिक्षण आयोजित करने और अनुवर्ती कार्यों पर निर्णय करने में भी सहायता करता है। उदाहरण के लिए कई संघों में विधिक साक्षरता समिति की महिलाएं मुद्दा-आधारित घटक सभाओं में मिलती हैं। यहां उन्हें विभिन्न संघों में, विधिक समस्याओं में सम्मिलित कराने के लिए एक मंच है। इस के आगे, महिला समाख्या, संघ की विधिक समिति की सदस्याओं तथा स्थानीय वकीलों के साथ निःशुल्क विधिक सहायता मंडल के प्रतिनिधियों के बीच भी अन्तःक्रियाओं की व्यवस्था कर सकती है। इन बैठकों में महिलाओं के सामने आनेवाली समस्याओं, संबंधित विधियों पर निवेश तथा संभाव्य विधिक उपचारों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

चित्र १ : बाल-विवाह की समस्या से जूझने के लिए संघ की समितियों का कार्यजाल

- **शिक्षा समिति** - विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन, लड़कियों को बीच में ही स्कूल छोड़कर न जाने के लिए प्रेरित करना, कैसे बाल विवाह बालिकाओं को शैक्षिक अवसरों से वंचित करते हैं - पर चर्चा करना।
- **विधिक साक्षरता समिति** - बाल - विवाह के विरुद्ध विधिक उपबंधों पर सूचना का प्रचार-प्रसार करना।
- **आर्थिक विकास कार्यक्रम समिति** - दहेज के लिए ऋण अस्वीकार करना, कन्या शिक्षा के लिए कम ब्याज या नरम शर्तों पर ऋण प्रदान करना शामिल करते हुए ऋण लेने या देने के लिए संघ के मार्गदर्शी सिद्धांत।
- **लिंग समिति** - बाल-विवाह जैसे महिला विरोधी आचरणों को संबलित करनेवाली कपोल कल्पित कथाओं, अंध विश्वासों तथा परंपराओं पर चर्चा करना।
- **संघ की आत्मनिर्भरता** - बाल-विवाह के विरुद्ध समुदाय को प्रेरित करना, दूसरी समितियों का कार्य सुकर बनाना।
- **स्वास्थ्य समिति** - बाल-विवाह तथा समय पूर्व गर्भधारण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में चर्चा करना।
- **पंचायत राज समिति** - संघ की महिलाएं पंचायत की स्थायी सामाजिक न्याय समिति के गठन की मांग करना आरंभ कर रही हैं ताकि बाल-विवाह, अत्याचार और शराबखोरी जैसे मुद्दे लोक चर्चा के मुद्दे बन सके।

तालिका - २.२ महिला समाख्या ज़िलों में संघ समिति का गठन एवं मुद्दा-आधारित प्रशिक्षण की तस्वीर प्रस्तुत करती है। समिति के औपचारिक प्रशिक्षणों में, किसी खास विषय पर सहभागिता एवं निवेश दिए जाते हैं। लेकिन अधिक संख्या के कारण, यह अधिक समय लेनेवाला प्रक्रम है। अतः घटक एवं ताल्लुका स्तर की बैठकें अनौपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा निवेश सत्रों का काम करती हैं। मासिक आधार पर मुद्दावार घटक सभाएं चलायी जाती हैं। इन घटक सभाओं में सीखने की एक अधिक मात्रा सहभागिता एवं चर्चित सामूहिक कार्रवाई से है (तालिका - २.३)। ३ या ४ माह के अंतराल पर ताल्लुका महासभाएं भी चलायी जाती हैं।

पोषणीयता : "यदि महासंघ (ओक्कूट) हमें आश्रय देनेवाला वृक्ष है, तो संघ मूल हैं।"

महासंघ की कार्यवाहियां संघों को मज़बूत बनाने तथा उन संघों की पहचान करने जहां अधिक कार्य और / अथवा विभिन्न मार्गों का यत्न करने की आवश्यकता है, मदद करती हैं। महिलाओं को यह स्पष्ट हो गया है कि शक्तिशाली महासंघ (ओक्कूट) के लिए सदस्य संघों को शक्तिशाली होना चाहिए तथा उन्हें लिंग संबंधी मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए।

महासंघ की कार्यवाहियां संघों के लिए, एक प्रकार से लिटमस-परीक्षा का कार्य करती हैं। जहां महिला समाख्या के निवेश प्रभावपूर्ण हैं तथा महिलाओं को लिंग संबंधी सरोकारों पर अच्छी समझ है वहां वे महासंघों की स्थापना करने के फायदे देखती हैं। वे उसे महिला मुद्दों के लिए एक दृष्टिगोचार एवं प्रभावी मंच के रूप में ग्रहण करती हैं।

ताल्लुका स्तर के महासंघ (ओक्कूट)

मैसूर ज़िले की नंजनगूड और पेरियापट्टण ताल्लुकाओं में क्रमशः क्षेत्र के ३३ तथा २७ संघों ने अपने ताल्लुका महासंघ (ओक्कूट) की स्थापना की है। गत वर्ष की अवधि में क्रमशः पेरियापट्टण तथा नंजनगूड महासंघों (ओक्कूट) की अध्यक्षाओं के रूप में अब्बलत्ति की जानकम्मा तथा कलले ग्राम की कल्याणम्मा के साथ कार्यकारिणी समितियां निर्वाचित की गयी हैं। कार्यकारिणि समितियां ताल्लूका स्तर की साधारण सभा की बैठक में जहां प्रत्येक पद की आवश्यकताओं की सावधानी से चर्चा की गयी, निर्वाचित की गयीं। समूह ने संघ की उन महिलाओं को जिन्हें एक सशक्तीकरण कार्यक्रम के रूप में महिला समाख्या के ध्येय स्पष्ट थे तथा जो समस्या समाधान की अपनी होशियारी, वचनबद्धता एवं गतिशीलता के लिए मान्य थीं, उम्मीदवारों के रूप में खड़ा किया। इस के पश्चात् चुनाव हुए।

आरंभिक अवस्थाओं में नंजनगूड महासंघ (ओक्कूट) में मुश्किलें खड़ी हो गयीं। उन से निर्वाचित अध्यक्षा अनुपयुक्त पायी गयीं। जब उस के गांव में, एक समस्या का समाधान करने की बात आयी तो उस ने लिंग संबंधी मुद्दों पर कम समझ दिखायी। संघ की महिलाओं ने एक और साधारण सभा की बैठक बुलायी। *"उम्मीदवार का खुलकर बोलना और गतिशील होना ही पर्याप्त नहीं है। उसे इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि संघ किस बात के लिए बना है।"* कार्यकारिणी समिति की सदस्याओं के गुणों के बारे में विस्तृत चर्चा के बाद एक नया निर्वाचन किया गया।

महासंघ (ओक्कूट) द्वारा महिलाएं क्या योजना बना रही हैं।

- सदस्य संघों को शक्तिशाली बनाना, नए संघों का आरंभ करना।
- महासंघ द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं का मार्ग-निर्धारण करना। नंजनगूड में महिलाएं विश्वस्त हैं कि वे ठीक से हिताधिकारियों की पहिचान कर सकती हैं और यह देख सकती हैं कि योजनाएं यथोचित रूप में कार्यान्वित हो रही हैं।
- क्षेत्र में, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों। (नि.म.प्र) के साथ संबंध स्थापित करना ताकि वे ग्राम सभाओं तथा पंचायत की बैठकों में महिलाओं को प्रभावित करनेवाले मुद्दे उठा सकें।
- महासंघ द्वारा शराबखोरी, महिलाओं पर अत्याचार तथा बाल-विवाह को शामिलकर सामाजिक मुद्दों को उठाना।
- महासंघ द्वारा जनजाति की महिलाओं, आदिम जाति के परिवारों, वनोत्पादनों के अधिकारों, जनजातीय परिवारों की योजनाओं की समस्याओं को उठाना।
- महासंघ की मार्फत आय उत्पादन क्रिया - कलापों को उठाना।
- महासंघ के लिए एक निकाय निधि का निर्माण कराना।

आरंभिक अवस्था में महासंघ के कार्य में नियोजित महिलाओं ने संघ की निधियों का इस्तेमाल किया। यह शीघ्र ही नितांत स्पष्ट हो गया कि महासंघ का कार्य, बैठकें, प्रशिक्षण, ग्राम संदर्शन आदि के लिए अलग से निधियों की ज़रूरत होगी। महिलाओं ने यह अन्दाजा लगाया है कि महासंघ के कार्य के लिए, प्रत्येक संघ के लिए ३००/- से ४००/-रुपए तक प्रति माह की आवश्यकता होगी।

नंजनगूड एवं पेरियापट्टण महासंघ (ओक्कूट) गैर - जनजातीय और जनजातीय महिलाओं के समुत्थान के संबंध में दिलचस्प अन्तर्दृष्टियां प्रदान करते हैं। महिला समाख्या ज़िलों की कई ताल्लुकाएं नंजनगूड एवं पेरियापट्टण के संघों की महिलाओं का अनुसरण कर रही हैं (गुल्बर्गा में आलंद और चिंचोलि, बिजापुर में बागेवाडि और इंडि, कोप्पल में गंगावति और कुश्तगि, रायचूर में देवदुर्गा, बीदर में औराद और बसवकल्याण तथा बेल्लारि में कूडलिगि।)

महिलाओं को यह स्पष्ट हो गया है कि महासंघों के पास अपनी ही लिंगसंवेदी कार्रवाई योजनाएं होनी चाहिएं। बड़े समुदाय की समस्याओं का सामना करने के लिए उन का संख्या समूह एवं कार्यजाल काम में लाना चाहिए। महासंघ (ओक्कूट) के लिए एक नवोन्मेष कार्रवाई योजना है, उस के लिए एक वैवाहिक कार्यालय के रूप में कार्य करना।

वैवाहिक कार्यालय के रूप में महासंघ (ओक्कूट): एक म.स. नवोन्मेष

संघ की अधिकांश महिलाओं को बाल विवाह की बुराइयों के बारे में जानकारी है। लेकिन उन्हें व्यावहारिक कठिनाइयों से ऊपर उठकर आने में परेशानी होती है। गांवों में महिलाएं सयानी लड़कियों की सुरक्षा के बारे में भयभीत हैं। इस के आगे, लड़की की उम्र ज्यादा हो तो दहेज की मांग भी अधिक होती है। अतः, म.स. कार्यावाहियों में संबद्ध होने पर भी संघ की महिलाएं अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में करा देती हैं। निर्धनता एवं ग्रामीण विद्यालयों में

शिक्षा की कम गुणवत्ता, लड़कियों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के लिए विवश कर देती हैं। इस के परिणामस्वरूप, उन की आयु १८ होने से पहले ही, उन की शादी हो जाती है।

महिलाओं ने इस समस्या के बारे में म.स. टीम के साथ महासंघ (ओक्कूट) की बैठकों में विचार-विमर्श करना आरंभ किया। क्या इस के लिए कोई रास्ता है? क्यों न महासंघ (ओक्कूट) एक वैवाहिक कार्यालय के रूप में कार्य करें और संघ की महिलाओं के बेटे - बेटियों के बीच शादी की व्यवस्था करें? आखिर संघ की महिलाएं, सर्वत्र यह जानती हैं कि उन्हे न दहेज देना चाहिए या लेना चाहिए, उन्हें बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लड़कियों का आदर-सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें अपनी प्रतिष्ठा एवं कौशल का वर्द्धन करने के किए सभी संभाव्य अवसर प्रदान करने चाहिए। संघ के अधिकांश परिवारों में सर्वसामान्य रीति-रिवाज एवं परंपराएं हैं। अब कई महासंघों (ओक्कूट) में महिलाएं पात्र और इच्छुक महिलाओं एव पुरुषों की सूची तैयार करने में व्यस्त हैं! दहेज, बाल विवाह एवं बालिका निष्क्रामण के मुद्दों पर महिलाए गैर संघ के परिवारों पर दबाव डालने में महासंघ की क्षमता देखने लगी हैं। उन के लिए यह एक उपयोगी, व्यावहारिक एवं लिंग मैत्रीपूर्ण मुद्दा है जिसे महासंघ द्वारा उठाया जा सकता है।

अब म.स. टीम महासंघ के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्यसूची को प्रस्फुटित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं - समुचित सामर्थ्य-निर्माण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, महासंघ के लिए एक निकाय निधि की स्थापना करना, महासंघ के लिए एक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए म.स. के कौशलों को विकसित करना।

"हम व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रही हैं। अब हमें दृढ विश्वास है कि हम सामुदायिक स्तर पर कार्य कर सकती हैं।"

गत २-३ वर्षों में, म.स. गांव एवं ताल्लुका स्तरों पर समुदाय में, लिंग और सामाजिक न्याय संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श एवं कार्रवाई करने के लिए, एक केन्द्र बिन्दु के रूप में अधिकाधिक कार्य कर रही है। विभिन्न अभिकरण, समुदाय के लिए कड़ियों के रूप में म.स. समूहों के पास आ रहे हैं। गैर संघ की महिलाएं एवं परिवार सूचना, समर्थन एवं समस्या समाधान के लिए संघ के मुखापेक्षी हैं।

सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अभिकर्त्ता के रूप में रामपुरा संघ

बीदर ज़िला, बसवकल्याण ताल्लुका के रामपुरा गांव में, एक लिंगायत परिवार की १९-वर्षीया लड़की अपनी शादी के एक माह के अन्दर ही विधवा हो गयी। गांव के ' बुजुर्ग ' तथा परिवार ने उसे अपने ससुरालवालों के साथ रहने की सलाह दी ताकि वह सम्पत्ति में एक हिस्से का दावा कर सके। संघ में, जिस में कई जातियों की निर्धन महिलाएं हैं, इस मामले पर चर्चा की गयी। संघ की महिलाओं ने उस लड़की एवं उसके परिवार को बताया कि सिर्फ कुछ संपत्ति प्राप्त करने की अपेक्षा लड़की का भविष्य अति महत्त्वपूर्ण है। यदि वह अपने पति के परिवार के साथ रहने जाएगी तो उस के भाइयों एवं रिश्तेदारों से उसे बचाना मुश्किल होगा। संघ की महिलाओं की सलाह का अनुसरण करते हुए परिवारवालों ने यह व्यवस्था कर दी है कि लड़की अपनी पढ़ाई जारी रखें। संघ की महिलाओं ने लड़की को यह प्रोत्साहन दिया है कि यदि वह भविष्य में दूसरी बार शादी करना चाहती हो तो उस के बारे में सोचें।

एक सामुदायिक संसाधन के रूप में संघ

म.स. संघों को न केवल गांव के परिवारों द्वारा अपितु सरकारी विभागों को शामिल कर स्थानीय संस्थाओं द्वारा एक समुदाय संसाधन के रूप में अधिकाधिक देखा जा रहा है। निम्नलिखित मामला अध्ययन यह निदर्शित करता है कि पुलिस ने किस प्रकार समुदाय के साथ अपनी सहलग्नताओं को स्थापित करने एवं अपने नियत कार्यों को करने के लिए संघ का इस्तेमाल किया।

बीदर ज़िले में, बसवकल्याण ताल्लुका, हरकुड गांव की संघ विधिक समिति की सदस्याओं ने निकटतम पुलिस थाने का, जानकारी हासिल करने एवं उन्हें संघ के कार्यकलापों का परिचय कराने के लिए संदर्शन किया। यह विधिक समिति प्रशिक्षण में एक कार्रवाई बिन्दु था। वे बहुत ही भयभीत होकर गयी थीं, "क्या हम कुटिला या अपराधी हैं, जो यहां आयी हैं?" यह तो समझ में आनेवाली बात है क्योंकि कई स्थानों में पुलिस की छवि नकारात्मक है, विशेषकर निर्धन या शक्तिहीन के साथ। लेकिन पुलिस कर्मी उन से मिलने में प्रसन्न थे। उन्होंने महिलाओं से कहा कि यह संभावित था कि पुलिस विभाग महिला समूहों के साथ नियमित बैठकें करें। क्या इन बैठकों का आयोजन संघ के लिए अथवा अपने घटक की बैठकों में उन्हें आमंत्रित करने के लिए साध्य था? विचार-विमर्श के अंत में संघ की महिलाएं एवं पुलिसकर्मियों ने मिलकर काम करने के लिए नए तरीकों को ढूंढ निकाला।

एक और महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि कई और बहुजातीय समूहों का उदय हो रहा है। म.स. संघों की सफलता देखकर उसी गांव में अथवा निकटवर्ती गांवों में महिलाएं नए संघों को बना रही हैं। इस से महिलाओं को जाति अवरोधों के सम्मुख काम करने में मदद मिल रही है।

रायचूर ज़िला, मन्वि ताल्लुका, नवलकल गांव में ३४ महिलाओं सहित एक बहुजातीय संघ है। २ वर्ष पहले उस का आरंभ हुआ था। संघ की महिलाओं ने अपने गांव में अपने लिए और गांव में दूसरी महिलाओं के लिए भी एक गंभीर समस्या के रूप में अनियंत्रित मध्यपानता को पहचाना। संघ की महिलाओं ने कहा, *"क्यों एकमात्र हम ही लोगों को विरोध करना चाहिए? हम पूरे गांव को सम्मिलित करें।"* उन्होंने गांव के प्रमुखों तथा बडी संख्या में गांववालों का समर्थन जुटाया। उपायुक्त, तहसीलदार एवं पुलिस थाने को लिखित पत्र में उन्होंने 'रास्ता रोको' द्वारा विरोध करने की अपनी इच्छा जतायी। दिनांक १.७.२००० को दो हजार लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। फलस्वरूप अनुज्ञप्तिरहित दुकान को जबरदस्ती से बन्द करवाया गया।

उपायुक्त को लिखित एक पत्र में संघ की महिलाओं ने एक अनुज्ञप्त दुकान द्वारा सृजित समस्या को उठाया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं थी तो उन्होंने दो ट्रैक्टर भाडे में लिए, अपना खाना साथ में लिया और उपायुक्त के कार्यालय में रात के आठ बजे तक पड़ाव डाला। अगले दिवस (अमावास्या होने पर भी) 'रास्ता रोको' का प्रदर्शन किया और शराब की लारी रोक दी। अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकान अब भी चल रही है, लेकिन उस के बाद लारी गांव में नही रुक सकती। विशेषतः संघ के परिवारों में मद्यपान कम हो गया है। संघ की महिलाएं यह बताती हैं कि अत्याचार कम हो गया है और शराब पर अनावश्यक खर्च भी कम हो गया है।

महिलाओं की आगमी पीढ़ी के साथ कार्य करना - किशोरी संघ

"मैं अपनी मां को प्यार करती हूं, लेकिन मैं उस के बराबर नहीं बनना चाहती हूं।"

उन वयस्क महिलाओं को जिनके जीवन वरण पहले ही कर दिए गए हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने

के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। इन संघर्षों को देखने से उन जवान लड़कियों के साथ जिन के सामने अपने भविष्य के बारे में सभी विकल्प थे, काम करने का महत्त्व महसूस करने में मदद मिली।

अतः गत वर्ष के दौरान एक प्रमुख नवीन केन्द्र क्षेत्र किशोरी संघों द्वारा, किशोरावस्था की लड़कियों के साथ म.स. कार्य है। इससे पहले, किशोरियों के साथ औपचारिक नियमित अन्तःक्रिया महिला शिक्षण केन्द्र में थी अथवा नामांकन अभियान एवं गांव के स्तर के कई अन्य कार्यकलाप सदृश छोटी घटना आधारित अन्तःक्रियाओं के दौरान थी। हमने यह अनुभव किया कि किशोरी संघों की मार्फत कार्य करना संभव है। गत वर्ष के दौरान बीदर, बिजापुर, गुल्बर्गा, रायचूर और कोप्पल में किशोरी संघ बनाए गए हैं (तालिका २.४)। किशोरियां संघ प्रलेखीकरण, आवेदन लिखना, संघ पत्राचार तथा इसी प्रकार के कार्यकलापों में महिलाओं की मदद करती हैं। दूसरी ओर, महिलाएं लड़कियों को संघ द्वारा लिए गए विभिन्न मुद्दों पर निवेश देती हैं। जिस भांति लिंग संबंधी न्याय के लिए लड़कियां संघ के विभिन्न कार्यकलापों एवं अभियानों को देखती हैं और उन में शामिल हो जाती हैं, उन के बोध के स्तर बढ़ जाते हैं। वह एक उपकारक एवं स्फूर्तिदायक आपसी रिश्ता है (देखें तालिकाएं २.४ और २.५)।

किशोरियों ने महिला संघ की तरह मुद्दे आधारित समितियां बनायी हैं। उन्होंने अधिकतम स्थानों में बचत के अपने ही क्रियाकलाप २/- रुपए प्रति हफ्ता अंशदान के साथ आरंभ किए हैं। लेकिन बैंक उन के लिए खाता खोलना नहीं चाहता है क्योंकि उन की शादी के बाद वे गांव छोड़कर चली जाएंगी। फिर भी लड़कियां अच्छे काम के लिए पैसे लगा रही हैं। किशोरी संघों ने जेवर्गि ताल्लुका का अंदोला और गुल्बर्गा ज़िले की अफज़लपुर ताल्लुका, गोब्बूर - बी में महिला संघ को स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित व्ययों के लिए धन के ऋण दिए हैं। मिलजुलकर लड़कियां समय-पूर्व शादी का विरोध करने, शिक्षा के लिए अवसरों की मांग करने, दूसरे गांवों का सैर करने आदि के बारे में अधिक विश्वस्त हैं। कई लड़कियां गैर संघ के परिवारों से किशोरी संघों में शामिल हो गयी हैं। लिंग संबंधी न्याय के म.स. सन्देश का प्रसार करने के लिए यह एक अच्छा रास्ता है।

मार्च २००१ में एक किशोरी मेले के लिए रायचूर में ७ म.स. जिलों में फैले ११४ से ३२० किशोरियां एक साथ आयीं। किशोरियों से बाल विवाह, अत्याचार, स्कूल-निष्क्रामण और रजोदर्शन संस्कारों को शामिलकर लिंग संबंधित मुद्दों पर अपने अनुभवों की जानकारी एकत्रित की गयी। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं लिंग पर नए निवेश उनके जीवनानुभव से जोड़े गए। गांव के प्रारंभिक संदर्शन एवं मेले के पश्चात् सहभागियों द्वारा उठाए गए कार्रवाई बिन्दुओं को शामिलकर मेला प्रक्रम ने लड़कियों तक पहुंचने के संपूर्ण प्रक्रम को प्रोत्साहन दिया है। उसी माह में, गुल्बर्गा में उसी प्रकार के मेले का अनुसरण किया गया। इस में संघ के २३ गांवों सें करीब १४६ लड़कियों ने उपस्थिति दी। इन में से १३ गांवों में किशोरी संघ थे जबकि १० गांवों में किशोरियों के अपने ही अलग संघ नहीं हैं, लेकिन वे महिला संघों के साथ कार्य करती हैं। इस प्रक्रम द्वारा जवान लड़कियों को अपने नए भविष्य को आकार देने में आवश्यक विश्वास एवं जानकारी मिल रही है।

उन परिवारों में जहां मां-बेटी संघ में शामिल हैं, पारिवारिक मनोभाव को पहले की अपेक्षा बदलना आसान हो रहा है। महिलाओं की दो पाढ़ियों के साथ काम करने से म.स. सशक्तीकरण प्रक्रमों को बल मिल रहा है।

तालिका - २.१ : कार्यक्रम की व्याप्ति एवं विस्तार

संघ की महिलाओं एवं म.स. टीम द्वारा कार्यक्रम को शक्तिशाली बनाने एवं विस्तार करने के लिए किए गए कार्य का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है

१	२	३	४			५	६	७
क्रम संख्ये	ज़िला	नियमित संघ	समस्यात्मक संघ पुनर्नवीकृत (क)		अस्थायी रूप से अपक्रियात्मक (ख)	महिलाओं द्वारा नए संघ	कुल	अपक्रियात्मक(ग)
			महिलाओं द्वारा	म.स.क. द्वारा				
१.	बेल्लारि	८४	४	१	३	९	१०१	५
२.	बीदर	१९४	८	१८	१२	१४	२४६	२१
३.	बिजापुर	१७१	४	१६	१५	८	२१४	१५
४.	गुल्बर्गा	१४९	-	१२	६	-	१६७	१८
५.	कोप्पल	९६	-	-	१३	३१	१४०	-
६.	मैसूर	५५	२९	२५	२०	१०	१३९	१७
७.	रायचूर	५९	-	३	६	७	७५	१०
	कुल	८०८	४५	७५	७५	७९	१०८२	८६

तालिका २.१ में ध्यान देने योग्य अंश

१. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष म.स. हस्तक्षेपों द्वारा अब करीब १४०० गांवों को समाविष्ट किया जाता है।

२. इस बात के लिए कि कौनसा समूह संघ के नाम से अभिहित किया जाता है कठोर निकष प्रयुक्त किए गए हैं। औपचारिक संघों की संख्या यथा मार्च २००१ को १०८२ है। इस में वे ७५ कमज़ोर संघ भी शामिल हैं जिन्हें महासंघ (ओक्कूट) प्रक्रमों एवं म.स. टीम द्वारा मज़बूत किया जा सकता है।

३. म.स. प्रक्रमों को मज़बूत बनाना तथा संघ की महिलाओं का सशक्तीकरण इस तथ्य से दिखाए जाते हैं कि संघ की महिलाओं द्वारा ७९ नए संघ आरंभ किए गए हैं जबकि उनके द्वारा ४५ कमज़ोर संघ पुनरुज्जीवित किए गए हैं।

४. चामराजनगर ज़िले (पूर्व मैसूर) के कोल्लेगाल ताल्लुका में अतिरिक्त ४४ संघ सोलिग अभिवृद्धि संघ द्वारा लिए गए हैं। इस समय, इस क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है। इन्हें कुल में शामिल नहीं किया गया है।

५. एक अधिक संख्यक म.स. गांवों, साथ ही निकटवर्ती देहातों में महिलाओं ने म.स. संघ की पंक्तियों पर संघ बनाए हैं। उदाहरण के लिए, गुल्बर्गा ज़िले में स्तंभ ६ में दर्शाए गए १६७ संघों के अतिरिक्त ३२ अधिक संघ म.स. के प्रत्यक्ष हस्तेक्षेप के बगैर म.स. के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सभी अन्य ज़िलों में समान प्रक्रम चल रहे हैं। इन्हें कुल में शामिल नहीं किया गया है।

६. १५१ म.स. गांवों में पृथक् से किशोरी संघ हैं।

७. ८६ अतिरिक्त गांवों में (स्तंभ ७) काम बंद कर दिया गया है क्योंकि और निवेश संघ को मज़बूत नहीं कर सकते। इन्हें कुल में शामिल नहीं किया गया है।

८. महिलाएं कई कठिन कार्य उठाती हैं, लेकिन, फिर भी, साक्षरता एवं गणित तथा विज्ञान के मूल सिद्धान्तों के कौशलों को, रुकावट के भारी प्रखंडों के रूप में पाती हैं। इस के प्रत्यक्ष परिणाम में, बच्चों के रूप में उनकी शैक्षिक वंचना तथा वयस्कों के रूप में काम के भारी बोझ हैं। इस के बावजूद २०० संघों में महिलाएं एवं किशोरियां, बाह्य सहायता के बिना संघ का प्रलेखीकरण कर रही हैं।

तालिका - २.२ : मुद्दा आधारित कार्रवाई, साझेदारी एवं प्रशिक्षण हेतु संघ की समितियां

ज़िला	संघ की कुल संख्या	आ.नि.सं.			पंचायत राज			लिंग			स्वास्थ्य			साक्षरता			विधिक साक्षरता			आ.वि.का.			उन संघों की संख्या जहां समितियां नहीं बनायी गयी हैं
		१	२	३	१	२	३	१	२	३	१	२	३	१	२	३	१	२	३	१	२	३	
बेल्लारि	१०१	६३	१३५	-	६२	१३०	-	६२	१३०	३४	६२	१३५	५३	५९	१३५	४१	६०	१३१	-	६०	१४२	-	४९
बीदर	२४६	२४६	६२७	-	२४६	५६६	४५	२४६	५७३	-	२४६	५३४	१३५	२४६	६०६	-	२४६	५८९	३५७	२४६	५६६	-	-
बिजापुर	२१४	१८८	३७५	-	१८८	३७५	३१	१८८	३७५	१५३	१८८	३७६	२६४	१८८	३७६	१५३	१८८	३७७	२०	१८८	३७२	-	२५
गुल्बर्गा	१६७	१५१	३७८	-	१५१	३७३	-	१५१	३७१	-	१५१	३८०	२५१	१५१	४०४	३५	१५१	४०५	२९०	१५१	३८७	-	१६
कोप्पल	१४०	११२	२९९	-	११२	३३४	-	११२	३३३	२०७	११२	३१९	-	११२	३१५	२३९	११२	३३३	-	११२	३३४	-	२८
मैसूर	१३९	११३	२२६	१८६	-	-	-	-	-	-	१०२	२०४	१८०	-	-	-	१०२	२०४	१८१	१०२	२०४	१७२	५४
रायचूर	७५	६५	१३४	-	६५	१२४	-	६५	१२८	३८	६५	१३०	३९	६५	१३१	४३	६५	१२६	-	६५	१२०	-	१४
कुल	१०८२	९३८	२१७४	१८६	८२४	१९०२	७६	८२४	१९१०	४३२	९२६	२०७८	९२२	८२१	१९६७	५११	९२४	२१६५	८४८	९२४	२१२५	१७२	१८६

१. संघों की संख्या; २. संघ की समितियों में महिलाओं की संख्या

३. औपचारिक समिति प्रशिक्षणों में भाग लेनेवाली महिलाओं की संख्या

तालिका - २.३ : संघ की कार्रवाई में साझेदारी करने और योजना बनाने हेतु घटक और ताल्लुका की नियमित बैठकें

क्रमसंख्या	ज़िला	घटकों की संख्या	आयोजित मासिक घटक सभाएं	आयोजित ताल्लुका महासभाओं की संख्या
१.	बेल्लारि	१४	२२	१२
२.	बीदर	२२	१३१	७
३.	बिजापुर	२०	१४४	२
४.	गुल्बर्गा	१७	१०१	२
५.	कोप्पल	१४	१०५	-
६.	मैसूर	१४	५*	२५
७.	रायचूर	८	४५	७
	कुल	१००	५४८	५५

* मैसूर ज़िले में घटक की नियमित बैठकें नहीं होती हैं। बदले में संघ के प्रतिनिधि ताल्लुका स्तर पर सीधे मिलते हैं।

तालिका - ३.४ किशोरी संघ

क्रमसंख्या	ज़िला	किशोरी संघों की संख्या			गांवों की संख्या	किशोरी संघों में सदस्याओं की संख्या
		संघ की महिलाओं द्वारा निर्मित	म.स.क. द्वारा निर्मित	कुल		
१	बेल्लारि	३	३१	३४	३४	३४६
२	बीदर	३	३१	३४	३४	४४४
३	बिजापुर	११	१९	३०	३०	४१०
४	गुल्बर्गा	२०	७	२७	२७	३२४
५	रायचूर	११	१५	२६	२६	२९७
	कुल	४८	१०३	१५१	१५१	१८२१

तालिका - २.५ : (जिन गांवों में पृथक् से किशोरी संघ नहीं हैं उन में)
संघ के क्रियाकलापों में किशोरियों की सहभागिता

ज़िला	उन महिला संघों की संख्या जहां किशोरियां संबद्ध हैं	किशोरियों की संख्या	किशोरियों द्वारा उठाए गए कार्यकलाप
बेल्लारि	३१	७४	• शिक्षक एवं शिक्षार्थी के रूप में साक्षरता एवं गणित तथा विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत, म.स. समाचार-पत्र संचारी के वाचन में संघ की महिलाओं की सहायता करना, संघ के प्रलेखीकरण एवं पत्राचार तथा आवेदन लिखने व फार्म भरने में संघ की महिलाओं की सहायता करना।
बीदर	३३	२४८	• कहानी सुनाने और गीतों द्वारा लिंग संबंधी मुद्दों पर संवादवहन में संघ की बैठकों में भाग लेना।
बिजापुर	२८	८७	• घटक स्तर की बैठकों, ग्राम सभाओं, विद्यालय परिवीक्षण संदर्शनों, श्रमदान, स्वास्थ्य प्रशिक्षण जैसे संघ के क्रियाकलापों में भाग लेना।
गुल्बर्गा	३	१०	• जनगणना, पल्स पोलियो कार्यक्रम, राष्ट्रीय उत्सवों का आचरण जैसे स्थानीय क्रियाकलापों में सहायता करना।
कोप्पल	कार्यवाही इस वर्ष आरंभ की गयी		• बचत कार्यों को हाथ में लेना।
मैसूर	३१	१३७	
रायचूर	८	२९	
कुल	१३४	५८५	

महिला शिक्षा के अवरोधों [redacted]

संघ शिक्षा मुद्दे उठाते हैं

संघों ने महिलाओं और लड़कियों की शैक्षिक अवस्था बढ़ाने के लिए रणनीतियों की एक विस्तृति ली है। वे लड़कियों की पहुंच पाने की शक्ति में सुधार लाने के लिए शिक्षा प्रणाली के साथ कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ लड़कियों का नामांकन एवं निष्क्रामण सुधारने के लिए समुदाय एवं परिवारों के साथ कार्य कर रहे हैं।

गत वर्ष के दौरान राज्य में शिक्षा प्रणाली के साथ म.स. की अन्तःक्रियाओं को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया गया है। महिला समाख्या, विद्यालय नामांकन अभियानों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। राज्य सरकार म.स.से ऐसे क्रियाकलापों में उसके व्यापक तृणमूल स्तर का आधार एवं संबंधों की मान्यता में अधिकाधिक रूप से संबद्ध होने की मांग कर रही है। तालिका ३.१ विद्यालय में भर्ती के लिए म.स. ज़िलों द्वारा किए गए उपक्रमों को दर्शाती है। गतवर्षानंतर का जोड़ ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दिखाता है।

ग्रामीण विद्यालयों के सामुदायिक परिवीक्षण में मुख्य भूमिका उठाना

गतवर्ष के बराबर, ३२९ म.स. गांवों से ४९४ संघ महिलाओं का, ग्राम शिक्षा समिति की सदस्याओं के रूप में चयन किया गया (तालिका - ३.२)। तालिका - ३.३ यह दर्शाती है कि संघ की महिलाएं ग्रा.शि.स. की सदस्याएं न होने पर भी, संघ शिक्षा समिति की सदस्याओं की अपनी क्षमता में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं एवं कार्यक्रमों के साथ अन्तःक्रिया की है। कई गांवों में, दूसरी श्रेणी की महिलाओं के सामने जब वह स्कूल गयीं, समस्याएं आयीं। "स्कूल के बारे में यह सब प्रश्न पूछने के लिए तुम कौन होती हो? तुम निरक्षर महिलाएं यहां क्यों आती हों?" आम तौर पर महिलाएं यह जवाब देती हैं कि उन्हें हर प्रकार का अधिकार है क्योंकि वे भी समुदाय की सदस्याएं हैं। संघ की शिक्षा समिति की सदस्याएं अंगनवाड़ी के परिवीक्षण से लेकर निष्क्रामितों का स्कूल में नामांकन, शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ विचार-विमर्श, सर्वांगीण भ्रष्टाचार की ओर संकेत, विद्यालयों में पीने का पानी एवं शौचालय सुविधाओं की जांच तक क्रियाकलापों की एक विस्तृति ग्रहण करती हैं। कोप्पल ज़िला संघ शिक्षा समिति की सदस्याओं का एक कार्यजाल (नेटवर्क) तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

ग्राम शिक्षा समिति (ग्रा.शि.स.) द्वारा कार्य करना

कोप्पल ज़िले की गंगावति ताल्लुका के मुसलमपुरा में संघ की महिलाओं में से ग्रा.शि.स. की एक सदस्या है। गांव के कुछ लोग एक शिकायत लेकर संघ के पास आए। इस तथ्य के बारे में कि बच्चों के साथ उन के शिक्षक निरंतर दुर्व्यवहार करते हैं तथा उन्हें फटकार सुनाते हैं, उन्होंने चाहा कि संघ कुछ करें। यह आश्वस्त करने के बाद कि यह सत्य है, संघ की महिलाओं ने प्रधानाध्यापक के साथ यह विषय उठाया। शिक्षकों को उन के बर्ताव के बारे में चेतावनी दी गयी और स्थिति में सुधार आया। यह एक दिलचस्प मामला है जहां गांव के लोग अपनी समस्याओं के लिए संघ से समाधान ढूंढते हैं।

कोप्पल ज़िला, येलबुर्गा ताल्लुका के मलकसमुद्र संघ में, संघ शिक्षा समिति की सदस्याएं देवम्मा

तथा हम्पम्मा ने खुद ग्रा.शि.स. की सदस्याएं बनने के बारे में स्थानीय शिक्षक के साथ बात की। किन्तु कुछ हफ्ते बाद उन्होंने पाया कि उन की जानकारी के बिना चुनाव हो गए हैं। वे ग्रा.शि.स. की बैठक में गयीं और अनुरोध किया कि अपनों में से किसी एक को सदस्या बनायी जाए। शाला शिक्षक, दलपति और अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। दलपति ने कहा कि पहले ही ग्रा.शि.स. में ५ महिलाएं हैं और इन में से किसी एक को त्यागपत्र देने का अनुरोध कर ग्रा.शि.स. में संघ की महिलाएं आ सकती हैं। इस के लिए देवम्मा ने जवाब दिया, **"ये महिलाएं भी किसी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्हें हम हटाना नहीं चाहती हैं। आपको हमारे लिए दूसरा स्थान देना चाहिए।** " दूसरी महिलाओं के लिए उन की फिक्र देखकर दलपति प्रभावित हुआ। अंत में देवम्मा के पक्ष में एक पुरुष सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया।

बन्नूर संघ (गुल्बर्गा ताल्लुका, गुल्बर्गा ज़िला) की श्यामाबाई ग्रा.शि.स. की एक सदस्या है। वह ग्रा.शि.स. की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थिति देती है। उस ने यह गौर किया था कि प्रधान तथा शिक्षक दोनों ही अनियमित थे और अपनी इच्छानुसार स्कूल आते थे। जब वह इसे बैठक में ले आयी तो शिक्षक गाली-गलौज पर उतर आए। "तुम जैसे लोगों को जो केवल अंगूठे का निशान लगाना आता है, अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए और असंगत बातें बोलनी नहीं चाहिए। " उसे नीचा दिखाने के और उसका मुहं बंद करने के उनके प्रयासों के बावजूद श्यामाबाई अपनी बात पर अड़ी रही। "*चूंकि हम पढ़ी-लिखी नहीं हैं, अतएव हमें इस बात की चिन्ता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यह केवल शिक्षक की नियमित उपस्थिति के बारे में नहीं है। वह हर दोपहर को स्कूल के समय में किसी पुरुष के साथ जाती है। स्कूल के परिसर में वह ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती है। उसका बुरा नतीजा हमारे बच्चों पर पड़ता है।* " समिति के दूसरे सदस्यों ने श्यामाबाई का समर्थन किया और उस महिला शिक्षक को अपना बर्ताव सुधारने की चेतावनी दी।

श्यामाबाई ने शिक्षक का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया था। किन्तु इस का नतीजा और भी दिलचस्प है। वह शिक्षिका संघ आयी और महिलाओं को बताया कि किस तरह वह लम्बे समय से, अपने पति से, जो एक परायी स्त्री के साथ रह रहा है, सतायी हुई है। जो आदमी स्कूल में उससे मिलने आया था वह दयालु और सुशील था। उन्होंने शादी करने की योजना बनायी थी। संघ की महिलाओं ने उसे उत्कृष्ट सलाह दी, "क्यों न तुम अपने पति से विवाह विच्छेद लेकर उस दूसरे पुरुष के साथ शादी कर सकती हो। उस रीति से दोनों ही तुम्हारा शोषण नहीं कर सकते। "

कोप्पल ज़िले में गंगावति ताल्लुका के बहु-जातीय बसरिहल्ल की २५ महिलाओं ने पाया कि पिछले ७ महिनों के लिए स्कूल राशन नहीं दिए गए हैं। ग्रा.शि.स. में इस मामले पर चर्चा की गयी क्योंकि संघ की एक महिला उस की सदस्या थी। एक हफ्ते के अन्दर संघ की महिलाओं ने गांववालों की एक बैठक बुलायी और उस में यह जानकारी दी। यह निश्चय किया गया कि वे संबंधित निरीक्षक को लिखकर जांच करने के लिए कहेंगे। यह पदाधिकारी गांव आया और संघ की महिलाओं ने यह आश्वस्त किया कि ७ महिनों के लिए राशन बराबर वितरित किए गए।

बेल्लारि ज़िले की कूडलगि ताल्लुका में गंगम्मनहल्लि संघ की महिलाओं को यह मालूम हुआ कि ५० कि.ग्रा. चावल का ढ़ेर आंगनवाड़ी के एक शिक्षक द्वारा पड़ोसी गांव सुंकदकल्लु के एक सहायक के आंख मिचकाने से दुर्विनियोग किया जा रहा है। जैसे ही वह सहायक बस उड्डे में, उसे ले जाने के यत्न में था तो उन्होंने किसान (रैत) संघ के आदमियों की सहायता से चावल का थैला उठा लिया। उन्होंने गांव में ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों को सूचित कर दिया। इस घटना के बारे में विभाग को भी शिकायत करने का निर्णय लिया गया।

संघ की महिलाएं, इस तरह भ्रष्ट आचारणों को चुनौती देना आरंभ कर रही हैं। मुख्यधारा संस्थाओं तथा सरकारी मुलाज़िमों सें जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने में, ये महत्त्वपूर्ण प्रयास हैं। इस के आगे महिलाएं लड़कियों की शैक्षिक पहुंच में रुकावट डालनेवाला बाल विवाह जैसी संबद्ध समस्याओं से जूझ रही हैं। (देखें पृष्ठ सं १२)

महिलाएं अपना साक्षरता स्तरों को भी बढ़ाने में कार्य कर रहीं हैं। सफल रणनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- महिलाएं जो पिछले वर्ष साक्षरता शिविरों में उपस्थित थीं वे गांव में अपने बच्चों या किशोरियों की सहायता से, अपने प्रयास जारी रक्खी हुई हैं।
- संघ विस्तार के एक भाग के रूप में, कई संघों ने पढ़ना-लिखना जाननेवाली महिलाओं एवं लड़कियों को संघ में शामिल होने के लिए अनुनय-विनय किया है।
- किशोरावस्था की कन्याओं के लिए कई आवासीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए हैं।
- किशोरी संघ, महिला संघों को लिखाई और पढ़ाई में मदद करते हैं।

शिक्षा पर केन्द्रित अन्य म.स. के उपक्रम तालिका ३.४ में दर्शाए गए हैं। ये हैं -

- महिला शिक्षण केन्द्र।
- बीच में स्कूल छोड़कर जानेवालों के लिए सेतु पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- संघ की महिलाओं एवं किशोरियों के लिए अल्पकालीन आवसीय साक्षरता शिविरों को आयोजित करना।

बिजापुर और गुल्बर्गा ज़िलों में महिला शिक्षण केन्द्र हैं जहां निर्धन परिवारों से लड़कियां १०वीं कक्षा परीक्षा लिखने के लिए एक औपचारिक शिक्षा से गुज़रती हैं। इस के अतिरिक्त बिजापुर ज़िले ने मुख्यधारा शिक्षा प्रणाली में पुनःप्रवेश करने हेतु लड़कियों की मदद करने के लिए एक आठ मासीय प्रयोगात्मक सेतु पाठ्यक्रम चलाया।

संघ की महिलाएं हमेशा अपनी व्यग्रता व्यक्त करती हैं-*"हमें तो कभी भी शिक्षा के लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिला। हम चाहती हैं कि हमारी बेटियों के जीवन भिन्न हों?"*

किन्तु उन के द्वारा किए गए भीषण प्रयासों के बावजूद महिलाओं एवं लड़कियों की अपर्याप्त शैक्षिक उपलब्धि के लिए बुनियादी कारणों को दूर करना या हटाना आसान नहीं है। जैसाकि यह सुविदत है कि इस वंचना में हीन गुणात्मक तथा लिंग - अंसवेदी शिक्षा प्रणाली बड़ी भूमिका निभाती हैं। मार्च २००१ में, रायचूर में किशोरावस्था एवं पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों के लिए जानकारी मेले में एकत्रित सूचना ने यह बताया कि ये दो विशेषक अध्यारोही हैं जिन से निर्धन, गांव की लड़कियां अर्थपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं।

(तालिका ३.५)। इस बारे में भी सूचना इकट्ठी की गयी कि कुछ लड़कियों ने बीच में ही स्कूल छोड़कर जाने से पहले, कहां तक पढाई की थी (तालिका ३.६)। इस के आगे यह तालिका इस तथ्य को उजागर करती है कि उन की अत्यधिक निर्धनता एवं अन्य असुविधाओं के बावजूद संघ के परिवारों ने उन की बेटियों को कुछ स्तर तक शिक्षा देने की कोशिश की है। यदि शिक्षा प्रणाली ऐसी लड़कियों की आवश्यकता के लिए अधिक संवेदी होती, तब और अधिकों को बेहतर शिक्षा मिल सकती थी। उपलब्ध शिक्षा की गुणात्मकता भी कम है। आवासीय साक्षरता शिविरों में म.स. टीम ने यह पाया कि ७ वीं कक्षा तक नियमित रूप से स्कूल जानेवाली लड़कियां लिख पढ़ नहीं सकती हैं। ये लड़कियां कई वर्षों तक स्कूल में थीं और ७ वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया क्योंकि इन के परिवारों में यह सोच थी कि इससे कुछ प्रयोजन नहीं निकलनेवाला था।

ये सर्वांगीण समस्याओं के रूप में बने रहेंगे जो शिक्षा प्रणाली को महामारी की तरह ग्रस्त कर रखेंगे और इस में परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब राजनीतिक संकल्प हो और ऐसा करनें के लिए वचनबद्धता हो।

तालिका - ३.१ : विद्यालय नामांकन सारिणी (२०००-२००१)

ज़िला	गांवों की संख्या	अनौपचारिक शिक्षा से		शिशुगृहों से		समुदाय		कुल	
		लड़कियां	लड़कें	लड़कियां	लड़कें	लड़कियां	लड़कें	लड़कियां	लड़कें
बेल्लारि	११	३	-	-	-	१०	१०	१३	१०
बीदर	६२	५७	४६	-	-	१५४५	१७२९	१६०२	१७७५
बिजापुर	१५	१६	१८	३०	२६	२४	१६	७०	६०
गुल्बर्गा	५३	५	४	१०	१०	९३	७४	१०८	८८
कोप्पल	५३	-	-	-	-	९९६	१६५३	९९६	१६५३
मैसूर	४०	९	५	२२	१३	१४५	४८	१७६	६६
रायचूर	३३	-	-	१४८	११३	६१०	५३८	७५८	६५१
कुल	२६७	९०	७३	२१०	१६२	३४२३	४०६८	३७२३	४३०३

तालिका - ३.२ : संघ की महिलाएं ग्राम शिक्षा समिति की सदस्याओं के रूप में (वर्ष २०००-२००१ वर्ष के लिए) कार्य करती हैं।

क्रम संख्या	ज़िला	संघों/गांवों की संख्या	उन महिलाओं की संख्या जो ग्रा.शि.स. की सदस्याएं हैं।
१	बेल्लारि	२७	३८
२	बीदर	२८	४२
३	बिजापुर	६८	८८
४	गुल्बर्गा	६८	७३
५	कोप्पल	६४	१२६
६	मैसूर	३३	४८
७	रायचूर	४१	७९
	कुल	३२९	४९४

क्रियाकलाप

संघ की ग्रा.शि.स. की सदस्याओं ने निम्नलिखित को शामिलकर कई कार्यों को हाथ में लिया है।

- विद्यालय एवं आंगनवाड़ी के छात्र-छात्राओं के साथ विचार-विमर्श।
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को यथोचित पीने का पानी तथा शौचालय सुविधाओं सहित स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश उपलब्ध है।
- विद्यालयों एवं छात्रावासों में बच्चों का नामांकन।
- बीच में ही स्कूल छोड़नेवालों को प्रेरित कर उनका नामांकन कराना।
- विभिन्न सर्वेक्षणों, राष्ट्रीय दिवसों, समुच्चय बैठकों, सामुदायिक कार्य, विद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेना।
- भ्रष्ट आचरणों के बारे में पूछताछ करना।

तालिका - ३.३ : संघ की शिक्षा समिति की सदस्याएं जिन्होंने विद्यालयों और आंगनवाड़ियों (गैर. ग्रा.शि.स.) का मुआइना किया है

क्रम संख्या	ज़िला	संघ	महिलाओं की संख्या
१	बेल्लारि	२२	७२
२	बीदर	१०४	२९९
३	बिजापुर	२०	१६३
४	गुल्बर्गा	८९	१७५
५	कोप्पल	७२	१७४
६	मैसूर	२७	८४
७	रायचूर	६५	५०२
	कुल	३९९	१४६९

संघ शिक्षा समिति की महिलाओं ने दूसरे गांवों में ग्रा.शि.स. की सदस्याओं के कई कार्यों को हाथ में लिया है (यथा तालिका ३.२ में) | उन्होंने विद्यालयों में संघ के क्रिया-कलापों के बारे में बात की है | जहां आवश्यक हो वहां, आंगनवाड़ी के नए केन्द्रों को खोलने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बा.वि.प.अ.) को आवेदन दिए हैं | बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, राशन एवं अन्य सुविधाओं के बारे में पूछताछ की है | अतः, हालांकि वे ग्रा.शि.स. की सदस्याएं नहीं हैं, उन्होंने महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई हेतु पहल की है तथा गांव के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन रही हैं |

तालिका - ३.४ : शिक्षा संबंधी अन्य सूत्रपात*

क्रम संख्या	शिक्षा संबंधी सूत्रपात	बीदर	बिजापुर	गुल्बर्गा	मैसूर	केन्द्रों की संख्या	बच्चों की कुल संख्या
१	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या	१९	३४	१३	११	७७	-
२	अनौपचारिक शिक्षा में छात्र-छात्राओं की संख्या	३३४	७९१	२११	२५०	-	१५८६***
३	शिशुगृहों की संख्या	-	१२	१५	३	३०	-
४	शिशुगृहों में बच्चों की संख्या	-	३१०	२७२	११६	-	६९८
५	म.स.क. की कुल संख्या	१	१	१	-	३	-
६	म.स.क. में छात्राओं की संख्या	११०	१६**	२८	-	-	१५४
	कुल					११०	२४३८

* बेल्लारि, कोप्पल और रायचूर ज़िलाओं ने, फिलहाल इन सूत्रपातों को हाथ में नहीं लिया है |

**सेतु पाठ्यक्रम बच्चों को शामिलकर

***१५८६ बच्चों में से अनौपचारिक शिक्षा में ८८१ लड़कियां तथा ७०५ लड़के

तालिका - ३.५ : किशोरी मेला : भागीदारों की शैक्षिक अवस्था

ज़िला	मेले में भाग लेनेवाली लड़कियों की कुल संख्या	९ से १२ वर्ष	१३ से १६ वर्ष	१७ से २० वर्ष	निष्क्रामण के पश्चात् वर्षों की कुल संख्या	निष्क्रामण के लिए कारण
बेल्लारि	३४	५	२१	८	६ माहों से ८ वर्ष तक	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट
बीदर	४९	११	२५	१३	६ माहों से १० वर्ष तक	क, ख, ग, घ, ङ, च, ञ, ट, ठ
बिजापुर	४६	२८	१६	२	२ माहों से ५ वर्ष तक	क, ङ, च, छ, ठ
मैसूर	४५	२	१९	२२	१ वर्ष से १५ वर्ष तक	क, ग, ङ, छ, ट, ठ
रायचूर	४२	१४*	२५	३	६ माहों से ११ वर्ष तक	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, झ, ञ, ट, ठ
गुल्बर्गा	४६	४	३३	९	१ वर्ष से ६ वर्ष तक	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, झ, ट
कोप्पल	६१	२८**	३२	१	--	क, ग, ङ, च, छ, ञ, ट, ठ
कुल	३२३	९२	१७१	५८		

*१४ में से २, ३२ में से १ कभी स्कूल नहीं गयीं **२८ में से ३ फिलहाल स्कूल जा रही हैं।

बीच में ही स्कूल छोड़ने के लिए कारण

क = गरीबी

ख = मां-बाप यह महसूस करते हैं कि उन्हें अपनी हैसियत सुधारने में शिक्षा सहायक नहीं है

ग = गांव में कोई विद्यालय नहीं है

घ = विद्यालय की दूरी अधिक है

ङ = घर-गृहस्थी के कार्य में हाथ बंटाना है

च = 'कुली' काम तथा गाय चराने द्वारा परिवार की आमदनी बढ़ानी है

छ = बच्चे खुद अभिरुचि नहीं लेते

ज = विद्यालय में केवल पुरुष शिक्षक हैं

झ = शिक्षकों के निग्रह से भयभीत हैं

ञ = लिंगगत भेदभाव है

ट = प्रथम ऋतुस्राव के आरंभिक दिन हैं (रजोदर्शन)

ठ = विभिन्न कारण जैसे बच्चों की देखभाल, मां-बाप की मृत्यु आदि

तालिका - ३.६ : छात्र-निष्क्रामण के आंकड़े

क्रम संख्या	ज़िला	किशोरियों की कुल संख्या	..... के बाद छात्र-निष्क्रामण			
			कक्षा १ से ४ तक	कक्षा ५ से ७ तक	कक्षा ८ से १० तक	प्रथम पूर्व विश्व-विद्यालय पाठ्यक्रम तथा उस के ऊपर
१	बेल्लारि	३०	११	१५	४	-
२	बीदर	२५	४	१२	७	२
३	बिजापुर	२९	१७	१२	-	-
४	मैसूर	४४	१०	१२	२२	-
५	रायचूर	२७	१४	११	२	-
६	गुल्बर्गा	१७	५	११	१	-
७	कोप्पल	४२	२६	१३	३	-
	कुल	२१४	८७	८६	३९	२

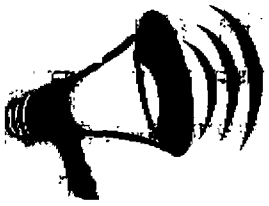

४

संघ की महिलाएं एवं पंचायत राज

महिलाओं के सरोकारों को शासन की कार्यसूची में लाना

ग्राम पंचायत के पिछले चुनाव फरवरी २००० में कराए गए और नयी पंचायतें करीब एक वर्ष से अस्तित्व में हैं। लिंग एवं शासन में म.स. निवेशों ने चुनाव लड़ना, चुनाव के दौरान एवं चुनाव के पश्चात् संगठन कार्यजाल के रूप में संघ की महिलाओं का योगदान, सक्रिय नागरिकों एवं सभ्य समाज की सदस्याओं के रूप में उन के कार्यभाग को शामिलकर एक व्यापक सीमा के मुद्दों को समाविष्ट किया है (देखें १९९९-२००० की वार्षिक रिपोर्ट)।

गत वर्ष के दौरान, इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सूत्रपातों को यहां उजागर किए गए हैं।

- संघ की महिलाएं यह मांग कर रहीं हैं कि ग्राम सभा का नियमित रूप से, उचित नियमों एव प्रक्रिया के अनुसार आयोजन किया जाए।
- अधिक संख्या में वे ग्राम सभाओं में उपस्थित हो रही हैं और गांव में महिलाओं एवं निर्धन परिवारों से सरोकार रखनेवाले मुद्दे उठा रही हैं।
- संघ की नि.म.प्र. पंचायत की कार्यसूची में महिलाओं की चिन्ता के विषयों को ला रही हैं।
- संघ की नि.म.प्र. स्थायी समितियों का गठन करने के लिए आग्रह कर रही हैं, विशेषकर सामाजिक न्याय पर। इस से पहले, ये समितियां अपनी अनुपस्थिति से सुप्रकट थीं।
- कई म.स. गांवों में, पंचायत के लिए गैर संघ की महिलाएं निर्वाचित की गयी हैं। ये महिलाएं संघ के समर्थन की मांग कर रही हैं और उसकी सदस्याएं बन गयी हैं। उदाहरण के लिए, बेल्लारि ज़िले में संघ की ११ महिलाओं ने चुनाव का मुक़ाबला किया था और केवल एक महिला ने जीत हासिल की। लेकिन अपने गांवों में गैर संघ की २७ नि.म.प्र., संघों में शामिल हो गयी हैं और संघ की महिलाओं की मदद से पंचायत का कार्य कर रही हैं।

संघ की महिलाएं एवं म.स. टीम के बीच एक सब से बडी चर्चा हुई थी कि संघ की नि.म.प्र. की अनुपस्थिति में किस प्रकार पंचायत को प्रभावित किया जाए। अब यह, संघ-पंचायत-समिति द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। संघ की महिलाएं पंचायत की बैठक के दौरान या तो प्रेक्षकों के रूप में भाग लेती हैं या दूसरे समय में पंचायत के सदस्यों से अपनी अभिरुचि के विचार्य विषयों पर चर्चा करने के लिए मिलती हैं। तालिका ४.१ दिखाती है कि किस प्रकार संघ की महिलाएं प्रभावक गुट के रूप में कार्य कर रही हैं और निर्वाचित पंचायतों से उत्तरदायित्व की मांग कर रही हैं। इन संघों की कोई भी सदस्या पंचायतों के लिए चुनी नहीं गयी है। यह तालिका यह भी दर्शाती है कि ऐसे संघों से कितनी महिलाओं ने ग्राम सभा में उपस्थिति दी है और वहां महिला सरोकारों को उठाया है। तालिका ४.१ में सूचीबद्ध मुद्दे यह दिखाते हैं कि महिलाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि पंचायत से मिलनेवाली विभिन्न सुविधाएं वांछित हिताधिकारियों को पहुंचती हैं। म.स. के अधिकांश गांवों में संघ की महिलाएं अपनी ही सदस्याओं के हितों की जितनी रक्षा करती

हैं, समुदाय में गरीब जनों के हितों का उतना ही ख्याल करती हैं। अतः एक लिंग और सामाजिक न्याय के मंच के रूप में संघ की छवि निरंतर संबलित की जाती है।

महिलाएं ग्राम सभा में मुद्दों को उठाने से पहले सतर्कता से सोचती हैं। उदाहरण के लिए बीदर ज़िले की बसवकल्याण ताल्लुका के रामपुर संघ में, संघ की महिलाएं शराबखोरी के कारण कई समस्याओं का सामना कर रही थीं। उन्होंने सर्वप्रथम इस मुद्दे को ग्राम सभा में उठाने का निश्चय किया। लेकिन, अन्ततः उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि एक संघ के रूप में, अपने गांव में समस्या से जूझने के लिए वस्तुतः प्रयास नहीं किए। उन्होंने यह महसूस किया कि वे संघ की महिलाओं द्वारा निजी कोशिशें की जाने के बाद, अधिक सफलतापूर्वक इस मुद्दे को ग्राम सभा में उठा सकेंगी।

एक और अंश जिस पर पंचायत राज प्रशिक्षण में बल दिया गया है, वह यह है कि संघ की सदस्याओं को, ग्राम पंचायत की विभिन्न स्थायी समितियों में, काम करने के अवसरों को उपयोग में लाना चाहिए। पंचायत राज अधिनियम के अनुसार स्थायी समितियों के लिए संघ की स्थानीय सदस्याओं को पंचायत सहयोजित कर सकती है। सामाजिक न्याय पर स्थायी समिति के लिए इस पर खासकर बल दिया गया।

यह समिति पंचायत राज्य अधिनियम में अधिदिष्ट है। किन्तु कभी भी उस की स्थापना नहीं की गयी। म.स. प्रशिक्षण कार्यक्रम इस बात पर बल देता है कि यह समिति, संघ की महिलाओं के लिए मद्यपानता से संबद्ध हिंसा, बाल विवाह, देवदासी समर्पण, लड़कियों एवं महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाने के लिए अच्छा मंच है। तालिका ४.२ यह दिखाती है कि संघ की महिलाएं ९१ संघों में स्थायी समितियों में सदस्याएं हैं। संघ की ७२ नि.म.प्र विभिन्न स्थायी समितियों में सदस्याएं हैं जबकि संघ की ४१ गैर नि.म.प्र. महिलाएं स्थायी समितियों की सदस्याओं के रूप में सहयोजित हैं। अतः, शासन के औपचारिक मंचों में संघ आक्रमण कर रहे हैं।

बिजापुर ज़िला, बागेवाडि ताल्लुका में, येरनाल गांव की भीमव्वा, गत कई वर्षों से संघ में बहुत ही सक्रिय है। वह ग्राम पंचायत की एक पूर्व सदस्या है जिस ने पिछले चुनावों का मुक़ाबला किया और हार गयी। वह पंचायत पर सुख-सुविधाएं, उत्पादन एवं सामाजिक न्याय के लिए तीन स्थायी समितियां बनाने हेतु दबाव लायी। कुछ दिन बाद भीमव्वा पंचायत के सम्मुख विषय ले आयी। *"हमारा काम सिर्फ समितियों के बनाने से संपन्न नहीं हो सकता है। इन समितियों को जो काम करना चाहिए, वह काम उन्हें करना चाहिए। उन्हें गांव में जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।"*

संघ की सहायता से उस ने ३ स्थायी समिति के सदस्यों के नाम पंचायत की दीवार पर प्रदर्शित करवाए ताकि सार्वजनिकों को उन के बारे में जानकारी हासिल होगा। वह सामाजिक न्याय पर स्थायी समिति की सदस्या बनी। यह देखकर कि एक शराबी प्रतिदिन अपनी पत्नी को मारता पीटता था, भीमव्वा ने उसे समझाने-बुझाने की कोशिश की। लेकिन उस ने उस की सलाह न मानी और अपनी पत्नी के साथ कुव्यवहार जारी रखा।

उस ने सामाजिक न्याय समिति की एक बैठक की व्यवस्था की और उस उत्पीडित महिला से, अपना

मामला समिति के सामने लाने को कहा। समिति के दूसरे सदस्यों को अधिक खुशी नहीं हुई। "यह हमारी समिति द्वारा ली जा सकनेवाली समस्या नहीं है। वह सभी घरों में, एक सर्वव्यापी समस्या है। हम अपना समय नष्ट करना नहीं चाहते हैं।" भीमव्वा ने कहा, *"हम यह समझतो हैं कि यह एक सामान्य समस्या हैं क्योंकि हम सदैव यह स्वीकार करती आयी हैं कि पतियों को पत्नियों को मारना-पीटना ठीक है और यही कारण है कि महिलाओं पर किसी भी प्रकार के अत्याचार से लोग अपने आप को बचा पा रहे हैं। यदि केवल हमारी समिति ऐसे मुद्दों को उठाती है और अपराधियों को दण्डित करती है तो महिलाएं शांति से रह सकती हैं।"* कुछ अनुनय - विनय के बाद सदस्यों ने पथभ्रष्ट पति को बैठक में बुलाना स्वीकार किया। अन्य सदस्यों के साथ भीमव्वा ने उस से कहा, *"पति और पत्नी कौटुंबिक जीवन रथ के संभावित दो चक्र हैं। तुम काम पर नहीं जाते हो और अपनी पत्नी को जो काम करती है और कुटुंब की देखबाल करती है, मारते हो। उस का स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। तुम और तुम्हारे बच्चे बाहर सड़क पर आ जाएंगे। तुम सब लोग पूरी तरह से अपमानित हो जाएंगे। बेहतर यही है कि तुम अपना बर्ताव सुधारो और कोई काम ढूंढो। यदि तुम्हारा यही बर्ताव होगा तो तुम्हें एक गधे पर बिठाकर तुम्हारा एक जुलूस निकालेंगे।"*

इन शब्दों पर अपने इस आरंभिक आघात के बाद भीमव्वा और समिति के अन्य सदस्यों की सजग आंखों तले के आदमी में अच्छा बदलाव आया। वह अब काम पर जाता है और यद्यपि वह यदा - कदा पीता है तो भी वह अपनी पत्नी को परेशान नहीं करता है। येरनाल भीमव्वा ने यह दिखाया है कि किस प्रकार सामाजिक न्याय पर स्थायी समिति प्रभावपूर्ण रूप में कार्य कर सकती है।

तालिका ४.३ उन सुविधाओं का विस्तार दिखाती है जिन की पहुंच पाने में संघ की महिलाएं न केवल अपने लिए बल्कि गांव में औरों के लिए भी समर्थ हुई हैं। यहां ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण अंश है कि संसाधनों में पंचायतें स्वयं अभावग्रस्त हैं और भ्रष्टाचार सर्वत्र है। इस स्थिति में संघ की महिलाएं यह आश्वस्त कर रही हैं कि विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रम उन निर्धन कुटुंबों तक पहुंचते हैं जिन के लिए वे वांछित हैं। अब तक पंचायतें विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने की सीमित भूमिका अदा कर रही हैं। उन्हें स्थानीय स्तर की योजना, संसाधन प्रबंधन और संघर्ष संकल्प के साथ कुछ नहीं करना है। संघ की महिलाएं इस की भूमिका ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लिए मामूली लेकिन महत्त्वपूर्ण ढंग से, खासकर संघर्ष संकल्प के लिए परिभाषित करना आरंभ कर रही हैं। उन्होंने कई तरीकों से जन साधारण की चिन्ता के विषयों एवं शासन संरचनाओं के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की है।

संघ की महिलाओं द्वारा सामना की गयी सब से बड़ी और सब से कठिन समस्या शराबखोरी है। जबकि भीमव्व ने स्थायी समिति को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया, बिजापुर ताल्लुका में शेगुनासि के संघ ने संघर्ष संकल्प के लिए ग्राम सभा को मंच बनाया। शेगुनासि गांव की कई महिलाओं के हालात भीषण थे क्योंकि उन के पति शराबी थे।

यहां पंचायत की अध्यक्षा, गांव में महिला समाख्या संघ की सदस्या है। संघ की बैठक में अपनी रणनीति के लिए योजना बनाने के बाद महिलाएं मुद्दा ग्राम सभा में ले आयीं। ग्राम सभा की बैठक

में, शराबखोरी समस्या की, कार्यसूची की एक मद के रूप में चर्चा की गयी। ताड़ी की दुकान को बंद करने का निर्णय लिया गया। उपस्थित सभी महिलाओं ने याचिका पर हस्ताक्षर किए। सर्वथा कुछ पुरुषों ने भी प्रस्तावित कार्रवाई का समर्थन किया। किन्तु, दुकानको बंद करने के बाद भी कुछ कठोर पियक्कडों ने पड़ोसी गांव की दुकान को भेंट देना जारी रखा और पीकर घर देर से लौटे। ताड़ी की दुकानों के मालीकों ने महिलाओं पर ताने कसे, "आप औरतों ने क्या हासिल किया? आप कुछ भी बदल नहीं सकती हैं"। तब पंचायत ने गांव में सभी महिलाओं एवं पुरुषों से परामर्श करने के लिए ग्राम सभा की एक आपात बैठक बुलायी। उन्होंने यह निर्णय लिया कि यदि शराब पीकर कोई गांव आया और परेशानी पैदा की तो उसे २० कि.ग्रा. वज़न की चप्पल की माला पहनायी जाएगी और गांव में चारों ओर घुमाया जाएगा। गांव आकर परेशान करनेवालों का स्वागत करने के लिए उस के प्रवेश द्वार पर, पेड़ पर वह माला लटकायी जाएगी।

ज्योंही गांव में ग्राम सभा के निर्णय की सूचना मिली, अधिकांश शराबियों ने यह अनुभव किया कि यदि वे अपना बुरा बर्ताव जारी रखेंगे तो सब के सम्मुख उन का मानभंग किया जाएगा। इस ने उन्हें अपने अपराध की गंभीरता समझने पर बाध्य किया। उन में से कइयों ने पीना छोड़ दिया है या पीना कम कर दिया है और इस के परिणामस्वरूप उन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। एक आदमी ने यह पाया कि पीना छोड़ देने से जितना पैसा उसने बचा लिया, उससे अपने पीने के दिनों में लिए गए उधारों को लौटाने में समर्थ था। एक और आदमी ने अपनी जमीन के लिए ज़रूरी खाद खरीदने हेतु पर्याप्त धन बचाया। एक और आदमी अपने घरेलू खर्च के लिए धन बचा सका।

अपने गांव के इस रूपांतरण में संघ की पथप्रदर्शन भूमिका ग्रहण करते हुए लोगों ने संघ द्वारा उठाए गए किसी भी ऐसे अभियान को समर्थन देने का वादा किया है।

बहरहाल, संघ की नि.म.प्र. के सभी अनुभव सकारात्मक नहीं हैं। कोप्पल ज़िला, येलबुर्गा ताल्लुका में मातलदित्रि संघ की एरम्मा, संघ की सक्रिय सदस्या है। उस ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लिया है और देवदासी समर्पण, बाल विवाह तथा अन्य ऐसी सामाजिक कुरीतियों को बंद करने के लिए किए गए अभियानों को नेतृत्व प्रदान किया है। उस ने कमज़ोर संघों को भी शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य किया है और अन्य ज़िलाओं, राज्यों एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में अपने संघ का प्रतिनिधित्व किया है। पंचायत के लिए एकमत से वह निर्वाचित थी। वह गांववालों के लिए कई सुविधाएं प्राप्त कर सकी थी। लेकिन, हाल में, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने संघ से, अपना नाता तोड़ रही है। अफवाह यह है कि एरम्मा गैर संघ के गांववालों की मदद कर रही है क्योंकि बदले में उस को "कुछ" मिल रहा है। चूंकि संघ की नि.म.प्र. से संघ उत्तरदायित्व की मांग करता है, वह संघ से जी चुरा रही है। शोचनीय यह है कि ऐसा प्रतीत होगा कि एरम्मा को मुख्यधारा राजनीति एवं उस के भ्रष्ट आचरणों ने उसे स्वींचकर अपना बना लिया है।

लेकिन महिलाएं तुरंत जानकार हो रहीं हैं कि विभिन्न राजनीतिक मंचों में भाग लेना कितना उपयोगी है। बेल्लारि ज़िला की हगरिबोम्मनहल्लि ताल्लुका में मारभिहालतंड संघ सिर्फ एक साल पुराना है। तथापि संघ की ९ महिलाओं ने ग्राम सभा में उपस्थिति दी है और अपनी समस्याएं तय करने के लिए संबंधित शासकीय व्यक्तियों को अपने गांव ले आयी

हैं। ग्रामसभा के दिन अपने खेतों में गन्ने की फसल की कटाई में उपस्थित होने के लिए वे सुबह ४.०० बजे ही उठीं ग्राम सभा में ९.०० बजे हाजिर हुईं। उस के बाद, वे ग्राम सभा में जो पदाधिकारी आए हुए थे उनके साथ, प्रक्रम को आगे ले जाने के लिए, अपनी उद्विग्नता के विषयों पर चर्चा करने हेतु ग्राम पंचायत गयीं।

बेल्लारि ज़िला, बेल्लारि ताल्लुका में, एच. वीरपुरा की संघ सदस्या हुलिगेम्मा ने पंचायत चुनाव का मुक़ाबला किया और संघ की सभी महिलाओं ने उस के लिए काम किया। अच्छा प्रचार के बावजूद, चार मतों के कम अंतर से वह हार गयी। फिर भी, संघ की महिलाओं ने पंचायत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। सामान्यतः संघ को पंचायत की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हुलिगेम्मा, गांव में संघ और निर्धन लोगों की ओर से आवाज उठाती है। वह संघ के लिए संघ घर निर्माणार्थ जमीन, उन के इलाके में एक आंगनवाड़ी केन्द्र और उचित मोरी व्यवस्था को शामिलकर कतिपय पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करवा सकी है। जब पहले पहल संघ बनाया गया था उस समय महिलाओं को गांववालों के ताने सुनने पड़े थे। अब वही गांववाले उन्हें, उन के कार्य के लिए अभिनन्दन करते हैं। "चुनाव हारनेवाली यह महिला चुनाव जीतनेवाले कई लोगों की अपेक्षा, गांव के लिए अधिक काम कर रही है। काश! यदि हमने उसे अपना मत दिया होता।"

म.स. प्रशिक्षण कार्यक्रम इस बात पर ज़ोर देता हैं कि चुनाव राजनीतिक प्रक्रम का एक हिस्सा है और जो चुनाव लड़ते नहीं तथा जो चुनाव हार जाते हैं उन्हें भी पंचायत की प्रभावपूर्ण कार्यप्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इस विचार के निदर्शन में बीदर ज़िला, औराद ताल्लुका का गौतमनगर संघ है। संघ की सदस्या सरस्वति ने सन् १९९३ का चुनाव जीता, लेकिन सन् २००० में चुनाव हार गयी। संघ की एक और सदस्या जिस का नाम वांचलाबाई था ने सन् २००० में चुनाव जीता। ये दोनों महिलाएं एक साथ काम करती हैं जिस में अनुभवी सरस्वति पंचायत के लिए नवागत वांचलाबाई की मदद करती है। ग्रामसभा की बैठक के दौरान ये दोनों महिलाओं ने यह पाया कि आश्रययोजना के हिताधिकारियों की सूची में उन लोगों के भी नाम हैं जिन के पास घर हैं। उन्होंने सचिव को बताया कि यह न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने खुद अपने लिए घर नहीं चाहा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि गांव में एक जवान विधवा को एक आश्रय घर दिया गया। इस के बाद, संघ की महिलाओं ने म.स. टीम को बताया कि एक आदमी जिसने सचिव को पहले रिश्वत दी थी, उसने सचिव को कालर से पकड़ा और अपने २०००/- रुपए वापिस मांगे। उन्होंने, उसे सचिव को यह कहते हुए सुना, "वह औरतें झुकनेवाली नहीं हैं। यदि हमने उन की मांगें न मानी होतीं तो झंझट पैदा हो जाती। अब मैं पैसे कहांसे लाऊं?"

यह, कई उदाहरणों में से एक है, जहां संघ पंचायत की उचित कार्यप्रणाली के लिए एक प्रभावक गुट के रूप में कार्य करता है। लिंग और शासन के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया गया कार्य, उन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में जोखिम उठानेवाला है। इस प्रकार महिलाओं ने यह जांचा-परखा है कि पंचायत राज अधिनियम के उपबंधों का उचित कार्यान्वयन (स्थायी समिति का गठन), योजनाओं का सही-सही कार्यान्वयन किया गया है ; वे सामाजिक न्याय के मुद्दों को सार्वजनिक आखाड़े में ले आयी हैं। यह विश्वास संबलित हो जाता है कि निर्धन महिलाएं बृहत् निर्णयन प्रक्रमों को प्रभावित कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हैं।

तालिका - ४.१ : संघ की महिलाएं चुनावों के पश्चात् प्रभावक गुट के रूप में कार्य करती हैं।

क्रम संख्या	ज़िले का नाम	संघ की भागीदारी		संघ की महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दे	
		ग्राम पंचायत	ग्राम सभा	ग्राम पंचायत	ग्राम सभा
१	बेल्लारि	३७	२१	**विद्यालय एवं आंगनवाड़ी :** नयी आंगनवाड़ियों तथा विद्यालयों की इमारत की मरम्मत के लिए आवेदन। बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली पुस्तकें।	**विद्यालय के लिए सुविधाएं :** स्कूली इमारत की मरम्मत, स्कूल के अहाते का निर्माण।
२	बीदर	२	१३४	**संघ के लिए सुविधाएं :** संघ घर के लिए जमीन, स्वामित्व के कागज़-पत्र तथा भवन निर्माण निधि, संघ की सदस्याओं के लिए ऋण, पंचायत की बैठकों, ग्राम सभाओं तथा स्थायी समिति की सदस्यता के बारे में जानकारी।	**संघ के लिए :** संघ घर के लिए जमीन / संघ घर की मरम्मत।
३	बिजापुर	५४	१५४		
४	गुल्बर्गा	८५	६६		**समुदाय के लिए सुविधाएं :** जल निकास, पानी, शौचालय, सड़क की बत्ती, बस अड्डा, सड़क का निर्माण एवं उसकी मरम्मत, घरों को दी जानेवाली बिजली, बोरवेल, सामूहिक क्रियाकलाप।
५	कोप्पल	५७	९	**संघ की महिलाओं के लिए अन्य सुविधाएं :** विधवा पेंशन, भाग्यज्योति, आश्रय मकान, अन्य सरकारी सुविधाएं तथा विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण।	
६	मैसूर	-	५४		**अन्य सुविधाएं : (योजनाएं)** भाग्यज्योति, आश्रय मकान, विधवाओं के लिए पेंशन।
७	रायचूर	२२	२४	**समुदाय के लिए सुविधाएं :** सड़क की बत्तियां, ध्वजस्तंभ तथा चबूतरा, हरित कार्ड, राशन कार्ड, शौचालय, बोरवेल तथा पानी की सुविधाएं।	
	कुल	२५७	४६२		

तालिका - ४.२ : ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों* की सदस्याओं के रूप में संघ की महिलाएं

ज़िला	संघों की संख्या	निर्वाचित महिलाओं (नि.म.प्र**) की संख्या जो स्थायी समितियों में हैं	संघ की महिलाएं (गैर नि.म.प्र) जो स्थायी समितियों की सदस्याएं हैं
बेल्लारि	१४	२०	१
बीदर	५	३	१
बिजापुर	२२	१०	१२
गुल्बर्गा	२१	८	१७
कोप्पल	५	५	
मैसूर	१४	१६	१
रायचूर	१०	१०	९
कुल	९१	७२	४१

* कुछ संघों में एक से अधिक स्थायी समिति की सदस्याएं हो सकती हैं

** नि.म.प्र. = निर्वाचित महिला प्रतिनिधि

तालिका ४.३ : संघ की महिलाएं अपने लिए और अपने समुदाय के लिए पंचायत से सुविधाओं की पहुंच पाती हैं

ज़िला	सुविधाएं												अन्य ब्यौरे
	संघ घर के लिए जमीन	संघ घर के लिए निर्माण सामग्री	जमीन/इमारत		पात्र वित्तीय सहयता		भाग्यज्योति		शौचालय		मोरी	गांव की सड़क	
			संघ की महिलाएं	समुदाय*	संघ की महिलाएं	संघ की महिलाएं	संघ की महिलाएं	समुदाय	संघ की महिलाएं	समुदाय			
बेल्लारि	४	-	-	-	-	-	४०	२६	७	-	१५	९	विधवा पेंशन (४७), पेंशन (६) विकलांगों के लिए सुविधाएं (४४), आश्रय गृह (४४), बोरवेल (३) घरों के लिए छाजन (२)
बीदर	५	३	५४	८४	एक माइक सेट	एक संघ के लिए २००० रुपए	४८	-	-	-	१७	१५	ज़िला पंचायत से शौचालय (४५)
बिजापुर	-	१९	२०२	१७४	४ संघ	३२ संघों के लिए २,५२,०००रुपए	५५ संघों से ४१२	३६६	२२ संघों से २०१	२८४	-	-	सड़क बत्ती (६) संघों के लिए फर्नीचर (२)
गुल्बर्गा	२	१	-	-	१३	३ संघों के लिए ५०००रुपए	९	२	१	-	३	१	आश्रय गृह (२६)
कोप्पल	२७	-	-	-	३	५ संघों के लिए १३०००० रुपए	३४ गांवों से २३२	१९२	३१	२	१	४	सड़क बत्तियां
मैसूर	४	१	७०	६	१	१ संघ	२	५	७२	-	४	१	१२ विद्यालय १ए.ज.वि.का. केन्द्र** १ पानी की टंकी ८ बोरवेल
रायचूर	१५	३ संघों के लिए ९ थैले सीमेंट	१	-	-	-	१०२	-	९	-	-	७	विधवा पेंशन (१०) आश्रय गृह (३८)

*जहाँ उदाहरण नहीं हैं वहां समुदाय का उल्लेख नहीं किया गया है

** एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम

५

महिला स्वास्थ्य एवं उन के [redacted] मान

जनारोग्य कार्यवाही में, संघों एवं म.स. टीम की साझेदारी से महिला स्वास्थ्य मुद्दों पर संघों द्वारा किए जा रहे कार्य को सामयिक प्रोत्साहन दिया गया जो दिसंबर २००० में, ढाका में जन स्वास्थ्य सभा तक ले गया। वह एक सुअवसर पर आया क्योंकि संघ की महिलाएं तथा म.स. टीम वि.स्वा.सं. परियोजना की नयी सिखाई का उपयोग कर सकते थे। इसे गतवर्ष म.स. द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शकों के रूप में संघ की महीलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हाथ में लिया गया।

ज.स्वा.स. प्रक्रम विभिन्न गै.स. संगठनों एवं स.अ.सं. के लिए ज़िला स्तर की कार्यशालाओं के साथ शुरू हुआ। इन कार्यशालाओं में संघों तथा म.स. टीम बीदर, बिजापुर, कोप्पल, मैसूर और बेल्लारि के छः म.स. ज़िलों में शामिल थे। स्वास्थ्य मुद्दों पर वातावरण निर्मित करने के लिए एक स्वास्थ्य कला जत्था ने इस का अनुसरण किया। स्वास्थ्य पद्धतियों, प्रा.स्वा.केन्द्रों, पानी, सफाई और शौचालय जैसी आधारभूत सुख-सुविधाओं के बारे में समुदाय के विचारों का पता करने के लिए, तब जाकर जन स्वास्थ्य संभाषण का प्रवर्तन किया गया। इस प्रक्रिया में कोप्पल की चार ताल्लुकाओं से करीब ५५ संघों व रायचूर ज़िले में रायचूर और देवदुर्गा ताल्लुकाओं के ३० संघों ने मार्गदर्शन की भूमिका अदा की। संघ की महिलाएं, इस प्रक्रिया के पश्चात् बनायी गयी समितियों की सदस्याएं बनीं। उन की इतनी उत्साहजनक सहभागिता थी कि उन्होंने अपने अल्प साधनों से कलाजत्था टीम के लिए डीज़ल एवं भोजन हेतु धन भी दिए। म.स. ज़िलों तथा राज्य टीमों ने, संभाषणों से उत्पादित जानकारी को एकत्रित करने में भाग लिया। इस प्रक्रिया ने गरीब और गूंगों के लिए सामुदायिक संसाधन एवं प्रवक्ताओं के रूप में संघ की महिलाओं द्वारा अदा की गयी भूमिका को पुनः संबलित किया है। म.स. संघ अब ढाका जन स्वास्थ्या सभा की ज़िला स्तरीय अनुवर्ती कार्यवाहियों में भाग ले रहे हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शकों के लिए वि.स्वा.सं. परियोजना कार्यक्रम बीदर, कोप्पल और बेल्लारि ज़िलों में सन् १९९९-२००० के दौरान चलाया गया। प्रशिक्षण के अंतिम २ दौर अप्रैल २००० के पश्चात् कोप्पल और बेल्लारि में आयोजित किए गए। वही प्रशिक्षण निश्चायिकाएं (ट्रेनिंग माड्यूल्स) संघ की स्वास्थ्य समिति की सदस्याओं को प्रशिक्षित करने के लिए बिजापुर (४०० महिलाएं), रायचूर (४० महिलाएं) तथा गुल्बर्गा (६५ महिलाएं) में प्रयोग में लायी गयीं। इस तरह, हालांकि परियोजना केवल ३ म.स. ज़िलों में कार्यान्वित की गयी, अन्य म.स.ज़िलों को भी लाभ पहुंचा है।

तालिका - ५.१ विभिन्न ज़िलों में संघ की महिलाओं द्वारा उठाए गए स्वास्थ्य संबंधित कार्यकलापों को दर्शाती है। महिलाओं ने बोरवेल, विद्यालय का अहाता जैसी सामुदायिक सुविधाओं की स्वच्छता के लिए श्रमदान किया है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर समुदाय को संवेदी बनाने के लिए कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, परिवार नियोजन का अनुष्ठान करने के लिए परिवारों को प्रेरित किया है, शौचालय सुविधा हासिल करने के लिए संघ की सदस्याओं एवं अन्य गांवों की मदद की है। किन्तु उन्हें हमेशा समुदाय से मान्यता या समर्थन नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए, बीदर ज़िले की औराद ताल्लुका, संगम गांव में संघ की महिलाओं ने पहले पहल दलितों के घरों के पास श्रमदान कार्य लिया। कुछ समय बाद वे उस क्षेत्र के लोगों के साथ जहां 'उच्च

जातीय' लोगों के घर हैं, योजना के बारे में विचार - विमर्श करने गयीं। उन्होंने वहां के कुटुंबों को, उस स्थान की स्वास्थिकी एवं स्वच्छता की ज़िम्मेदारी वहन करने के लिए मनाना चाहा। लेकिन उन्हें मिला प्रत्युत्तर यह था - "इस तरह की सफाई का काम आप के समुदाय के लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए। हम इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं।" इसलिए संघ की महिलाओं को सतत लिंग और जातिगत पूर्वग्रहों के विपरीत कार्य करना पड़ता है।

स्वास्थ्य समिति प्रशिक्षणों के अनुसरण के रूप में संघ की महिलाएं एक महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का परिवीक्षण करती हैं। तालिका ५.२ कई उन तरीकों को दर्शाती है जिन के द्वारा महिलाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य प्रणाली को सार्वजनिकों के लिए अधिक जवाबदेही बनाने हेतु कोशिश कर रही हैं। जब कोई संघ की महिलाओं का कार्य देख रहा है तब दुःसंशोध्य स्वास्थ्य प्रणाली को बदलने में आवश्यक प्रयासों को ध्यान में लाना चाहिए।

रायचूर और गुल्बर्गा के मेलों के दौरान किशोरियों के साथ स्वास्थ्य मुद्दों पर भी चर्चा की गयी है। आरंभिक प्रतिपुष्टि यह है कि जब ये युवा लड़कियां प्रशिक्षणानंतर वापस लौटती हैं तो अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में, बात करने में पहले की अपेक्षा कम पराङ्मुख हैं। देवदासी समर्पण और बाल-विवाह के विरुद्ध वे अधिक स्वरवान हैं। बेल्लारि ज़िले की हगरिबोम्मनहल्लि ताल्लुका में किशोरावस्था की कन्याओं के लिए स्वास्थ्य प्रशिक्षण सत्र के दौरान सहभागियों में सें एक टूटकर रो पड़ी *"क्यों उन्होंने हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया ? कितना हमने खो दिया।"*

सन्नाटे में और कष्ट सहन नहीं

संघ अब उन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उठाना आरंभ कर रहे हैं जिन की चर्चा वे पहले नहीं करना चाहते थे। संघ की महिलाएं श्वेत-आस्राव, गुप्तांगों में जलन, स्तन में गांठ आदि के बारे में बात करने में संकोच करती थीं। अब वह संघ में इन समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकती हैं।

गुल्बर्गा ज़िले की चिंचोलि ताल्लुका के तुमकुंटा गांव में संघ सदस्या साबम्मा ने अपनी बेटी की शादी एक विधुर से करायी। लड़की को संभोग के पश्चात् पीड़ावह संक्रामण हो गया। उस ने अपनी समस्या अपनी मां को बतायी तो मां ने यह निश्चय किया कि संघ में उस की चर्चा की जानी चाहिए। स्वास्थ्य समिति प्रशिक्षण के पश्चात् निश्चित रूप से इसे एक नयी प्रगति के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्हें भी जो अपने 'गुप्त जीवन' से संबद्ध हैं शामिलकर महिलाएं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में अधिक स्वरवान हैं। अब वह यह देखती हैं कि इन सभी को संघ की बैठक की कार्यसूची में रखा जा सकता है। संघ की महिलाओं ने साबम्मा के दामाद को बैठक में बुलाया और उस से पूछा कि क्या उसने अपनी पत्नी की समस्या का पता करने के बारे में कोई तकलीफ उठायी है।

"हमेशा तुम अपनी ही इच्छातृप्ति के बारे में सोचते रहे हो, नकि तुम्हारी बीबी दर्द में है कि नहीं। जब तक हम उसे डाक्टर को नहीं दिखाती हैं और उस का इलाज नहीं होता है, तब तक तुम उससे दूर रहो। यह अच्छा होगा कि तुम भी अस्पताल आओ।"

बेल्लारि ज़िले के कूडलगि ताल्लुका के नागनहल्लि और गंगम्मनहल्लि में संघ की महिलाओं ने पाया

कि नलों से गंदा पानी आ रहा है। उन्होंने सटीक अनुमान लगाया कि दूषित पानी का टैंक कारण हैं। उन्होंने पानी का टैंक साफ करने के लिए ज़िम्मेदार आदमी को बुलाया तो उसने कुछ भी करने से इनकार किया। तब महिलाओं ने ग्राम पंचायत को आवेदन लिखा। ग्राम पंचायत के सदस्य ने यह आश्वस्त किया कि साफ करनेवाले ने हर हफ्ते अपना काम किया। इस के अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी कि जब उसने अपना कार्य पूरा किया तब उसने अपनी रिपोर्ट पुस्तक में दोनों गांवों के संघों की महिलाओं से हस्ताक्षर करा लिए।

संघ की महिलाओं ने चामराजनगर ज़िले का होसपोडु गांव, मैसूर ज़िले की पेरियापट्टण ताल्लुका का मुत्तूर गांव, बिजापुर ज़िले की बागेवाडि ताल्लुका के गोलसंगि किरिनाला में ग्राम, ताल्लुका और ज़िला पंचायतों को बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने में उन के कर्तव्यों के प्रति स्मरण दिलाया। महिलाएं स्वास्थ्य विभाग के क्रियाकलापों का परिवीक्षण कर रही हैं और अपने हिस्से की यथोचित सुविधाओं की मांग कर रही हैं (रायचूर ज़िले की मन्वि ताल्लुका का कडदिन्नि शिविर गांव, मैसूर ज़िले की पेरियापट्टण ताल्लुका का मुत्तूर गांव, हुणसूर ताल्लुका का बन्निकुप्पे गांव, हेग्गडदेवनकोटे ताल्लुका का मुत्तिगेहुंडि गांव, चामराजनगर ज़िले का कोलिपाल्य गाव, बीदर ज़िले की औराद ताल्लुका का गौतमनगर गांव, बल्कि ताल्लुका का बालूरु गांव, बिजापुर ज़िले की इंडि ताल्लुका का हठहल्लि गांव, मुद्देबिहाल ताल्लुका का कलगि गांव, बागेवाडि ताल्लुका का किंशाला गांव, रायचूर ज़िले की मन्वि ताल्लुका का कुरकुंदा गांव के संघ)।

संघ की महिलाएं न केवल प्रणाली में सुधार लाने का यत्न कर रही हैं अपितु अपने अस्वास्थ्यकर आचरणों का सामना करने की कोशिश कर रही हैं। महिलाओं ने तंबाकू और मद्यसार के दुष्प्रभावों के बारे में जानने के पश्चात् दोनों को छोड़ने का निश्चय किया है।

(गुल्बर्गा जिले की आलन्द ताल्लुका का तुगांव गांव और उसी ज़िले के बेलूर गांव, सवथखेडा गांव, कंदगोल गांव, देवनूर गांव, मन्दारूड गांव, बिजापुर ज़िले की इंडि ताल्लुका का सातलगांव पी.बी. गांव, मुद्देबिहाल ताल्लुका का गेद्दलमारि गांव, मैसूर ज़िले की हेग्गडदेवनकोटे ताल्लुका के मुत्तिगेहुंडि गांव एवं मोठा गांव, उसी ज़िले की पेरियापट्टण ताल्लुका का अब्बेलत्ति गांव, रायचूर ज़िले की मन्वि ताल्लुका का नवलकल गांव, कोप्पल ज़िले की गंगावति ताल्लुका का कन्नेरमडु गांव)। वस्तुतः बिजापुर के दो या तीन संघों की महिलाओं ने न केवल तम्बाकू चबाना छोड़ दिया है अपितु यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे फिर से प्रारंभ नहीं करतीं, उन्होंने तम्बाकू के कोष्ठों को ज़िला कार्यालय भेज दिया है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव डालनेवाले वर्जनों एवं प्रतिबंधों का भी मुक़ाबला कर रही हैं जैसा कि कोप्पल ज़िले की येलबुर्गा ताल्लुका. बालगेरि गांव, कोप्पल ताल्लुका का जिन्नापुर गांव में। (गुल्बर्गा ज़िले की गुल्बर्गा ताल्लुका के हरसूर एवं बालूर गांव, आलन्द ताल्लुका का मांबाक्कि गाव, जेवर्गि ताल्लुका के बावलग एवं किलशूर गांव, चिंचोलि ताल्लुका के कोल्लर, भक्तम्पल्लि, इनोलि, चन्द्रमप्ल्लि गांव, बिजापुर ज़िले की इंडि ताल्लुका का रेना बी.के. गांव रायचूर ज़िले की मन्वि ताल्लुका का नरबंदा गांव में भी)।

तालिका - ५.१ : संघ की महिलाओं द्वारा उठाए गए कुछ स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप

ज़िला	परिवार नियोजन पद्धतियों को प्रयोग में लानेवाली महिलाएं		श्रमदान						संघ की सदस्याओं के लिए शौचालय सुविधाएं		
	संघों की संख्या	महिलाओं की संख्या	शोषक गर्त को तैयार करना	पानी की टंकियां	उद्यान	जल निकास की सफाई	बोरवेल की सफाई	विद्यालय, मंदिर आदि के परिवेश की सफाई	आवेदन लिखे गए	पूरे किए गए और जो उपयोग में लाए जा रहे हैं	अभी पूरे किए जाने हैं
बेल्लारि	२	५५	-	१४	२७	८	७	२	१४८	७	१०
बीदर	३५	२१७	२९	१३४	-	१४३	१०	१७७	-	५६	३४
बिजापुर	१२८	३३०	९५९	१२१	६४३	१४३	९०	६८	४०	२०५	१८०
गुल्बर्गा	२४	३०	-	१५	-	-	३३	३६	३०	९३	४०
कोप्पल	४८	९३	२३ संघों से ३१ महिलाएं	२६	१५	-	२६	१४२	२३ संघों से ९० महिलाएं	३३	-
मैसूर	२०	३९	-	-	३२	२	३८	-	१४६	७३	४
रायचूर	२९	२१२	१	१६	-	४	२२	३७	४० गांवों से ४५२	-	-
कुल	२८६	९७६	१०२०	३२६	७१७	३००	२२६	४६२	९०६	४६७	२६८

तालिका ५.२ : संघ की महिलाओं द्वारा प्राथमिक केन्द्रों का परिवीक्षण किया जाना

ज़िला	स्वास्थ्य समिति के सदस्यों द्वारा प्रा.स्वा.के. का संदर्शन		भ्रष्टाचार पर रोक लगाना	प्रा.स्वा.के.में. महिला डाक्टरों के लिए आवेदन देना	स.प.द.* डाक्टरों की मुलाकात का परिवीक्षण करना	पल्स पोलियो कार्यक्रम हेतु प्रेरित करना	अनुवरीकरण शल्यक्रिया	
	संघों की संख्या	महिलाओं की संख्या					संघ की महिलाओं ने गैर संघ की महिलाओं को प्रेरित किया	संघ की महिलाएं
बेल्लारि	२३	५४	-	-	६	२३ संघों से ५१ महिलाएं	-	४९
बीदर	५५	९९	२८	-	-	१३० महिलाएं	-	१५६
बिजापुर	१७४	३४८	३४	१४	१४३	१८२ संघों से ३६४ महिलाएं और ५७०८ बच्चे	३८६	१४९
गुल्बर्गा	७४	२९६	१६	१	११	१९२ महिलाएं, २२७४ बच्चे	-	२४ गांवों से ३० महिलाएं
कोप्पल	६०	१७१	६	३	१०	४९ गांव, १६६ महिलाएं और २२५८ बच्चे	३९ संघों से ९१ सदस्य	२९ संघों से ६८ सदस्य
मैसूर	२६	४६	३	२	८	३७ महिलाएं	२९	८
रायचूर	२६	८४	-	६	६	४० गांवों से १३० महिलाओं ने ६५६ बच्चों को प्रेरित किया	१	२८ गांवों से २११ महिलाएं तथा २ गांवों से ४ पुरुष
कुल	४३८	१०९८	८७	२६	१८४	१०७० (महिलाएं)	५०७ (महिलाएं)	६७५ (महिलाएं)

* सहायक परिचारिका एवं दाई (Ancillary Nurse & Midwife)

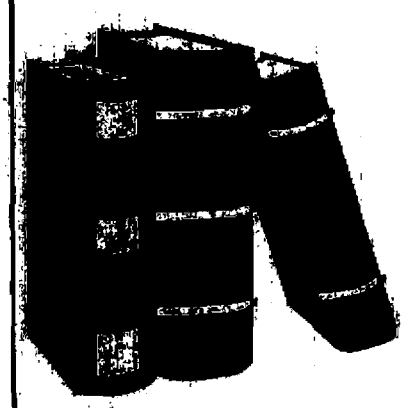

६

संघ की महिलाएं विधिक मुद्दों [redacted] हैं

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रो के रूप में संघ एवं महासंघ (ओक्कूट)

विधि एवं विधिक पद्धति की बेहतर जानकारी तथा इन विधियों के बेहतर कार्यान्वयन से संघ की महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता एवं प्रतिष्ठा अत्यधिक संवर्धित होंगी। अधिकाधिक रूप सें महिलाएं इसे अपने सशक्तीकरण के लिए एक संकटमय अवरोध के रूप में देख रही हैं। उन के दिन-प्रतिदिन के अनुभवों ने उन्हें सिखाया है कि महिलाओं को संरक्षण देनेवाली विधियों सें उन्हें अवगत रहना चाहिए। वे अनुभव करती हैं कि उन्हें उन तरकों का पता रहना चाहिए जिन से ये विधियां लागू की जाती हैं। महिलाओं को यह ज्ञात हो गया है कि उन्हें, वह *वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र* रखने चाहिए जो उन्हें न्याय देंगे। विधिक साक्षरता पर म.स. प्रशिक्षण महिला समाख्या गुजरात में संघ की महिलाओं द्वारा स्थापित नारी अदालतों के सफल अनुभवों को समाविष्ट करता है। कर्नाटक में संघ की महिलाएं बहुत समय से एक प्रभावक गुट तथा वैकल्पिक विवाद समाधानार्थ एक मंच के रूप में संघ के महत्त्व से सचेत हैं। सभी संघों में विधिक समितियों की स्थापना एवं चल रहे प्रशिक्षण से इस प्रयास को संघ, घटक और ताल्लुका स्तर पर, मज़बूत बनाया और व्यवस्थित किया जा रहा है।

संघ की महिलाएं समस्याओं को सुलझाने के लिए कई रणनीतियां उपयोग में ला रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार जैसे अपराधों को रोकने के लिए संघ एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। संघ की महिलाएं न केवल घरेलू हिंसा (सामान्यतः शराबखोरी के परिणामस्वरूप) के विरुद्ध पुरुषों को प्रेरित करती हैं अपितु ताड़ी की बिक्री एवं उस की उपलब्धता से संबद्ध समस्या से भी जूझती हैं। सभी म.स. ज़िलों में संघ की महिलाओं के लिए, उन की कई समस्याओं का मूल कारण है शराबखोरी। अधिक संख्यक संघों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है। कई अन्य मुद्दे भी संघ के पास आते हैं। उदाहरण के लिए पेरियापट्टण ताल्लुका में गौडा जाति में सम्मिलित एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी, महासंघ (ओक्कूट) के पास सहायता के लिए आयी क्योंकि उस के पति का बास (कार्यालय प्रधान) उसे परेशान करता था। इस प्रकार महासंघ और संघ ने जातिगत अवरोधों के विरुद्ध महिलाओं के समक्ष आनेवाली समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया है।

संघ सामाजिक और लिंग संबंधी न्याय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

कालकेरि गांव (कुश्तगि, कोप्पल ताल्लुका) की हनुमव्वा म.स. संघ की सदस्या यमुनव्वा की बेटी है। उस की शादी बंडि गांव के एक आदमी से हुई थी जिस की मां भी संघ की सदस्या थी। हनुमव्वा के पति ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से यंत्रणा देना आरंभ किया। जब वह अपनी प्रसूति के लिए कालकेरि वापस आ गयी तब उस का पति, और किसी औरत के साथ रह रहा था और उसे वापिस लेने से इनकार कर दिया। कालकेरि संघ की महिलाएं इस विषय पर बात करने के लिए बंडि संघ की महिलाओं के पास गयीं। उन्होंने बैठक में पति को बुलाया और उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने उससे वादा करवाया कि वह अपनी पत्नी

की ठीक तरह से देखबाल करेगा। अब हनुमव्वा को प्यार और सम्मान दोनों मिलते हैं। *"वह दुर्व्यवहार करने का कभी साहस नहीं करेगा / यदि वह ऐसा करता है तो उसे संघ को जवाब देना होगा / "* हनुमव्वा के पास, अपने पति के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए संसाधन नहीं थे। इस के आगे, विधिक पद्धति ऐसे मामलों में धीमी गति के लिए बदनाम है। यदि संघ की महिलाएं न होतीं तो हनुमव्वा के जीवन का पुनर्निमाण न होता।

इसी प्रकार के संघर्ष समाधान संघ की महिलाओं द्वारा रायचूर ज़िले की देवदुर्गा ताल्लुका के गांव संकेश्वरहाला तथा चिन्तलकुण्टा में हुए है (बिजापुर ज़िले की इंडि ताल्लुका का अगसनाला गांव, सिन्दगि ताल्लुका का केरूर गांव, बागेवाडि ताल्लुका का मसाभिनाला गांव, बेल्लारि ज़िले की बेल्लारि ताल्लुका का रूपनगुडि एवं एच वीरपुर, हेच.बी. हल्लि ताल्लुका का क्यातनमरडि गांव बीदर ज़िले की बसवकल्याण ताल्लुका का एकलूर गांव, औराद ताल्लुका का तुलजापुर गांव, कोप्पल ज़िले की गंगावति ताल्लुका का कन्नेरुमडु गांव, चामराजनगर ज़िले का मुनेश्वर कालोनि गांव, मैसूर ज़िले की नंजनगूड ताल्लुका, कलले गांव, गुल्बर्गा ज़िला की आलंद ताल्लुका का तुगोनगांव, जेवर्गि ताल्लुका का बी. बानावि गांव, चिंचोलि ताल्लुका के चन्नूर और हावनूर गांव, अदजापुर ताल्लुका का गब्बूर गांव के संघों में भी)।

संघ की महिलाओं ने स्थानीय पुलिस एवं विधिक पद्धतियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। इससे उन्हें जानकारी हासिल करने और यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई करने में मदद मिलती है। एक समस्या समाधान मंच के रूप में उन की प्रभावशालिता भी इससे बढ़ती है।

उदाहरण के लिए गुल्बर्गा ज़िले की चितापुर ताल्लुका कोरवर गांव में संघ ने एक जवान लडकी जिहारनबीका जो अपने ससुरालवालों से सतायी जाती थी, मामला उठाया। लड़की टाइफायड की एक पारी से कमजोर थी जिसका पीछा एक बच्चे के जन्म ने किया। उस के पति ने उस की देखबाल करने के बजाए, इस स्थितिका, तलाक लेने और दूसरी बार शादी करने के लिए उपयोग करना चाहा। संघ ने पति एवं उस के परिवार से, लड़की के साथ यथोचित व्यवहार करने के लिए अनुनय करने का यत्न किया। जब अनुनय निष्फल हो गया तो संघ की सदस्या जगदेवी ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा मामला परिवार न्यायालय में ले जाने की धमकी दी। उस ने परिवार को चेतावनी देने के लिए पुलिस को पति के घर भेजा। उन्हें युक्तियुक्तता ग्रहण करने देने के लिए यह पर्याप्त था। न केवल उन्होंने लड़की को वापस लिया बल्कि उस के साथ अच्छा व्यवहार भी कर रहे हैं।

संघ की महिलाएं, समस्याओं को सुलझाने के लिए पुलिस एवं विधिक पद्धति के साथ काम करती हैं। मैसूर ज़िले के जनजातीय पेरियापट्टण में ताल्लुका महासंघ अध्यक्षा जानकम्मा तथा कार्यकारी समिति की सदस्याएं, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में कार्य करने की अपनी क्षमता के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा अधिक सम्मानित हैं। वे जनजातीय एवं गैर-जनजातीय परिवारों से संबद्ध मामलों में पुलिस की मदद करती हैं।

पेरियापट्टण से एक लड़के ने, एक जनजातीय विवाह किया था और उसकी पत्नी गर्भवती हुई। हठात् उस के कुटुंबवालों को यह सूचना मिली कि लड़का किसी और के साथ हुणसूर में शादी कर रहा है। घबराकर वे जानकम्मा के पास गए। हाजिर - दिमागवाली यह महिला पुलिस उप निरीक्षक के पास गयी और उस से, हुणसूर में, उस के प्रतिस्थानी (काउन्टरपार्ट, वहां का पुलिसकर्मी) से संपर्क करने का अनुरोध किया। ऐन मौके पर समारोह रोका गया। अकेला लड़का एवं उस की वधू तथा उस के कुटुंबवाले पेरियापट्टण लाए गए। समस्या के समाधान में सहयतार्थ जानकम्मा ने कुछ स्थानीय परिवारों को बुलाया। अन्ततः, न केवल लड़के ने जनजातीय कन्या के साथ, एक और समारोह सें दुबारा शादी की अपितु महासंघ (ओक्कूट) की सदस्याओं ने दूसरी वधू का विवाह भी निश्चित कर दिया। सभी संबन्धितों के लिए एक सन्तोषकर समाप्ति ! *"हमारे महासंघ ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों लडकियों के जीवन बरबाद नहीं हुए।"*

संघ की महिलाएं, विधि को समझने और उसे प्रयोग में लाने के लिए, विधिक साक्षरता प्रशिक्षण का उपयोग करती हैं।

उदाहरण के लिए मरियम्मा नाम की एक जवान लड़की जिसे उस के पति ने छोड़ दिया था, बेल्लारि ज़िले की हगरिबोम्मनहल्लि ताल्लुका, क्यातनमरडि गांव के एक वर्ष पुराने संघ की सदस्या बनी। लड़की सामान्य गोचर विषय की शिकार थी। उस के पति ने उस से, अपने मां-बाप की जानकारी के बिना शादी की थी और उन के वैवाहिक जीवन की अवधि में उस ने विवाहेतर संबंध भी रखा था। जब मरियम्मा गर्भवती हुई तो उस ने उसे छोड़ दिया और अपने मां-बाप द्वारा चुनी गयी एक तीसरी लड़की से शादी कर ली। लगभग इसी समय म.स. टीम ने क्यातनमरडि में काम करना आरंभ किया और मरियम्मा नवगठित संघ की सदस्या बन गयी। विधिक मुद्दों पर संघ की एक बैठक के दौरान वह अपना मामला ले आयी और दूसरी महिलाओं ने उस पर किए गए अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए उसे प्रेरित किया। उसने, उन की सहायता से भरण-पोषण के लिए मुकदमा दायर किया। अदृष्टवशात् उस के पास विवाह प्रमाणपत्र की एक प्रति और अपनी शादी के फोटोग्राफ्स थे। उस के ससुरालवालों ने उसे भरण-पोषण के लिए १०,०००/- रुपए देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अब मामला लड़ने के लिए एक वकील को भी नियोजित किया है।

संघ के कारण पति का परिवार दण्डमुक्ति से बचकर निकल नहीं सका। अतः, जब विपदग्रस्त महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में विरोध करना आरंभ करेंगी तब सार्वजनिक भी कम से कम उन के ऊपर अपराध करने से पूर्व दो-दो बार सोचेंगे।

कई संघों में, महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने के लिए पुलिस एवं विधिक पद्धति का सहारा। लिया है। इन में शामिल हैं-बिजापुर ज़िले की बिजापुर ताल्लुका का महागांव गांव, बागेवाडि ताल्लुका का हंचनाला गांव, रायचूर ज़िले की देवदुर्गा ताल्लुका का रामदुर्ग गांव, गुल्बर्गा ज़िले का नन्दूर गांव, कोप्पल ज़िले की येलबुर्गा ताल्लुका के मातलदिन्नि एवं मलकनमरडि गांव, मैसूर ज़िले की पेरियापट्टण ताल्लुका के मालंगि, आलूरु, दोड्डहोसूरु और बोसनकट्टि कालोनि गांव, हुणसूर ताल्लुका का होसूर गांव, बीदर ज़िले की औराद ताल्लुका का तुलजापुर गांव।

संघों ने कई मामलों में सफलतापूर्वक गैर संघ की सदस्याओं की समस्याएं उठायी हैं। कई म.स. गांवों की महिलाएं वस्तुतः अपनी समस्याओं को पुलिस थाना या कूट जैसे स्थानीय न्यायालयों में ले जाने की अपेक्षा संघों के पास ले जाना पसंद करती हैं। तालिका ६.१ संघों द्वारा किए गए कतिपय कार्यों की उपरि दृष्टि प्रस्तुत करती हैं।

तालिका ६.१ : संघों तथा गैर संघ की सदस्याओं के लिए संघ की विधिक समितियों द्वारा किया गया कार्य

क्रम संख्या	ज़िला	महिला समस्या	संघ कि महिलाओं द्वारा संचालित समस्याएं	महिलाओं द्वारा पुलिस थाना पहुंचायी गयी समस्याएं	पुलिस थाना जाकर संघ के क्रियाकलापों का परिचय करानेवाले संघों की संख्या
१	बेल्लारि	संघ की महिलाएं	१७ (२७)	५ (५)	५८ (८)
		गैर संघ की महिलाएं	८ (१८)	- -	- -
२	बीदर	संघ की महिलाएं	४४ (३३)	११ (११)	१०९ (९२)
		गैर संघ की महिलाएं	१२ (७)	- -	- -
३	बिजापुर	संघ की महिलाएं	४५ (५१)	३९ (३९)	९४२ (८९)
		गैर संघ की महिलाएं	२ (३)	- -	- -
४	गुल्बर्गा	संघ की महिलाएं	२६ (२१)	१४ (१४)	३४५(११८)
		गैर संघ की महिलाएं	४ -	- -	- -
५	कोप्पल	संघ की महिलाएं	२३ (११)	५ (५)	७३ (२३)
		गैर संघ की महिलाएं	- -	- -	- -
६	मैसूर	संघ की महिलाएं	१६ (२१)	९ (७)	- -
		गैर संघ की महिलाएं	६ -	३ -	- -
७	रायचूर	संघ की महिलाएं	१३ (११)	५ (५)	१३६ (२६)
		गैर संघ की महिलाएं	- -	- -	- -
	कुल	संघ की महिलाएं	१८४ (१७५)	८८ (८६)	१६६३(३५६)
		गैर संघ की महिलाएं	३२ (२८)	३ -	- -

* कोष्ठकों में दी गयी संख्याएं संबद्ध संघों की संख्या देती हैं। उदाहरण के लिए स्तंभ ४ में प्रथम २ संचय (सेट) की संख्याओं का मतलब है, संघ की महिलाओं की १७ समस्याओं का २७ संघों की सदस्याओं द्वारा समाधान किया गया है, गैर संघ की महिलाओं की ८ समस्याओं का १८ संघों की सदस्याओं द्वारा समाधान किया गया है। कभी-कभी ३-४ संघ मिलकर किसी समस्या का समाधान निकालते हैं।

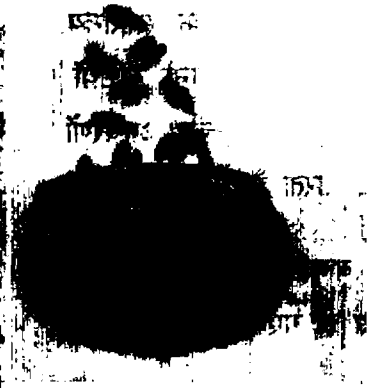

७

संघ के व्यावसायीकरण के संदर्भ में आर्थिक क्रिया-कलाप

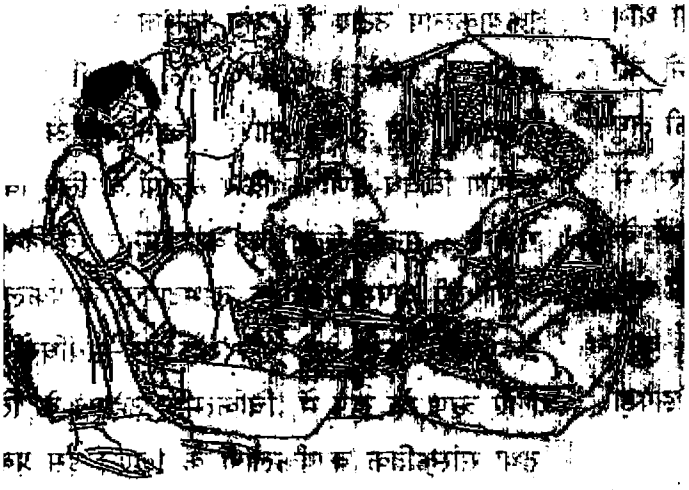

महिला समाख्या कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में वित्तीय संसाधनों की भूमिका के प्रति सदैव जाग्रत है। यह सच है कि नितांत बुनियादी स्तर पर वित्तीय संसाधनों की पहुंच एव उसका स्वामित्व व्यक्ति की 'शक्ति' एवं 'प्रतिष्ठा' को बढ़ाते हैं। लेकिन म.स. ध्येयों की उपलब्धि के लिए यह नाजुक है कि किस तरह से इस धन की पहुंच पायी जाती है और उस का उपयोग किया जाता है। वित्तीय लेन-देनों में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इन के अभाव में एक समुच्चय के रूप में संघ को उस की शक्ति से हटा देता है। पिछले दिनों में, संघ के वित्तीय अनुभव कुछ समस्याओं की ओर ले गए हैं। म.स. कार्यक्रम के प्राथमिक वर्षों में प्रत्येक संघ को बीज राशि के रूप में मानदेय की एक छोटी रकम दी गयी थी। इससे संघ को अन्य स्रोतों से तुल्य अनुदानों की पहुंच पाने में मदद मिली। इसने महिलाओं की लघु आय उत्पादन क्रियाकलापों का आरंभ करने में सहायता की। किन्तु इस ने संघ की महिलाओं के परिवारों से इस प्रत्याशा को भी प्रेरित किया कि यदि वे संघ में शामिल हुईं तो उन्हें पैसा मिलेगा। कुछ मामलों में, इस ने संघ की सदस्याओं के बीच झगड़ा चालू किया है।

गत तीन वर्षों के दौरान म.स. कर्नाटक ने इन अनुभवों से प्राप्त शिक्षा के आधार पर सामाजिक और लिंग न्याययुक्तता मुद्दों पर निवेशों एवं संघ की कार्रवाई दोनों को शक्तिशाली बनाने द्वारा इन समस्याओं का अतिक्रमण किया है। इस से आर्थिक क्रियाकलापों को सटीक परिपार्श्व में रखने में मदद मिली है। चूंकि महिलाओं द्वारा सामना की गयी कई समस्याओं का मूल कारण ग़रीबी है, यह महत्त्वपूर्ण है कि सदस्याओं के लिए संघ के क्रियाकलाप कुछ हद तक आर्थिक स्वातन्त्र्य ला दे। इस के आगे, वह उन्हें अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने तथा बाल विवाह जैसे आचरणों का विरोध करने में मदद करता है।

अधिकतम संघ धन, बचत और बाहरी संसाधनों की देखदेख करने में दक्ष हो गए हैं।

तालिकाएं ७.१, ७.२, ७.३ (क) और ७.३ (ख) ७ म.स. ज़िलों में संघ के वित्तों की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। तालिकाएं ७.१ और ७.२ यह दर्शाती हैं कि संघ की बचतें ५५ लाख रुपए पार कर गयी हैं। २३०० से अधिक महिलाओं ने संघ की बचतों से ऋणों की सहायता से विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप उठाए हैं। संघ विभिन्न योजनाओं की पहुंच पा सके हैं और ५००० से भी अधिक महिलाओं को लाभ हुआ है। अतिरिक्त आय का उपयोग विविध श्रेणी के क्रियाकलापों के लिए किया गया है - सन्तान शिक्षा, घर की मरम्मत एवं निर्माण, ऋणों की वापसी, अधिक लाभदायक कार्यकलापों का आरंभ करने हेतु, पति और सगे-संबंधियों के लिए ऋण के रूप में, चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए। इस प्रकार संघ के आर्थिक क्रियाकलापों ने निश्चित रूप से महिलाओ की प्रतिष्ठा, उन के परिवारों में बढ़ायी है क्योंकि वे यह निर्णय कर सकती हैं कि धन का व्यय किस प्रकार किया जाए। इस तथ्य से कि वे परिवार के सदस्यों को उधार दे सकती हैं तथा उधार चुका सकती हैं उन्हें उन के पतियों एव परिवारों से वह सम्मान मिल जाता है जो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था।

"दरअसल हम अपनी ही बचतों का प्रयोग करेंगी। ये योजनाएं तो नितांत कठोर हैं।"

गुल्बर्गा ज़िले की आलन्द ताल्लुका का तुगांव गांव कर्नाटक - महाराष्ट्र की सीमा में पड़ता है। पहुंच की सड़कें दुर्गत हैं और बसें गांव से १२ कि.मी. दूर रुकती हैं। जब सन् १९९८ में वहां म.स. संघ का आरंभ हुआ तो सहयोगिनियों ने गांव में एक माह के लिए पड़ाव किया ताकि समुच्चय का गठन किया जा सके। पिछले ४ वर्षों में महिलाओं नें कई मुद्दे उठाए हैं। संघ सक्रिय और संयोगशील हैं। महिलाओं ने १०/- प्रति माह बचत करना शुरू किया, संघ की बचतों के रूप में धन एकत्रित किया और आवश्यकतानुसार सदस्याओं को उधार दिया। उन्होंने ऋणों एवं वापसी के लिए अपने ही मापदण्ड विकसित किए। इस प्रकार धन की लेन-देनों में सिद्धहस्त होने के बाद संघ ने स्व.ज.स्व.यो. के तहत एक ऋण के लिए आवेदन करने का निश्चय किया। महिलाओं ने आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए ताल्लुका, पंचायत एवं बैंक की मुलाकात की। संघ के लिए स्व.ज.स्व.यो. के तहत एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षणानंतर संघ की बैठकें योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आयोजित की गयीं। महिलाओं ने नियमित साप्ताहिक बैठकें चलायीं और १०/- रुपए के बदले में ५/- रुपए प्रति सप्ताह बचत की। साप्ताहिक बैठकों में, इन महिलाओं को, उन की आबंटित संख्याओं के अनुसार आसन दिए गए तथा इन्होंने इन संख्याओं के अनुसार हफ्ते में एक बार बैंक को भेंट दी। नियमित अंतराल पर अध्यक्षा बदली गयी। कड़ाई से अन्य नियम और विनियम का पालन किया गया। पहले की मासिक वापसियां तीन माह की अवधि के लिए बढ़ायी गयीं।

संघ की महिलाओं ने, इन परिवर्तनों को लाने में, अत्यधिक मात्रा में प्रयास किए। करीब-करीब इसी समय में एक नए प्रबंधक की नियुक्ति की गयी। जब इन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ संघ का संदर्शन किया तो संघ के क्रियाकलापों से खुश हो गए और उन्होंने स्व.ज.स्व. यो. के तहत ५/- लाख रुपए का ऋण स्वीकार करने की सम्मति दी। केवल 'कमी' यह थी की तुगान संघ में योजना द्वारा निर्धारित १० से २० के स्थान पर २५ सदस्याएं हैं। संघ की महिलाओं ने एक प्रस्ताव रखा। "हम १५ और १० के दो समूहों में विभक्त हो जाती हैं। १५ सदस्याओंवाले समूह को ऋण दीजिए।" किन्तु पदाधिकारियों ने संघ को तोड़ना नहीं चाहा। इस ने एक विकट स्थिति पैदा कर दी है और पदाधिकारी समाधान निकालने में समर्थ नहीं हुए हैं। महिलाएं एवं म.स. टीम हताश हो गयी हैं कि उन के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। महिलाओं ने अब संघ की बचतों से १० भैंसें खरीदीं और दूध बेचकर धन कमाना आरंभ किया। सरकारी योजनाओं के यत्न की बनिस्बत वे अपने ही धन का उपयोग करना पसंद करती हैं।

जैसा पहले बताया गया है, म.स. कार्यक्रम के प्राथमिक वर्षों में, संघ मानदेय के रूप में एक छोटी रकम दी गयी थी। लेकिन जब बेल्लारि ज़िले में म.स. कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया तब एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा और महिलाओं की वर्तमान योजनाओं की पहुंच पाने में मदद की जाएगी। बेल्लारि संघों की महिलाएं विभिन्न क्रियाकलापों का आरंभ करने के लिए संघ की बचतों से लिए गए ऋणों का सफल उपयोग कर रही हैं। इन ऋणों ने संघ की

कई महिलाओं का, एच. वीरपुरा की नीलम्मा को शामिलकर जीवन परिवर्तन किया है।

बेल्लारि ज़िले की बेल्लारि ताल्लुका में एच.वीरपुरा संघ में ३२ सदस्याएं गत दो वर्षों से १०/- रुपए प्रति सप्ताह की बचत कर रही हैं। अब उन के पास, आर्थिक कार्यकलापों के लिए आरती और अन्नपूर्णेश्वरी नाम के दो उप समूह हैं। संघ की गरीब लिंगायत सदस्या नीलम्मा का पति बीमार हैं। उस की अनिश्चित आय है और स्वास्थ्य संबंधी बिल एक अतिरिक्त बोझ है। संघ में बातचीत के बाद नीलम्मा ने रसद और सब्जी की छोटी दुकान खोलने का निश्चय किया। उस ने २०००/- रुपए का कर्ज़ लिया और अपनी दुकान खोली। पहले तो मुश्किल था। धीरे-धीरे उस की दुकान ने १००/- से लेकर ३००/- रुपए का लाभ कमाना शुरू किया। उसने अबतक ब्याज समेत ऋण का ८००/- रुपया (प्रति १००/- रुपए के लिए २/- रुपए प्रति हफ्ता) लौटा दिया है। एक अच्छी सौदागरनी नीलम्मा अपने प्रतिस्पर्धियों की अपेक्षा अपनी कीमतों को कम रखकर यह अश्वस्त करती हैं की दिन के लिए सारी सब्जियां बेची जाती हैं। "मैं खरीददारों का ध्यान आकर्षण ऊंची आवाज और नीची कीमत से करती हूं। अब में छाया में बैठकर आशानुरूप रकम कमाती हूं। मैं अपने पति और घर की देखभाल कर सकती हूं। मैं मेहनत करती हूं, फिर भी जीवन अच्छा है।"

बेल्लारि के संघों में, कई महिलाओं ने संघ की बचतों से, ऋण की सहायता से, विभिन्न आय उत्पादक कार्यकलापों को लिया है। विभिन्न योजनाओं की पहुंच पाने के लिए अब कार्य किया जा रहा है। बेल्लारि में ७१ संघों ने बचत कार्यकलाप उठाए हैं तथा ५४ संघ के पास बैंक खाताएं हैं जो उन्हीं के द्वारा प्रचालित किए जाते हैं। विभिन्न गांवों से संघ की करीब २०० महिलाओं ने नीलम्मा की तरह व्यक्तिगत आय उत्पादन कार्यकलाप शुरू कर दिए हैं। बेल्लारि में संघ की करीब २०० महिलाएं भी बैंकों से तथा स्व.ज.स्व.यो. के तहत ऋणों की पहुंच पा सकी हैं।

संघ मानदेय योजना के बग़ैर महिलाएं संघ रहनेवाली उन समस्याओं के साथ जिनका सामना अन्य ज़िलों ने किया है, सुचारु रुप सें संभाल रही हैं।

म.स. के पुराने ज़िलों में, संघ की महिलाओं एवं सहयोगिनियों के नाम में, संयुक्त खाते के साथ प्रक्रिया का आरंभ हुआ। इससे कतिपय गांवों में लेखाधारियों द्वारा धन का दुर्विनियोग शामिलकर कई अन्य समस्याएं खड़ी हो गयीं। इन अनुभवों से सबक लेकर, बेल्लारि में संघ के वित्तीय लेन-देनों को शुरू से ही अनुशासित कर दिया गया है। अब संघ को उस रूप में देखा जाता है जिस आशय के लिए बनाया गया था - सशक्तीकरण के सन्दर्भ में आर्थिक क्रियाकलापों के साथ महिला सरोकार के लिए एक मंच।

आय बढ़ानेवाले क्रियाकलापों के लिए अनुदानों एवं ऋणों की पहुंच पाने के साथ-साथ, संघ घर (मने) का निर्माण शामिलकर विभिन्न प्रयोजनों के लिए लोकनिधि का अधिकाधिक उपयोग करने में संघ समर्थ हो रहे हैं। रायचूर ज़िले की मन्वि ताल्लुका, कुरकुन्दा गांव में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित जन संपर्क सभा में संघ की महिलाओं ने उपस्थिति दी। वे, भू सेना की मार्फ़त संघ घर को बनाने के लिए

विधान सभा सदस्य की क्षेत्र विकास निधि से १,३०,०००/- रुपए प्राप्त कर सकी। जब उन्होंने देखा कि जूनियर इंजीनियर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है तब उन्होंने विधान सभा सदस्य से शिकायत की और मामले को ठीक कराया। अब महिलाओं के पास अपनी बैठकें करने के लिए एक अच्छा सा स्थान है।

सभी म.स. जिलों में महिलाएं धन प्रबंधन एवं उद्यमशीलता में अधिकाधिक दक्ष बन रही हैं। महिलाएं दुग्ध-व्यवसाय, मुर्गीपालन, छोटे-छोटे धंधे, खेतीबारी का काम, साग सब्जियों को उगाना एवं बेचना, भेड़-बकरी पालन आदि में शामिल हैं। इस तरह, संघ कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सका है।

तालिका ७.१ : संघ का धन महिला जीवन में परिवर्तन लाता है

ज़िला	बचतों को हाथ में लेनेवाले संघों की कुल संख्या	बैंक खाता रखने वाले संघ*	लेखाधारी के रूप में संघ की महिला	संयुक्त लेखाधारी के रूप में सहयोगिनी एवं संघ महिला	कुल बचत	आर्थिक विकास के लिए संघ के धन को उपयोग में लाना	
						व्यक्तिगत क्रियाकलाप	सामूहिक क्रियाकलाप
बेल्लारि	७१	५४	५४	-	३३६५४९	१८७	-
बीदर	२३०	२६०	१९७	२२	२७३२५७०	१३२६	-
बिजापुर	१६१	२९५	२९५	-	३५५२६८	१२०	-
गुल्बर्गा	१६०	१६०	१६०	१००	६४४८०७	१६०	२
कोप्पल	११२	११०	११०	६२	७८८६४९	४७५	३
मैसूर	९२	१५६	८४	७०	३४९००८	३७	-
रायचूर	४८	४२	४२	२६	३७३४४९	३९	-
कुल	८७४	१०७७	९४२	२८०	५५८०३००	२३४४	५

*कुछ संघ मानदेय तथा बचतों के लिए अलग-अलग खाता रखते हैं। अतः बैंक खाता रखनेवाले संघों की संख्या से अधिक बैंक खाता संख्या है।

तालिका ७.२ : महिलाएं अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करती हैं

ज़िला	विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करनेवाले संघों की संख्या						हिताधिकारियों की संख्या
	बैंक (क)	ग्रा.क्षे.म.बा.वि. (ख)	स्व.ज.स्व.यो. (ग)	स्व.स.स. (घ)	ज़ि.औ.के. (ङ)	अन्य (च)	
बेल्लारि	२	-	२	-	-	-	५२
बीदर	२२	-	१	२३	-	११	१३२६
बिजापुर	११	१	२	३	१	४१	२२५
गुल्बर्गा	४	-	९	-	-	४	२७०१
कोप्पल	-	१२	३	१०	-	१	४१४
मैसूर	२	१	४	१	-	१	६३२
रायचूर	४	-	-	-	-	२	५८
कुल	४५	१४	२१	३७	१	६०	५४०८

तालिका - ७.३ (क) : महिला समाख्या संघों के लिए सामान्य निधि विवरण (२०००-२००१)

संघ आय (क)

क्रम संख्या	ज़िला	सदस्यता शुल्क	कुल बचत (बैंक+ऋण में धन)	मानदेय	ग्रा.क्षे.म.बा.वि.	धन की वापसी	ऋण पर ब्याज	बैंक ब्याज	बैंक शेष तथा हाथ रोकड़	अन्य गैर संघों को संघ का अंशदान	अर्थ दण्ड	स्व.ज.स्व.यो. को शामिलकर परिक्रामी निधि	अन्य स्रोत	कुल आय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	बेल्लारि	२२३८	३३६५४९	-	-	१४१३०	१०५१५	१०९१	-	१९५०	७६	२५०००	-	३९१५४९
२	बीदर	१५४५४	२७३२५७०	२९५६८००	१३२५०००	१०३३४०९	२६००७३	५४५२०	१७७६५५८	५१००	८५८	३००००	-	१०१९०३४२
३	बिजापुर	-	३५५२६८	३२०६१७०	-	४०२२२०	-	७२४०८	-	-	-	-	१७४४७००	५७८०७६६
४	गुल्बर्गा	-	७८४८०७	-	-	३७४५९८	७८५९८	-	-	-	१८०	९६२६०८	७५८५०	२२७६६४१
५	कोप्पल	५०	७८८६४९	६०४८००	४७९७५८	१९१५५	६४८४५	-	४९१४७९	१७८२	-	-	-	२४५०५१८
६	मैसूर	६१६७	३४९००८	२१०१९३७	२६५०००	-	१०९५४०	१८००१३	१०९२४६२	३००	१८६१	-	-	४१०६२८८
७	रायचूर	६६५५	३७३४४९	१५७२००	१००६००	४६५७०	१६२५१	९७४१	१८१०८२	६५७८	-	-	-	८९८१२६
	कुल	३०५६४	५७२०३००	९०२६९०७	२१७०३५८	१८९००८२	५३९८२२	३१७७७३	३५४१५८१	१५७१०	२९७५	१०१७६०८	१८२०५५०	२६०९४२३०

तालिका ७.३ (ख) : संघ व्यय (ख)

क्रम संख्या	ज़िला	संघ से ऋण	संघ के व्ययों के लिए	कुल व्यय	संघ की कुल निधि कुल जोड़ (आय - व्यय; क-ख)
१	बेल्लारि	१३६०३०	२६१९	१३८६४९	२५२९००
२	बीदर	१९८४९८५	९१२१६	२०७६२०१	८११४१४१
३	बिजापुर	६२१२०३	२३९७३	६४५१७६	५१३५५९०
४	गुल्बर्गा	२२०४६१७	५१५७२	२२५६१८९	२०४५२
५	कोप्पल	१३८५७१३	८१८४७	१४६७५६०	९८२९५८
६	मैसूर	९०३२७६	१०७४६८	१०१०७४४	३०९५५४४
७	रायचूर	२०४०९९	४६९५	२०८७९४	६८९३३२
	कुल	७४३९९२३	३६३३९०	७८०३३१३	१८२९०९१७

साधारण परिषद् (सा.प.) एवं कार्यकारिणी समिति (का.स.) के सदस्य/सदस्याओं की सूची

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	सदस्यता की हैसियत
१	**श्री. एच. विश्वनाथ** (१७ अक्तूबर ९९ से आज तक) माननीय शिक्षा मंत्री कर्नाटक सरकार, बेंगलूर	अध्यक्ष सा.प.
२	**श्री. अग्वाने**, भा.प्र.से. (८ मार्च २००० से १६ अप्रैल २००० तक) **श्री. आर. एन. शास्त्री**, भा.प्र.से. (१७ अप्रैल २००० से २६ मई २००१ तक) **श्रीमती. मीरा सक्सेना** (२७ मार्च २००१ से आज तक) सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग कर्नाटक सरकार, बहुमंजिलवाला भवन, बेंगलूर	चेयरपर्सन, का.स. एवं सदस्य / सदस्या सा.प.
३	**श्रीमती. शालिनी प्रसाद**, भा.प्र.से. राष्ट्रीय परियोजना निदेशक महिला समाख्या, शिक्षा विभाग मा. सं. वि. मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्या का.स., सा.प. भारत सरकार की प्रतिनिधि
४	**प्रोफेसर. नयनतारा** भारतीय प्रबंधन संस्थान बन्नेरघट्टा मार्ग बेंगलूर	सदस्या सा.प.
५	**डा. शोभा रघुराम** उप निदेशक एच आई वी ओ एस (हार्हवोस) फ्लैट सं. ४०२, ईडन पार्क बेंगलूर-५६० ००१	सदस्या सा.प.
६	**डा. गायत्री देवी दत्त** निदेशक अंग्रेजी का प्रादेशिक संस्थान दक्षिण भारत, ज्ञानभारती कैम्पस् बेंगलूर-५६० ०५६	सदस्या सा.प.

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	सदस्यता की हैसियत
७	**उप वित्तीय सलाहकार** प्रतिनिधि एकीकृत वित्त विभाग, भारत सरकार मा. सं. वि. मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली	सदस्य का.स., सा.प. एवं भारत सरकार का प्रतिनिधि
८	**श्रीमती. कामेश्वरी. जे.** ६-३-३/१, प्रेम नगर बनजारा हिल्स हैदराबाद-५०० ०३४	सदस्या का.स. एवं सा.प.
९	**श्रीमती. एस. राजेश्वरी वर्मा** भूतपूर्व निदेशक महिला अध्ययन केन्द्र मैसूर विश्वविद्यालय ४६, प्रथम मैन रोड़, जयलक्ष्मीपुरम् मैसूर-५७० ०१२	सदस्या सा.प. एवं का.स.
१०	**डा. विमला रामचन्द्रन्** वाइ ए-६, सह विकास ६८, इन्द्रप्रस्थ एक्सटेन्शन् नई दिल्ली-९२	सदस्या सा.प. एवं का.स.
११	**श्रीमती. कल्पना**, भा.प्र.से. (१९ जनवरी २००० से आज तक) निदेशक, लोक शिक्षा एस एस एल सी बोर्ड के बगल में मल्लेश्वरं बेंगलूर-५६० ००३	सदस्या सा.प.एवं का.स
१२	**श्रीमति. विद्यावती**, भा.प्र.से. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग कर्नाटक सरकार, बहुमंजिलवाला भवन बेंगलूर	सदस्या सा.प. एवं का.स.

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	सदस्यता की हैसियत
१३	**श्री. मदन गोपाल**, भा.प्र.से. (मार्च २००० से ३० जुलाई २००० तक) **श्री. लूकोस वल्लत्तरै**, भा.प्र.से. (३१ जुलाई २००० से आजतक) निदेशक, ज़ि. प्रा. शि. का. सरकारी मुद्रणालय भवन के बगल में, डा. अम्बेडकर वीथी, बेंगलूर	सदस्य का.स. एवं सा.प.
१४	**डा. अनिता डिघे** निदेशक, विस्तार शिक्षा के लिए केन्द्र इंन्दिरा गान्धी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-११० ०६८	संदस्या का.स.
१५	**डा. शान्ता मोहन** फेलो, लिंग अध्ययन एकक राष्ट्रीय उच्च अध्ययन संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर बेंगलूर	सदस्या का.स.
१६	**श्रीमती. शोभा नंबीसन**, भा.प्र.से. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग कर्नाटक सरकार, बहुमंजिलवाला भवन, बेंगलूर	सदस्या का.स.
१७	**श्री. अशोक कुमार मनाली** वित्त सचिव-II, (व्यय) विधान सौध कर्नाटक सरकार, डा. अम्बेडकर वीथी बेंगलूर	सदस्य का.स.
१८	**श्रीमती. रेणुका मिश्र** निरंतर, बी-६४, सर्वोदय एनक्लेव नई दिल्ली	सदस्या का.स.
१९	**श्रीमती. सुमन कोल्हार** भूतपूर्व ज़िला परिषद उपाध्यक्षा गोदावरी लाज के पीछे, शास्त्रीनगर, बिजापुर	सदस्या का.स. एवं जिला संसाधन समूह सदस्या बिजापुर

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	सदस्यता की हैसियत
२०	**श्रीमती. लीला हीरेमठ** मकान सं. ७-६-७५/२४, शिव चरण वासवीनगर रायचूर	सदस्या का.स. एवं जिला संसाधन समूह सदस्या रायचूर
२१	**श्रीमती. सौदामिनि राव** समाज विज्ञान विभाग वी. जी. महिला महा विद्यालय पीडीए मार्ग, एवान-ए-शाही गुल्बर्गा-५८५ १०२	सदस्या का.स. एवं ज़िला संसाधन समूह सदस्या गुल्बर्गा
२२	**श्रीमती. भारती वस्त्राद** सचिव ज़िला साक्षरता समिति बीदर	सदस्या का.स. एवं ज़िला संसाधन समूह सदस्या बीदर
२३	**श्रीमती. उमा वोडेयर** ज़िला कार्यक्रम समन्वयक महिला समाख्या, कर्नाटक सं.८-६-१४५, बिषन मैंशन, सिंडिकेट बैंक के ऊपर, उद्गीर मार्ग, बीदर	सदस्या का.स. एवं सा.प.
२४	**श्रीमती. निर्मला शिरगुप्पि** ज़िला कार्यक्रम समन्वयक महिला समाख्या कर्नाटक १९०, "साई हृदय", 'शास्त्रीनगर गोदावरी लाज के पीछे, सैनिक स्कूल मार्ग बिजापुर-५८६ १०१	सदस्या का.स. एवं सा.प.
२५	**श्रीमती. परिमला** ज़िला कार्यक्रम समन्वयक महिला समाख्या कर्नाटक मैसूर	सदस्या का.स. एवं सा.प.
२६	**श्रीमती. ज्योती कुलकर्णी** ज़िला कार्यक्रम समन्वयक महिला समाख्या कर्नाटक सं. ९४, के एच बी कालोनी, एम एस के मिल मार्ग गुल्बर्गा	सदस्या का.स. एवं सा.प.

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	सदस्यता की हैसियत
२७	**श्रीमती. लीला कुलकर्णी** ज़िला कार्यक्रम समन्वयक महिला समाख्या कर्नाटक सं. १-९-३, आज़ादनगर रायचूर	सदस्या का.स. एवं सा.प.
२८	**श्रीमती. सौभाग्यवति** ज़िला कार्यक्रम समन्वयक महिला समाख्या कर्नाटक सं ८८, मारुति कालोनी, किन्नाल मार्ग कोप्पल	सदस्या का.स. एवं सा.प.
२९	**श्रीमती. गौरी** ज़िला कार्यक्रम समन्वयक महिला समाख्या कर्नाटक मकान सं. ३०, ए.सी. मार्ग, गान्धीनगर बेल्लारि	सदस्या का.स. एवं सा.प.
३०	**डा. रेवती नारायणन्** राज्य कार्यक्रम निदेशक महिला समाख्या कर्नाटक सं. ६८, प्रथम क्रास, दूसरा मैन एचएएल तीसरा स्टेज, जे. बी. नगर बेंगलूर	सदस्या-सचिव का.स. एवं सा.प.
३१	**सहयोगिनियां - २ (बारी-बारी से)**	सदस्या का.स.

शब्दावली / संक्षिप्त

अध्यक्ष	किसी सभा या संस्था का प्रधान, संचालक, प्रेसिडेंट।
अमावास्या	कृष्णपक्ष की १५ वीं या अंतिम तिथि, जिस दिन चन्द्रमा पूरी तरह से दिखायी नहीं देता।
अ.शि.	अनौपचारिक शिक्षा
आ.वि.का.	आर्थिक विकास कार्यक्रम।
आश्रय योजना	गृह निर्माण योजना।
ओक्कूट	महासंघ, सम्मिलन, फेडरेशन।
कला जत्था	एक सांस्कृतिक मेल मिलाप।
किशोरी	१३ से १९ वर्ष की आयु की कन्या।
कूट	गांव में न्याय करनेवाला पारंपरिक निकाय
केन्द्र	मुख्य स्थान।
खं.शि.अं.	खंड शिक्षा अधिकारी
गै.स.सं.	गैर सरकारी संगठन।
ग्रा.क्षे.म.बा.वि.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास।
ग्राम पंचायत	ग्रामीण स्तर का शासकीय निकाय।
ग्रामसभा	गांव के स्तर की बैठक।
ग्रा.शि.स.	ग्राम शिक्षा समिति।
घटक	१० गांवों का समुच्चय।
जनसंपर्क	जनता के साथ संपर्क या संबंध बनाए रखना।
ज.स्वा.स.	जन स्वास्थ्य सभा।
ज्ञान	जानना, बोध, जानकारी।
जात्रा	सामान्यतः धार्मिक उद्देश्यों के लिए मेला या जुलूस।
ज़ि.औ.के.	ज़िला औद्योगिक केन्द्र।
ज़ि.प्रा.शि.का.	ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।
डी.सी.	उपायुक्त।
तहसीलदार	खंड/उप ज़िला स्तर पर सरकार का शासकीय कर्मचारी।
दलपति	गांव में पुलिस थाना और समुदाय के बीच मध्यस्थता करनेवाला व्यक्ति।
दलित	अनुसूचित जाति / जनजाति में शामिल व्यक्ति।
देवदासी	देवी येल्लम्मा को समर्पित कन्या। ' धर्म ' द्वारा संस्वीकृत वेश्यावृत्ति।
नारी अदालत	महिला समाख्या गुजरात टीम द्वारा गठित एक अनौपचारिक न्यायालय।
नि.म.प्र.	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि।
पंचायत	स्थानीय शासकीय निकाय।
प्रमुख	गांव का मुखिया।

प्रा.स्वा.के.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
बा.वि.प.अ.	बाल विकास परियोजना अधिकारी।
बुद्धि	जानने, समझने और विचार करने की शक्ति, समझ, अक्ल, ज्ञान।
भाग्यज्योति	निःशुल्क बिजली योजना।
मने	घर, दफ्तर।
म.स. (क)	महिला समाख्या, कर्नाटक।
महिला	(प्रतिष्ठित) स्त्री, भद्र नारी।
माहिति	सूचना, जानकारी।
मु.का.अ.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
मेला	नियत दिन और स्थान में खरीद-बिक्री, देवदर्शन, तीर्थस्थान, सैर तमाशा आदि खास उद्देश्यों के लिए होनेवाला जमाव, मजमा, जन समूह, भीड़।
रास्ता रोको	सड़कों पर (वाहन, जन आदि) संचरण रोकने की एक हड़ताल।
रैत	किसान।
वि.स्वा.सं.	विश्व स्वास्थ्य संगठन।
श्रमदान	स्वैच्छिक श्रम या कार्य।
स.आ.सं.	समुदाय आधारित संगठन
सं.आ.नि.	संघ आत्म निर्भरता।
संघ	महिला समुच्चय या समूह।
संचारी	महिला समाख्या का समाचार-पत्र। संचारी का मतलब है अधिकाधिक सूचना लेकर घूमनेवाला व्यक्ति।
सं.स.	एम.पी.। संसद् सदस्य।
सहयोगिनी	स्थान पर जाकर काम करनेवाली महिला। महिला फील्ड वर्कर।
स्व.ज.स्व.यो.	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना।
स्व.स.	स्वसहाय समूह।

आई.एस. प्रसाद एण्ड कं.,
चार्टरित लेखापाल

दूरभाष : ६७०६७४९/६७०९०६९
फैक्स : ०८०-६७०९०६९
ई-मेल : आईएसप्रसाद@हाटमेल.काम
४७, जयचामराजेन्द्र मार्ग
सीताराम भवन
बेंगलूर-५६० ००२

आई.एस. प्रसाद, बी.एससी, एलएल.बी., एफ.सी.ए.

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मैं ने महिला समाख्या कर्नाटक के संलग्न तुलनपत्र यथा ३१ मार्च २००१ को तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखा विवरण की परीक्षा की है और प्रतिवेदन करता हूं कि

१. मैं ने वह सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं।

२. संघ द्वारा यथोचित लेखाबहियां जैसाकि इन लेखाबहियों की मेरी जांच से प्रतीत होता है, रखी गयी हैं।

३. इस प्रतिवेदन में संदर्भित तुलनपत्र एवं आय और व्यय विवरण लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

४. मेरे अभिप्राय में, अपनी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे -

   क. तुलनपत्र के मामले में, यथा ३१-३-२००१ को संघ के कार्यकलापों की स्थिति का, तथा

   ख. आय और व्यय विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए खर्च से अधिक आय का अभ्युक्ति प्रतिवेदन के अधीन, सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : १७-०८-२००१

भवदीय
आई.एस. प्रसाद एण्ड कं. के लिए
चार्टरित लेखापाल
(हस्ताक्षरित) ***
(आई.एस. प्रसाद)
मालिक

आई.एस. प्रसाद एण्ड कं
की मोहर

महिला समाख्या, कर्नाटक

तुलनपत्र यथा ३१ मार्च २००१ को

	अनुसूची	यथा ३१-३-२००१ को रु.	यथा ३१-३-२०००को रु.
निधियों के स्रोत :			
पूंजीगत निधि :	१	३,१३८,३३०.९६	४,४३५,३०८.००
अप्रयुक्त स्थानीय अनुदान :			
हैदराबाद-कर्नाटक विकास मंडल, गुल्बर्गा से अनुदान		-	१३५,०००.००
वि. स्वा. सं. कार्यक्रम		१५०,०००.००	४७२३१.००
	कुल	३,२८८,३३०.९६	४,६१७,५३९.००
निधियों का विनियोग :			
स्थायी परिसंपत्तियां :	२		
सकल खंड		६,४०२,३२०.२०	५,९६८,६७६.२०
घटाओ : मूल्यह्रास		४,४५४,३६७.२०	३,७०५,७९८.२०
निवल खंड		१,९४७,९५३.००	२,२६२,८७८.००
चालू परिसंपत्तियां ऋण एवं पेशगियां :			
रोकड़ एवं बैंक शेष :	३		
हाथ रोकड़		२८,१५६.१०	५,८४९.०५
अनुसूचित बैंकों के साथ		१,१९०,१५३.८६	१,७२३,७५९.९५
सावधि जमा		२००,०००.००	--
पारगमन में रकम		--	२००,०००.००
		१,४१८,३०९.९६	१,९२९,६०९.००
पेशगियां एवं जमा :	४(क)		
पेशगियां एवं प्राप्य	और	१५०,७४१.००	८७,१५३.००
पूर्वदत्त व्यय	४(ख)	१,८७७.००	--
		१५२,६१८.००	८७,१५३.००
जमा :			
अन्य	५	५७५,६८७.००	५४२,६८७.००
		५७५,६८७.००	५४२,६८७.००
कुल चालू परिसंपत्तियां :	६	२,१४६,६१४.९६	२,५५९,४४९.००
घटाओ : चाल् देयताएं			
बकाया देयताएं		८०६,२३७.००	२०४,७८८.००
निवल चालू परिसंपात्तियां		१,३४०,३७७.९६	२,३५४,६६१.००
	कुल	३,२८८,३३०.९६	४,६१७,५३९.००

इसी तारीख के मेरे प्रतिवेदन के अनुसार
आई.एस. प्रसाद एण्ड कं. के लिए
चार्टरित लेखापाल
(हस्ताक्षरित) ***
(आई.एस.प्रसाद)
मालिक एम.सं. २१९६८

आई.एस. प्रसाद एण्ड कं.
की मोहर

महिला समाख्या कर्नाटक के लिए
(हस्ताक्षरित) ***
(रेवति नारायणन्)
राज्य कार्यक्रम निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : १७-०८-२००१

महिला समाख्या कर्नाटक

अनुसूची १ :

पूंजीगत निधि की अनुसूची

	यथा ३१-३-२००१को रु.	यथा ३१-३-२०००को रु.
पूंजीगत निधि :		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	४,४३५,३०८.००	२,८६२,९३६.९६
जोड़ो : भारत सरकार से पूंजीगत व्ययार्थ प्राप्त अनुदान	४,३३,६४४.००	६,२०,६३६.००
	४,८६८,९५२.००	३,४८३,५७२.९६
घटाओ : आय के ऊपर व्यय का आधिक्य	१,७३०,६२१.०४	-
जोड़ो : व्यय के ऊपर आय का आधिक्य		९५१,७३५.०४
कुल	३,१३८,३३०.९६	४,४३५,३०८.००
टिप्पणी :		
इस वित्तीय वर्ष की अवधि में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		१,४५,००००.००
पूंजीगत व्ययार्थ प्रयुक्त रकम	४,३३,६४४.००	
राजस्व व्ययार्थ प्रयुक्त रकम	१४,०६६,३५६.००	१४,५००,०००.००

आई.एस. प्रसाद एण्ड कं.

की मोहर

महिला समाख्या, कर्नाटक

३१-३-२००१ को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण

	३१-३-२००१ को समाप्त वर्ष रु.	३१-३-२००० को समाप्त वर्ष रु.
आय :		
राजस्व व्ययार्थ भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	१४,०६६,३५६.००	१६,८७९,३६४.००
स्थानीय अनुदान :		
ज़िला पंचायत अनुदान-शौचालय निर्माण	३०६,०००.००	--
हैदराबाद कर्नाटक विकास मंडल अनुदान - कुटीर निर्माण	१३५,०००.००	१३५,०००.००
जागृति शिविर	--	१०,४५५.००
कर्नाटक दुग्ध महासंघ आधार प्रशिक्षण रोज़गार कार्यक्रम (KMF Support Training Employment Programme)	१३१,६१०.००	२८९,७४५.००
वि. स्वा. सं. कार्यक्रम	३४७,२३१.००	२५२,७६९.००
प्राप्त ब्याज :		
बैंको में जमा राशियों पर	४०,०८२.७१	१५,४२५.००
बचत बैंक खाताओं से		२६,३२३.००
परिसंपत्तियों की बिक्री से आय	--	६१६.००
भूचाल राहत निधि	१७,७५३.००	--
प्रकीर्ण आय	१०,८४८.००	१०१,१७२.००
कुल	१५,०५४,८८०.७१	१७,७१०,८६९.००
व्यय :		
मानदेय	४,२५९,२८६.००	३,७५४,५५६.००
भविष्य निधि - नियोक्ता	७३१,०१८.००	५७७,५७२.००
भविष्य निधि प्रशासन प्रभार	९८,६१७.००	८९,६११.००
चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	१८६,०३९.००	१५६,४९८.००
किराया, बिजली एवं पानी	६७८,०५७.००	६८७,७०३.००
मरम्मत एवं अनुरक्षण :		
वाहन	६२३,९५७.५०	६५९,१५२.००
कंप्यूटर	३१,५०८.००	५६,७१९.००
डाकव्यय एवं टेलीफोन	३१४,२१८.५०	३१०,१९३.००
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	१४१,३३४.५०	१७०,२६७.५०
यात्रा एवं सवारी	२३४,५७६.९५	४७१,९१७.५०
विज्ञापन व्यय	३,०००.००	२७,१००.००
बैंक प्रभार	११,१८२.८०	१४,४७१.००

	३१-३-२००१ को समाप्त वर्ष रु.	३१-३-२००० को समाप्त वर्ष रु.
लेखापरीक्षा शुल्क / विधिक शुल्क	६८,०६५.००	१०२,१००.००
कार्यालय अनुरक्षण / आकस्मिकता	२८५,१२७.५०	३१९,८६५.००
भूचाल राहत निधि	१७,७५३.००	--
मूल्य ह्रास	७४८,५६९.००	५६८,४५१.००
कार्यकलाप लागतें :		
प्रशिक्षण एवं प्रलेखीकरण	१,५८९,११९.५०	३३९,४६८.००
कार्यशालाएं एवं बैठकें	१,५७१,९४१.००	३,०१२,२१४.९६
अग्रेनीत	११,५९३,३७०.२५	११,३१७,८५८.९६
अग्रानीत	११,५९३,३७०.२५	११,३१७,८५८.९६
बाहरी मूल्यांकन	६३,२३७.०१	१५३,१९४.००
सूचना का प्रकाशन	२८८,००६.००	३०१,९६५.००
संसाधन केन्द्र	८४,८७७.००	२१,७७१.००
कर्नाटक दुग्ध महासंघ आधार प्रशिक्षण रोज़गार कार्यक्रम	१३१,६१०.००	२८९,७४५.००
विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यक्रम	३४७,२३१.००	२५२,७६९.००
ज़िला परिषद् अनुदान - शौचालय निर्माण	३०६,०००.००	--
जागृति शिविर	--	१०,४५५.००
सहयोगिनियों के व्यय :		
मानदेय	१,८१८,५५९.००	१,६८१,५३१.००
लेखन सामग्री / पुस्तकें एवं आकस्मिकताएं	६९,३४४.५०	५२,५९०.००
महिला संघ :		
मानदेय	--	१०२,०००.००
कुटीर निर्माण	२०५,०००.००	३४०,०००.००
कुटीर निर्माण - हैदराबाद कर्नाटक विकास मंडल	१३५,०००.००	१३५,०००.००
लेखन सामग्री एवं आकस्मिकताएं	२१,१०७.००	४६,२५६.००
दरी, मेज़ आदि	--	८४,२००.००
वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा :		
मानदेय	१९०,२००.००	२६३,२७७.००
लेखन सामग्री एवं आकस्मिकता	८१,८७१.००	९२,६६८.००

	३१-३-२००१ को समाप्त वर्ष रु.	३१-३-२००० को समाप्त वर्ष रु.
शिशु संरक्षण सुविधाएं : महिला शिक्षण केन्द्र :	३३१,४१०.००	४९२,७५८.००
मानदेय	३३७,५७९.००	३६२,९१९.००
किराया	२३५,४७२.००	२४७,६३८.००
आकस्मिकता	६१,५८९.००	५१,००८.००
रखरखाव व्यय	३०१,३८६.००	३१४,८१०.००
शैक्षिक व्यय	८०,५४५.००	४८,१५५.००
चिकित्सा सुविधाएं	२१,२९३.००	१४,३३५.००
वृत्तिका / शुल्क आदि	८०,८१५.००	८२,२३१.००
कुल	१६,७८५,५०१.७५	१६,७५९,१३३.९६
आय के ऊपर व्यय का आधिक्य	(१,७३०,६२१.०४)	९५१,७३५.०४

इसी तारीख के मेरे प्रतिवेदन के अनुसार
आई.एस. प्रसाद एण्ड कं. के लिए
चार्टरित लेखापाल
(हस्ताक्षरित) ***
(आई.एस.प्रसाद)
मालिक
एम.सं. २१९६८

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : १७-०८-२००१

महिला समाख्या कर्नाटक के लिए
(हस्ताक्षरित) ***
(रेवति नारायणन्)
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आई.एस. प्रसाद एण्ड कं.
की मोहर

महिला समाख्या कर्नाटक

अनुसूची २ - स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची

रुपयों में

विवरण	सकल खंड				मूल्य ह्रास			निवल खंड	
	लागत यथा १-४-२००० को	वर्ष के दौरान जोड़ी गयी	वर्ष के दौरान अपमार्जित	लागत यथा ३१-३-२००१को	३१-३-२००० तक	वर्ष के लिए	३१-३-२००१ तक	ह्रासित मूल्य यथा……को	
								३१-३-२००१	३१-३-२०००
वाहन	२,८६०,७५७.००	४०२,२९०.००	--	३,२६३,०४७.००	१,७१५,१९३.००	३८३,०२७.००	२,०९८,२२०.००	१,१६४,८२७.००	१,१४५,५६४
कार्यालय उपस्कार	१,४३८,५७२.५५	२४,६०४.००	--	१,४६३,१७६.५५	१,१४८,५३९.५५	७७,३२९.००	१,२२५,८६८.५५	२३७,३०८.००	२९०,०३३
कंप्यूटर	९१३,१००.६०	६,७५०.००	--	९१९,८५०.६०	५०६,१८१.६०	२४६,१७६.००	७५२,३५७.६०	१६७,४९३.००	४०६,९१९
फर्नीचर एवं जुड़नार	७५६,२४६.०५	--	--	७५६,२४६.०५	३३५,८८४.०५	४२,०३७.००	३७७,९२१.०५	३७८,३२५.००	४२०,३६२
कुल	५,९६८,६७६.२०	४३३,६४४.००	--	६,४०२,३२०.२०	३,७०५,७९८.२०	७४८,५६९.००	४,४५४,३६७.२०	१,९४७,९५३.००	२,२६२,८७८
गत वर्ष	५,३५०,९२४.२०	६२०,६३६.००	२,८८४.००	५,९६८,६७६.२०	३,१३७,३४७.२०	५६८,४५१.००	३,७०५,७९८.२०	२,२६२,८७८.००	२,२१३,५७७

आई.एस. प्रसाद एण्ड कं.
की मोहर

महिला समाख्या, कर्नाटक

लेखांकन नीतियों में महत्त्वपूर्ण :

१. लेखे ऐतिहासिक लागत पद्धति के अनुसार एवं उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। प्राप्त सहायता अनुदान को जिस का लेखांकन वास्तविक प्राप्ति एवं जो भी उठाया गया पूंजीगत व्यय हो, के आधार पर किया जाता है, को छोड़कर तुल्यराशि की जांच पूंजीगत लेखे में और शेष राशि की राजस्व अनुदानों के रूप में की जाती है क्योंकि अनुदान मुख्यतः केवल कार्यकलाप के लिए प्राप्त किया जाता है।

२. लेखों में स्थायी परिसंपत्तियां संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर प्रकट की जाती हैं।

३. सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का परिकलन ह्रासित मूल्य पर तथा आयकर अधिनियम १९६१ में दी गयी दरों पर किया जाता है।

४. पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक चाल् वर्ष के प्रस्तुतीकरण के लिए उपयुक्त बनाने हेतु पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थापित किए गए हैं।

आई.एस. प्रसाद एण्ड कं.
की मोहर

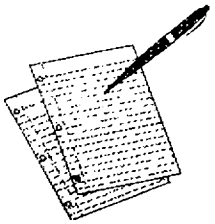

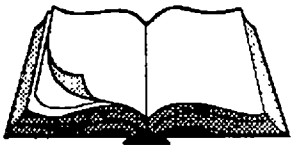

संचारी द्वारा सीखना, सहभागी होना और संचारित करना

वाणी पेरियोडि द्वारा संकल्पित एवं संपादित हमारा मासिक समाचार पत्र 'संचारी' अब 18 अंक पुराना है | वह महिला जगत से कार्य-क्षेत्रीय अनुभवों, कहानियों, तस्वीरों, प्रश्नमालाओं तथा जानकारी का एक अद्‌भुत मिश्रण है | संघ की महिलाएं उत्सुकता से उस की प्रतीक्षा करती रहती हैं | सामान्यतः संघ की बैठकों में सामूहिक रूप से उसे पढ़कर विचारों का विनिमय किया जाता है | वह नव साक्षरित महिलाओं के लिए अपने आप पढ़ने के लिए अत्यधिक प्रेरक है | महिलाएं उस में अपनी ही तथा दूसरे संघों की महिलाओं की कहानियां पाकर खुश होती हैं | उस के लिए संघ की महिलाएं २) से ५) रुपए तक देने के लिए तैयार हैं |

म.स. कार्यक्रम टीम की सतत कार्य अनुसूचियां उन्हें विस्तृत पठन के लिए बहुत ही कम समय प्रदान करती हैं | संचारी उन के लिए उपयोग जानकारी को एक कैप्सूल में बंद कर रखता है तथा उस का रहस्योद्‌घाटन करता है, जैसे - मानव विकास रिपोर्ट से आंकड़े, अमर्त्यसेन के लेख, महिलाओं एवं विकास संबंधी पुस्तकों पर समीक्षा, महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार | संचारी उपयोगी ही नहीं बल्कि विचार-प्रचोदक भी है |

सामान्यतः उसके अग्रपृष्ठ में कोई प्रश्न अथवा विचार होता है जो लिंग संबंधी मुद्‌दों पर चर्चा छेड़ता है | संचारी में विभिन्न प्रशिक्षणों के भाग के रूप में लिंगगत मुद्‌दों पर विकसित गीत तथा जानकारी भी होती है | उदाहरण के लिए, जब मैसूर ज़िले में प्रथमतः वैवाहिक (परामर्श) केन्द्र के रूप में सम्मिलन (ओक्कूट) तथा ताड़ी उपभोग के लागत-सुविधा-विश्लेषण' पर प्रशिक्षण अभ्यास किए गए तब इन विषयों पर औपचारिक प्रशिक्षण आयोजित करने से बहुत पहले ही दूसरे ज़िलों में संचारी इन विचारों के वितरण में वाहक बना |

म.स. कार्य को समझने में वह मददगार भी है तथा उसके कई अन्य पाठकों के बीच गै.स.सं. के कार्यकर्ताओं, विद्यालयों के शिक्षकों तथा पंचायतों के सदस्य हैं |

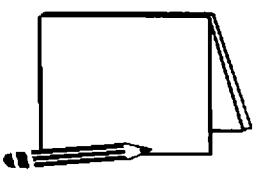

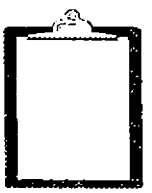

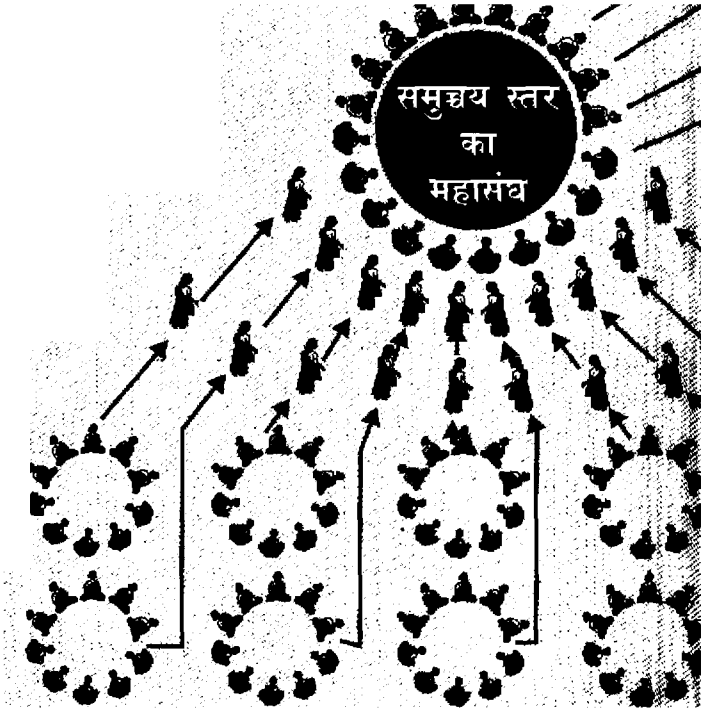
समुच्चय स्तर
का
महासंघ